बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का आपदा प्रबंधन एवं जोखिम न्यूनीकरण पर व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु हस्त पुस्तिका

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना – 800 001

बिहार सरकार

व्यास जी, भा.प्र.से. (से.नि.)
उपाध्यक्ष

का0 : 0612-2522032
फैक्स : 0612-2532311
इ–मेल: vice_chairman@bsdma.org

Vice Chairman, BSDMA
Shri Vyas Ji, IAS (Rtd.)

संदेश

बिहार एक बहु–आपदा प्रवण राज्य है, जहाँ भूमि से घिरे राज्यों में होने वाली सभी प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाऐं घटित होती हैं। राज्य एक ओर लगभग हर वर्ष बाढ़ का प्रकोप झेलता है तो दूसरी ओर विगत कई वर्षों से सुखाड़ आपदा ने इसके बड़े भू–भाग को प्रभावित किया है। इसके अतिरिक्त बिहार राज्य भूकंप, ओलावृष्टि, चक्रवातीय तूफान, नौका दुर्घटना, वज्रपात, नदियों/तालाबों में डूबने की घटनाऐं, अग्निकांड, शीत लहर, असमय भारी वर्षा, शहरी बाढ़, सड़क/रेल/हवाई दुर्घटनाएं आदि आपदाओं से समय–समय पर प्रभावित होता रहा है।

लोक कल्याणकारी राज्य के दायित्वों में आपदा प्रबंधन का महत्वपूर्ण स्थान है। आंपदा प्रबंधन की अवधारणा में आमूल–चूल परिवर्तन होने के फलस्वरूप आपदा प्रबंधन में केवल राहत एवं बचाव ही नहीं वरन रोकथाम, शमन, पूर्व तैयारियाँ, न्यूनीकरण, रिस्पांस एवं पुर्नस्थापन/पुनर्निर्माण की गतिविधियाँ भी शामिल हो गयी हैं।

बिहार पुलिस सेवा के अधिकारी राज्य, जिला एवं अनुमंडल स्तर पर विधि व्यवस्था संधारण, अपराध नियंत्रण एवं आमजन को सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाते ही हैं, मानवजनित एवं प्राकृतिक आपदाओं में भी राज्य की ओर से प्रथम रिस्पॉन्डर का कार्य करते हैं। विशेष कर मानव जनित आपदाओं, जैसे, भगदड़, सड़क/रेल/हवाई दुर्घटनाओं एवं अगलगी में इनकी भूमिका प्राथमिक महत्व की हो जाती है। साथ ही वे प्राकृतिक आपदाओं की दशा में राहत एवं बचाव कार्यों के सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतएव यह आवश्यक हो जाता है कि आपदा प्रबंधन की बदलती अवधारणा की पृष्ठभूमि में "आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन" विषय पर इनका क्षमतावर्द्धन किया जाए।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिपथ में रखते हुए बिहार पुलिस सेवा के चयनित पदाधिकारियों के साथ कार्यशाला के माध्यम से उनके क्षमतावर्द्धन की आवश्यकताओं का आकलन किया गया। इस आकलन के उपरांत यह तथ्य उभरा कि पुलिस पदाधिकारी एक अनुशासित वर्दीधारी बल के सदस्य होने के नाते विभिन्न आपदाओं के घटित होने पर मौके पर पहुँचते हैं किन्तु कतिपय आपदाओं में उनका सीधे दायित्व होता है तथा अन्य में उन्हें उत्तरदायी सरकारी विभागों/एजेन्सियों के सहयोगी की भूमिका निभानी होती है। आकलन में यह भी तथ्य प्रकाश में आया है कि आपदा प्रबंधन के संबंध में सांस्थिक स्तर पर उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण वे कठिनाई का अनुभव करते हैं।

क्षमतावर्द्धन की आवश्यकताओं के आकलन के उपरांत सहभागी प्रक्रिया द्वारा इस सेवा के पदाधिकारियों के आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषयक प्रशिक्षण हेतु यह हस्त–पुस्तिका विकसित की गयी है। इस पुस्तिका में उन आपदाओं की विशद चर्चा की गयी है जिनमें पुलिस पदाधिकारियों की प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भूमिकाएँ होती हैं। साथ ही प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भूमिकाओं को यथा संभव स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। इस हस्त–पुस्तिका के अनुरूप साधन सेवियों के माध्यम से बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया जाएगा।

मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि यह हस्त–पुस्तिका एवं प्रशिक्षण बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों के लिए आपदाओं के समुचित प्रबंधन में उपयोगी सिद्ध होगा तथा प्रशिक्षण के उपरांत वे पदाधिकारी राज्य में जोखिम न्यूनीकरण एवं आपदा पीड़ितों को मदद पहुँचाने में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकेंगे।

भवदीय

(व्यास जी)

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना – 800 001

बिहार सरकार

डॉ० उदय कान्त मिश्र,
सदस्य, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
FIE, FICI, MISWE, MISET, MISCMS, MICAS

का0 : 0612-254700
फैक्स : 0612-2547311
इ–मेल : mkuday@bsdma.org

पत्रांकः–......................   दिनांकः–...............

संदेश

यह अत्यन्त हर्ष का विषय है कि बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन एवं जोखिम न्यूनीकरण पर आधारित प्रशिक्षण हेतु यह हस्त पुस्तिका बड़े परिश्रम और गहन विचार विमर्श के बाद बनाई गई है। माननीय मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्य के सभी विभागों एवं उनके कर्मियों की कार्य शैली एवं जीवन स्तर में अपने पिछले एक दशक से अधिक के कार्यकाल में आमूल चूल परिवर्त्तन लाने की दिशा में अथक प्रयास करके अशातीत सफलता पाई है। इन प्रयासों का सुन्दर प्रतिफल बिहार पुलिस सेवा एवं उसके पदाधिकारियों में भी परिलक्षित हो रहा है। आज बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों की कर्तव्यनिष्ठा के कारण ही राज्य में न्याय के साथ कानून का राज्य स्थापित है और बड़े–से–बड़े रसूख वाले अपराधी या तो जेल की सलाखों के पीछे बन्द है या फिर तड़ीपार!

यहाँ एक बार रुक कर सिंहावलोकन की आवश्यकता है। भारत वर्ष, या यूँ कहे कि पूरे विश्व में बिहार में ही सर्वप्रथम पुलिस की व्यवस्था, वह भी 3,000 वर्षों से भी अधिक पहले, मगध राज्य में ही प्रारंभ हुई थी। इसका विषद वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र के कई अध्यायों तथा मनुस्मृति में हमें प्राप्त होता है। सच तो यह है कि सन् 2004 में "द इण्डियन जर्नल ऑफ पोलिटिकल साईंस" (Vol.65 No.1) में श्री अनुपम शर्मा का बड़ा रोचक लेख छपा है "पुलिस इन एन्शियेन्ट इण्डिया" अर्थात् प्राचीन भारत में पुलिस। इस लेख में बताया गया है कि प्राचीन काल में भी पुलिस का काम कानून का राज्य बनाए रखना और सहज ही सर्वसाधारण को न्याय उपलब्ध कराना था।

यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तब भी पुलिस की जिम्मेवारी आम जनता के प्रति थी और आज भी बिहार का आम आदमी पुलिस को श्रद्धापूर्वक, मित्रवत देखता है, उससे अतीत की भाँति भयभीत नहीं होता। भयभीत भी क्यों हो, जबकि बिहार पुलिस का प्रतीक चिह्न है अमन और शांति प्रदान करने वाला बोधि वृक्ष! अगर हम गौर से बिहार पुलिस का प्रतीक चिह्न देखें तो इसमें जल, स्थल, वायु तथा आकाश सभी तत्वों का समावेश मिलता है। जब ऐसे मूल तत्वों पर बिहार पुलिस की आधारशिला रखी गई है तो उसमें इन सभी तत्वों के गुणों का समाविष्ट होना अवश्यमभावी है। एक बात और जानने की है कि अब तक बिहार पुलिस का कार्य न्याय का राज्य स्थापित करके उसे सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध कराना तक ही सीमित था। पर आज, जब बिहार में आपदा प्रबंधन एवं जोखिम न्यूनीकरण के प्रति माननीय मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सद् प्रयासों से नई चेतना आई हैं, पुलिस सेवा के पदाधिकारियों को इस दिशा में भी सचेष्ट होना ही था! आखिर कोई भी आपदा आए तो सबसे पहले यही जाँबाज़ जाकर पीड़ितों को प्रथम सुरक्षा कवच प्रदान जो करते हैं।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का इस हस्त पुस्तिका को ससमय निकालने का यह स्तुत्य कार्य माननीय उपाध्यक्ष श्री व्यासजी, माननीय सदस्य श्री पी.एन. राय, वरीय सलाहकार, डॉ सतेन्द्र एवं परियोजना पदाधिकारी, डॉ मधु बाला, तथा अन्य सहकर्मियों के सहयोग से संभव हो सका है। उन सबों को कोटिशः साधुवाद। इन सभी प्रयोगधर्मियों की मिहनत तभी पूर्णतया सफल मानी जाएगी जब बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारीगण इस हस्त–पुस्तिका की सहायता से आपदा के दिनों में समाज के लिए अधिकाधिक उपयोगी सिद्ध होंगे।

31/x/19

(उदय कांत मिश्र)
सदस्य

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना–800001

बिहार सरकार

श्री पी. एन. राय, भा.पु.से. (से.नि.) सदस्य
सदस्य, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों के आपदा प्रबंधन एवं जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन पर व्यवसायिक प्रशिक्षण की हस्त पुस्तिका

(A Handbook for Professional Training of the officers of Bihar Police Service on Disaster Risk Reduction and Management)

प्रस्तावना

बिहार एक बहु–आपदा प्रवण राज्य है। राज्य एक ओर चक्रीय रुप से बाढ़ का प्रकोप झेलता है तो दूसरी ओर विगत कई वर्षो से सुखाड़ आपदा ने इसके बड़े भू–भाग को प्रभावित किया है। इसके अतिरिक्त भूकंप, ओलावृष्टि, चक्रवातीय तूफान, नौका दुर्घटना, वज्रपात, नदियों/तालाबों में डूबने की घटनाएँ, अग्निकांड, असमय भारी वर्षा, सड़क/रेल दुर्घटनाएं आदि आपदाओं से समय–समय पर प्रभावित होता रहा है।

राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अनुमंडल स्तर से लेकर सचिवालय स्तर तक पदस्थापित बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारी आपदाओं के न्यूनीकरण एवं आपदाओं के दौरान प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते है। साथ ही बिहार पुलिस सेवा के अधिकारी किसी भी आपदा में प्रथम रिस्पॉन्डर का कार्य करते है विशेष कर मानव जनित आपदाएं जैसे भगदड़, सड़क/रेल दुर्घटनाओं में इनकी भूमिका अतिमहत्वपूर्ण हो जाती है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा बिहार पुलिस के सहयोग से बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का आपदा प्रबंधन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, फुलवारीशरीफ के सहयोग से तीन दिवसीय व्यवसायिक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित करने से पूर्व आपदा प्रबंधन के विशेषज्ञों, बिहार प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों को शामिल करते हुए एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कर प्रशिक्षण के लिए आवश्यकताओं का आकलन (Training Need Assessment) किया गया। आवश्यकताओं के आकलन के उपरांत विषयवार सहभागी प्रक्रिया द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया गया। इस मॉड्यूल को विकसित करने में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी डा0 गगन, श्री बिपीन कुमार राय, भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी श्री पी0एन0 मिश्रा, श्री रमाशंकर राय, बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारी श्रीमती वीणा कुमारी, एन0डी0आर0एफ0 के श्री अजीत कुमार, इंसपेक्टर, एस0डी0आर0एफ0 के श्री के0 के0 झा, द्वितीय कमान अधिकारी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के डा0 मधु बाला, परियोजना पदाधिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इनके अतिरिक्त श्री गुप्तेश्वर पाण्डेय, पुलिस महानिदेशक, बिहार, श्री आलोक राज, पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण), बिहार से समर्थन एवं सहयोग प्राप्त हुआ।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल उद्देश्य यह है कि बिहार पुलिस सेवा के सभी स्तरों यथा अनुमंडल, जिला एवं राज्य के पदाधिकारियों को आपदा प्रबंधन में अवधारणा परिवर्तन के पश्चात नवजनित आयामों यथा रोकथाम, शमन, न्यूनीकरण, त्वरित रिस्पांस, पुर्नस्थापन एवं पुर्ननिर्माण आदि के बारे में पूर्ण जानकारी दी जाय। इसके अतिरिक्त बिहार राज्य की बहु आपदा प्रवणता, आपदा प्रबंधन से संबंधित संस्थागत ढ़ाचों, अधिनियम, नीतियों, राज्य आपदा प्रबंधन योजना, भीड़ प्रबंधन, संचार तंत्र, सर्पदंश आदि की जानकारी उपलब्ध कराते हुए उनका आपदा प्रबंधन हेतु उन्मुखीकरण एवं क्षमतावर्द्धन किया जाय।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह मॉड्यूल बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण होगा।

भवदीय

(पी0एन0 राय)
सदस्य
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग)

पंत भवन, द्वितीय तल, पटना–1

बिहार सरकार

बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का ''आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन'' विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र0सं0	समय	सत्र	प्रशिक्षण की विषय वस्तु / गतिविधि	संदर्भ व्यक्ति
			प्रथम दिवस	
1	09.30–10.00	पंजीकरण		बिपार्ड
2	10.00–10.40	प्रथम सत्र	उद्घाटन एवं उद्बोधन। प्रतिभागियों का परिचय।	बि0रा0आ0प्र0प्रा0 / बिपार्ड
	10.40–11.00		चाय अवकाश	
3	11.00–13.00	द्वितीय सत्र	Concept of Disaster, Types of disaster & disaster management, disaster profile of Bihar w.r.t. major disasters, State Disaster Management Plan (SDMP) District Disaster Management Plan (DDMP)	डा0 गगन, उप सचिव, समान्य प्रशासन विभाग बिहार प्रशासनिक सेवा
4		तृतीय सत्र		
5	13.00–14.00	चतुर्थ सत्र	National Disaster Management Act, 2005	डा0 मधु बाला, बि0रा0आ0प्र0प्रा0
	14.00–15.00		फोटोग्राफी / भोजनावकाश	
6	15.00–16.00	पाँचवा सत्र	Role of Police in Natural Disasters	श्री विपिन कुमार बिहार प्रशासनिक सेवा
	16.00–16.15		चाय अवकाश	
7	16.15–17.15	छठा सत्र	Role of Police in Natural Disaster including Video film and case study	श्री विपिन कुमार बिहार प्रशासनिक सेवा
			द्वितीय दिवस	
1	09.30–10.00		प्रथम दिवस प्रशिक्षण का सार–संक्षेप	बि0रा0आ0प्र0प्रा0
2	10.00–11.00	प्रथम सत्र	Role of Police in Human Induced Disaster including human trafficking during disaster with case study	श्री रामाशंकर राय, भारतीय पुलिस सेवा
	11.00–11.15		चाय अवकाश	
3	11.15–13.15	द्वितीय सत्र	Role of Police in Human Induced Disaster including human trafficking during disaster with case study	श्री रामाशंकर राय, भारतीय पुलिस सेवा
4	13.15–14.15	तृतीय सत्र	Crowd Management	श्रीमती वीणा, बिहार पुलिस सेवा
	14.15–15.15		भोजनावकाश	
5	15.15–16.15	चतुर्थ सत्र	Mock Drill by NDRF	
	16.15–16.30		चाय अवकाश	
6	16.30–17.30		Chemical & Industrial Disaster-role of Police.	श्री के0के0 झा, 2 / आई0सी0, एस0डी0आर0एफ

तृतीय दिवस				
1	09.30—10.00		द्वितीय दिवस प्रशिक्षण का सार—संक्षेप	बि0रा0आ0प्र0प्रा0
2	10.00—11.00	प्रथम सत्र	Road Safety	श्री पी0एन0 मिश्रा, भारतीय पुलिस सेवा / श्री अनिल कुमार DSP, Traffic
	11.00—11.15	चाय अवकाश		
3	11.15—12.15	द्वितीय सत्र	Road Safety with including Video film and case study	श्री पी0एन0 मिश्रा, भारतीय पुलिस सेवा
4	12.15—13.15	तृतीय सत्र	Role of Police in Pre Hospital Treatment	श्री अजीत कुमार, एन0डी0आर0एफ0
5	13.15—14.15	चतुर्थ सत्र	Communication in Disasters	श्री के0के0 झा, 2/सी0, एस0डी0आर0एफ
	14.15—15.15	भोजनावकाश		
6	15.15—16.15	पाँचवा सत्र	Mock Drill by SDRF	
	16.15—16.30	चाय अवकाश		
7	16.30—17.15		Valedictory Session	बि0रा0आ0प्र0प्रा0

विषय–सूची

1.	बिहार की बहु–आपदा प्रवणता, अधिसूचित आपदाएँ एवं पुलिस की भूमिका : एक परिचय	1
2.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम : 2005 के महत्वपूर्ण प्रावधान	18
3.	प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में पुलिस की भूमिका	28
4.	मानव जनित आपदाएँ एवं पुलिस की भूमिका	39
5.	भीड़ नियंत्रण / प्रबंधन में पुलिस की भूमिका	58
6.	गैस व रासायनिक दुर्घटना का प्रबंधन	71
7.	सड़क सुरक्षा में पुलिस की भूमिका	83
8.	सर्पदंश प्रबंधन	92
9.	नदियों, तालाबों, नहरों एवं गड्ढों आदि में डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम	102
10.	आपातकालीन संचार तंत्र	106
11.	भूकम्प से बचाव का छद्म अभ्यास कैसे करें?	112

बिहार की बहु–आपदा प्रवणता, अधिसूचित आपदाएँ एवं पुलिस की भूमिका: एक परिचय

डॉ० गगन,
बिहार प्रशासनिक सेवा

बिहार एक बहु–आपदा प्रवण राज्य है। यह प्रदेश एक ओर प्रायः बाढ़ की विभीषिका को झेलता है तो दूसरी ओर विगत कई वर्षों से सुखाड़ आपदा ने इसके बड़े भू–भाग को अपने चपेट में लिया है। इसके अतिरिक्त अन्य प्राकृतिक आपदाओं, यथा, भूकंप, ओलावृष्टि, वज्रपात, नदियों /तालाबों/गढ्ढों अथवा अन्य जल निकायों में डूबने की घटनाएँ, अगलगी, असमय भारी वर्षा, आँधी तूफान, लू, शीतलहर आदि से समयानुसार प्रभावित होता रहा है। मानव जनित/गैर प्राकृतिक आपदायें, यथा, सड़क दुर्घटना, नाव दुर्घटना, वायु दुर्घटना, भगदड़ आदि भी बिहार में घटित होती रहती हैं। सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु के आँकड़े काफी भयावह हैः प्रति वर्ष 6000 से अधिक लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं घायलों की संख्या इससे काफी अधिक है।

हालिया दिनों में लोक कल्याणकारी राज्य के दायित्त्वों में आपदा प्रबंधन ने महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। आपदा प्रबंधन की अवधारणा में आमूल–चूल परिवर्तन होने के फलस्वरूप वर्तमान में केवल राहत एवं बचाव ही नहीं वरन् रोकथाम, शमन, पूर्व तैयारियाँ, जोखिम न्यूनीकरण, पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण पर बहुत बल दिया जा रहा है।

आपदाओं के प्रबंधन में व्यावहारिक तौर पर पुलिस प्रथम रिस्पॉन्डर की भूमिका में होती है। खोज एवं बचाव, राहत पहुँचाने में सहयोग एवं राहत के वितरण में सहयोग आपदाओं की स्थिति में विधि–व्यवस्था का संधारण, आपदा पीड़ितों के जान–माल की सुरक्षा आदि पुलिस का महत्वपूर्ण दायित्व है। पुलिस पदाधिकारियों को आपदा प्रबंधन से संबंधित शब्दावलियों, यथा– आपदा, आपदा प्रबंधन, जोखिम, भेद्वता, क्षमता संवर्द्धन, न्यूनीकरण, रिस्पॉन्स आदि के बारे में पूर्णरूपेण अवगत कराना अत्यावश्यक है। इस प्रस्तुतिकरण में इन तकनीकी शब्दों का वर्णन किया गया है। पुलिस पदाधिकारियों को न केवल खोज बचाव एवं राहत कार्यों के बारे में जानकारी दिया जाना आवश्यक है बल्कि उन्हें न्यूनीकरण के विभिन्न आयामों के बारे में भी प्रशिक्षित किया जाना भी उतना ही आवश्यक हो जाता है। कतिपय महत्वपूर्ण आपदाओं के संबंध में जानकारियों को भी साझा किया गया है, ताकि आपदाओं के प्रबंधन के कार्यों को करते समय पूर्व के अनुभवों के आधार पर पुलिस पदाधिकारियों को होने वाले संशय या दुविधाओं को दूर किया जा सके। कुछ प्राकृतिक आपदाओं, जैसे, बाढ़, आगलगी भूकम्प, आंधी–तूफान आदि में पुलिस की भूमिका ज्यादा है, जबकि सुखाड़ जैसी आपदा में सीमित है।

इसी प्रकार सड़क दुर्घटना, नाव दुर्घटना, भगदड़ आदि गैर प्राकृतिक आपदाओं में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है।

इसके मद्देनजर इस प्रस्तुतिकरण को तीन भाग में विभक्त किया जा सकता है– प्रथमतः राज्य की आपदाओं के प्रति प्रवणता/अधिसूचित आपदाएं, द्वितीयतः आपदा प्रबंधन के तकनीकी शब्दावलियों की व्याख्या एवं तृतीयतः इन आपदाओं के प्रबंधन में पुलिस की भूमिका का संक्षिप्त विवरण ।

बिहार राज्य की आपदाओं के प्रति प्रवणता

इस प्रस्तुतिकरण में बिहार राज्य के विभिन्न आपदाओं के प्रति प्रवणता के बारे में संक्षिप्त परिचय सचित्र दिया गया है। उदाहरणस्वरूपः–

बिहार राज्य की बाढ़ प्रवणता –

राज्य में, विशेषकर उत्तरी बिहार में, नदियों का जाल बिछा हुआ है जिनमें कोशी, गंडक, बागमती, महानन्दा, अधवारा समूह की नदियां, कमला–बलान, बूढ़ी गंडक प्रमुख हैं। इसके कारण मानसून के मौसम में सामान्य से अधिक वर्षापात होने से जल–प्लावन की स्थिति उत्पन्न होती है, जो बाढ़ प्रवणता को बढ़ाती है। उत्तरी बिहार की सभी नदियों का जलग्रहण क्षेत्र हिमालय के तराई एवं नेपाल में होने के कारण नेपाल में होने वाली वर्षा के फलस्वरूप इन नदियों में बाढ़ आती है। बाढ़ के दृष्टिकोण से कोशी नदी को ''बिहार का शोक'' कहा जाता है। दक्षिण बिहार में सोन, पुनपुन, फल्गू जैसी नदियाँ दक्षिण से उत्तर की ओर से बहती है। उत्तर एवं दक्षिण बिहार से बहने वाली नदियाँ अंततः गंगा नदी में मिल जाती है जो पश्चिम से पूरब की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा होने से गंगा नदी में बाढ़ आती है।

उत्तर बिहार का 76 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल बाढ़ प्रवण है। गंगा, घाघरा, गंडक, बागमती, अधवारा समूह, कोशी, महानंदा आदि नदियों का बेसिन उत्तरी बिहार (नदी क्षेत्र) में अवस्थित है, जबकि दक्षिण बिहार में सोन–कर्मनाशा, पुनपुन, सकरी आदि नदियों के बेसिन हैं।

(कृपया नीचे अंकित River Basin से संबंधित नक्शा देखे)

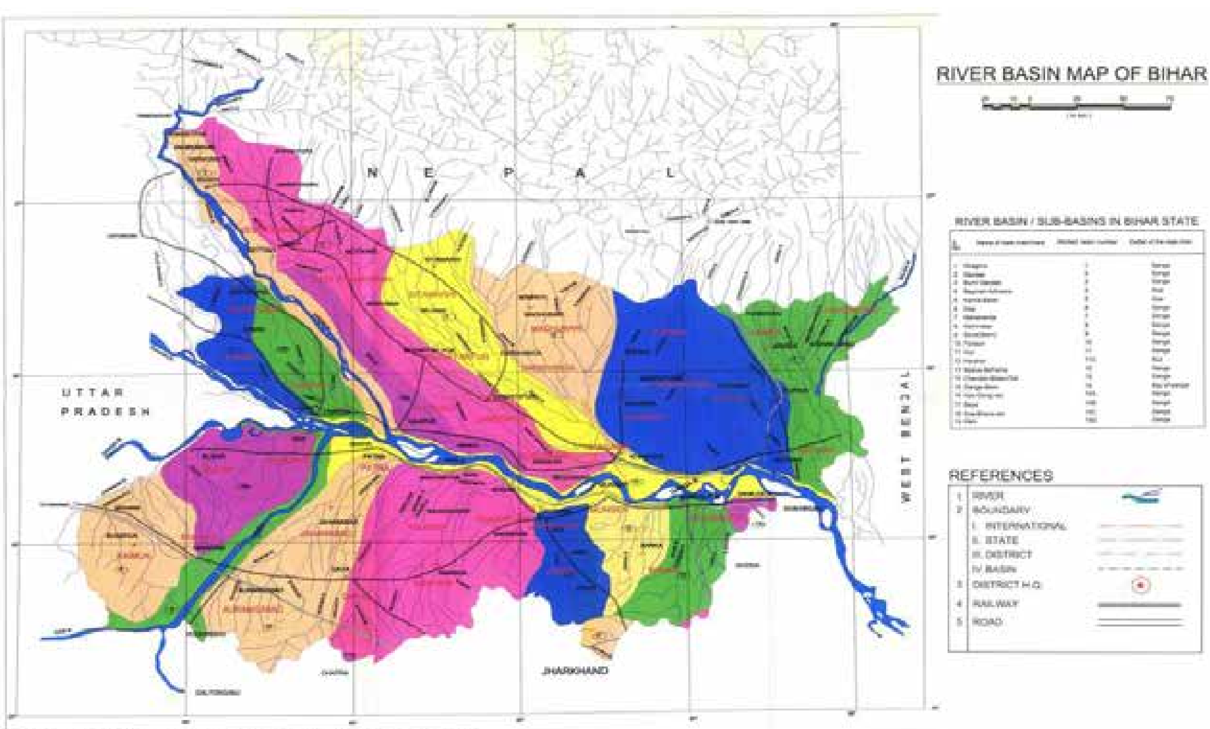

राज्य के 38 जिलों में से 28 जिले बाढ़ प्रवण माने गए है, जो नीचे के मानचित्र में नीले रंग से दर्शाये गए हैं। इनमें से 15 जिलें अतिबाढ़–प्रवण जिले अर्थात् बाढ़ से ज्यादा प्रभावित होने वाले माने गए हैं जिन्हें गहरे नीले रंग से दर्शाया गया है।

राज्य की भूकम्प प्रवणता–

संपूर्ण बिहार राज्य भूकंप के प्रति संवेदनशील है। राज्य के 8 जिले, यथा, मधुबनी, सुपौल पूर्णतः तथा अररिया, सीतामढ़ी, मधेपुरा, किशनगंज, सहरसा एवं दरभंगा अंशतः भूकम्पीय जोन 5 के अंतर्गत आते है, जिन्हें गहरे कत्थई रंग से नीचे के मानचित्र में दर्शाया गया है। पटना सहित पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, गोपालगंज, सारण, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, बेगूसराय, नालंदा, नवादा, शेखपुरा आदि 24 जिले भूकम्पीय जोन 4 के अन्तर्गत आते है, जिन्हें लाल रंग से दर्शाया गया है। गया सहित दक्षिण बिहार के शेष 6 जिले भूकम्पीय जोन 3 के अन्तर्गत आते हैं, जिन्हें गुलाबी रंग से दर्शाया गया है।

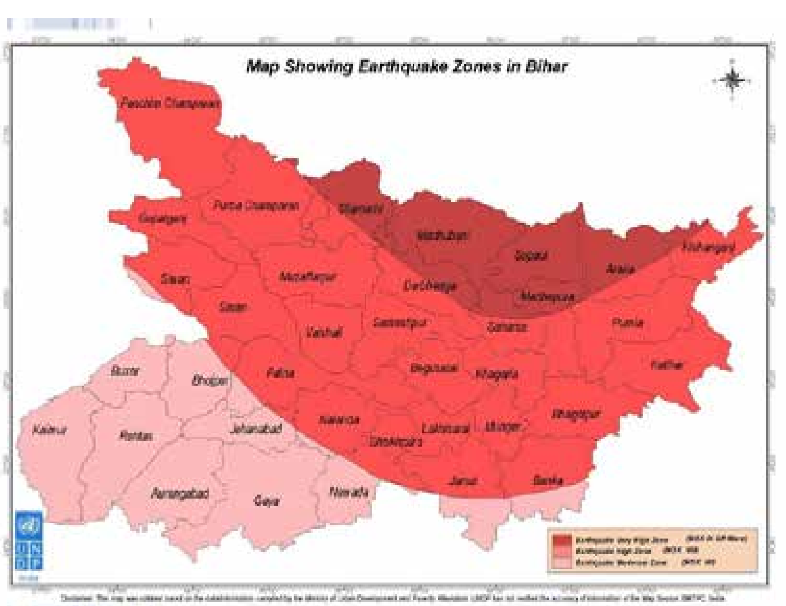

राज्य में चक्रवाती तूफान/आंधी तूफान के प्रति प्रवणता –

लगभग संपूर्ण बिहार मार्च से मई महीने के बीच चक्रवाती तूफान/आंधी तूफान से प्रभावित होता रहता है।

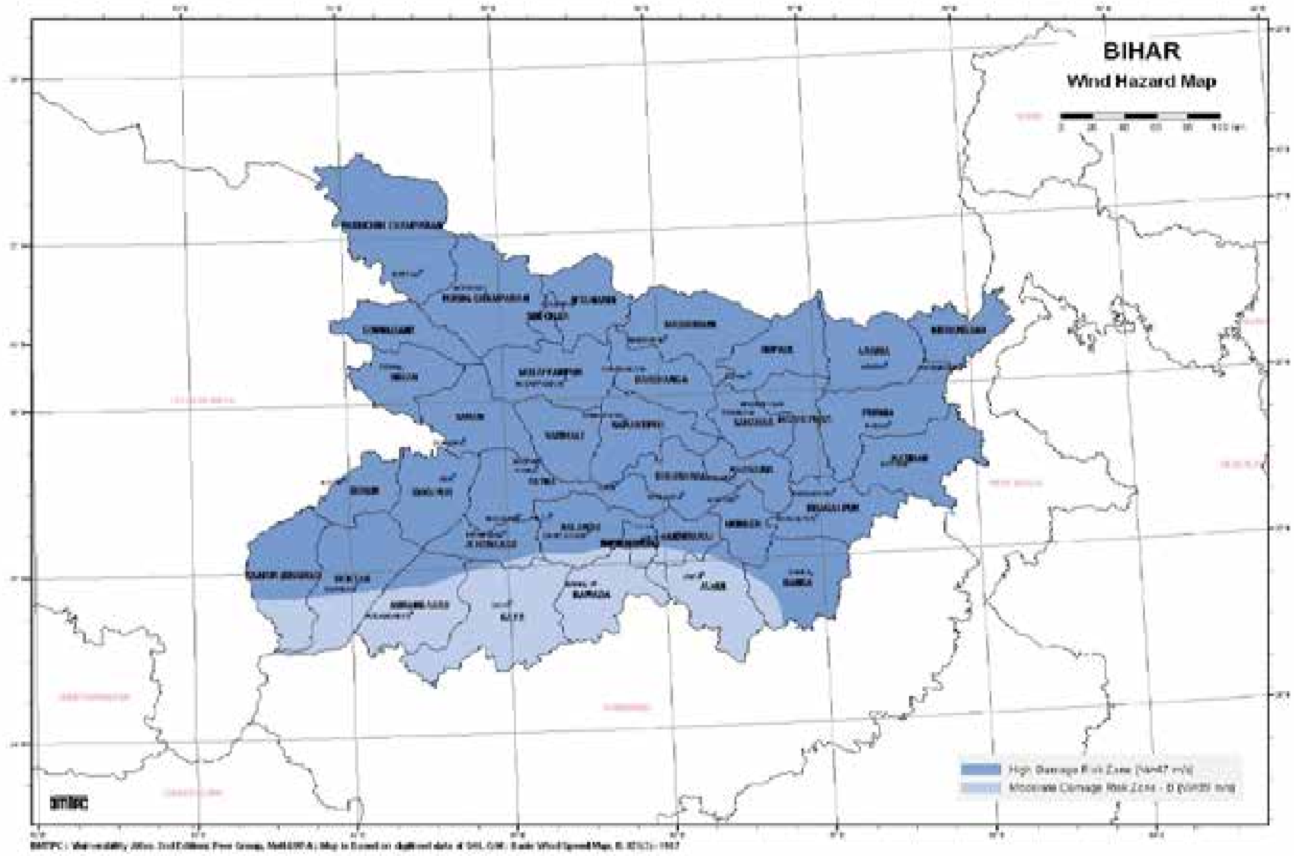

बिहार राज्य में घटित प्रमुख आपदाएँ –

कोशी, 2008 –कोशी नदी में आई बाढ़ एक राष्ट्रीय आपदा थी। इसमें 5 जिले, 35 प्रखंड एवं लगभग 1000 गांव प्रभावित हुए थे। मानक संचालन प्रक्रिया एवं अन्य दस्तावेज नहीं होने के बावजूद राज्य सरकार के द्वारा स्वतः स्फूर्त्त बड़े स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य चलाया गया, जिसमें लगभग 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचया गया । इस कार्य में थल सेना, जल सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के अतिरिक्त पुलिस बल के 3500 कर्मी संलग्न थे।

परन्तु बिहार राज्य में शायद ही कोई ऐसा वर्ष रहा जिसमें आपदाओं ने जन समुदाय को कुप्रभावित न किया हो। उदाहरणस्वरूप :–

आपदा	घटित होने का वर्ष
बाढ़	2007 (अतिवृष्टि के कारण), 2008 (कोशी बाढ़), 2012 (फ्लैश फ्लड), 2016, 2017
सुखाड़	2009(26 जिले), 2010 (28 जिले), 2013(33 जिले), वित्तीय वर्ष 2018–19 (25 जिलों में 280 प्रखंड)
भूकम्प	1934, 1987, 2015
चक्रवाती तूफान	2010, 2015
अगलगी	प्रतिवर्ष

नाव दुर्घटना	प्रति वर्ष
सड़क दुर्घटना	प्रति वर्ष। वर्ष 2016 में मधुबनी में हुई एक बस दुर्घटना में 23 लोग मारे गए थे। वर्ष 2018 में 6700 व्यक्तियों के मरने का आँकड़ा राज्य के अपराध अनुसंधान विभाग ने संकलित किया है।
भगदड़	2012 एवं 2014 में क्रमशः पटना छठ पूजा में तथा रावण दहन के समय गांधी मैदान, पटना में ।

अधिसूचित आपदाएँ

बिहार राज्य ऊपर उल्लेखित विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक एवं गैर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होता है, परन्तु सभी प्रकार की आपदाएं केन्द्र अथवा राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित आपदाओं की श्रेणी में नहीं आती हैं। अधिसूचित आपदाएं वैसी आपदाएं है जिनके राहत एवं बचाव कार्यों के लिए केन्द्र अथवा राज्य सरकार राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि अथवा राज्य आपदा रिस्पॉन्स कोष से राशि व्यय करने के लिए अधिसूचना जारी करती है। उल्लेख्य है कि वित्त आयोग की अनुशंसा पर केन्द्र एवं राज्य सरकार के बीच केन्द्रीय करों का बंटवारा होता है। आपदाओं के प्रबंधन के लिए राज्य स्तर पर गठित राज्य आपदा मोचन कोष में केन्द्र एवं राज्य सरकार का अंशदान क्रमशः 75:25 होता है। राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष केन्द्रीय स्तर पर गठित है जिसमें केन्द्र सरकार राशि का अंशदान करती है। बड़ी आपदाओं में राज्य सरकार के मेमोरैंडम के आधार पर इस कोष से राज्य को आपदा प्रबंधन हेतु अतिरिक्त राशि मिलती है। केन्द्र सरकार के द्वारा निम्न 12 आपदाएं अधिसूचित की गई हैं –

अधिसूचित प्रकृति की आपदाएं (भारत सरकार)

बिहार राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाएं

14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्रांक – 33–4/2015–NDM-1 दिनांक – 20.03.2015 के आलोक में बिहार सरकार ने विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं को अधिसूचित किया है। वर्ष 2015 में पहली बार विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं को अधिसूचित करने क्रम में इन आपदाओं को शामिल किया गया :– वज्रपात, लू, अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा एवं असमय भारी वर्षा), नाव दुघर्टना, नदियों/तालाबों/गड्ढों में डुबने से होने वाली मृत्यु, मानव जनित सामूहिक दुर्घटना यथा– सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस का रिसाव। विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से होने वाली जान–माल की क्षति में SDRF/NDRF द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मानदर के अनुरूप 10 प्रतिशत की सीमा तक अनुग्रह अनुदान एवं अन्य अनुदान देय है।

उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण के द्वारा वर्ष 2016 में छठ के समय डूबने से हुई मौतों की घटनाओं का अध्ययन कराया गया था। उक्त वर्ष छठ के दौरान जिलावार डूबने से होने वाली मानव क्षति की संख्या निम्नवत हैः–

क्र०	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	डुबने से होने वाली मृत्यु की संख्या
1	पटना	बाढ़ (3), अथमलगोला (1), संपतचक (2), दुल्हिनबाजार (2) और विक्रम (1)	9
2.	समस्तीपुर	विद्यापतिनगर (1), दलसिंहसराय (3), सिंघिया (1)	5
3.	मुजफ्फरपुर	मुसहरी (3), कुढ़नी (2)	5
4.	भागलपुर	सुल्तानगंज (1), नाथनगर (2) कहलगांव (1)	4
5.	पूर्णिया	बनमनखी (1), धमदाहा (1), बी. कोठी (1), पूर्णिया पूर्वी (1)	4
6.	खगड़िया	चौथम (3)	3
7.	सहरसा	बनमा ईटाढ़ी (1), सलखुआ (1)	2
8.	मधेपुरा	चौसा (1) उदाकिशुनगंज (1)	2
9.	नालंदा	सरमेरा (1), हरनौत (1)	2
10.	किशनगंज	दिघलबैंक (1)	1
11.	सुपौल	भेलही वार्ड नं० 19 (1)	1
12.	दरभंगा	दक्षिण बहेरी (1)	1
13.	कटिहार	मनीहारी (1)	1
14.	अरवल	कुर्था (1)	1

15.	भोजपुर	संदेष	1
16.	लखीसराय	लखीसराय	1
17.	बक्सर	ब्रह्मपुर	1
18.	मुंगेर	बरियारपुर	1
19.	गया	गुरूआ	1
	Total		47

छठ पर्व के अतिरिक्त राज्य में प्रायः नदियों/तालाबों/नहरों में स्नान, पर्व–त्यौहार एवं दैनिक कार्यकलापों के दौरान डूबने की घटनाओं में बड़ी संख्या में मृत्यु होती है।

आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा पत्रांक–1891 दिनांक 16.07.2018 द्वारा स्थानीय प्रकृति की आपदा के अन्तर्गत आंधी तूफान एवं नहरों में हुई मृत्यु को शामिल किया गया, वहीं पत्रांक – 320 दिनांक 01.02.2019 के द्वारा किसी भी जल स्त्रोत में डुबने से होने वाली मृत्यु को शामिल किया गया है।

आपदा प्रबंधन से संबंधित शब्दावलियों की व्याख्या

आपदा

''आपदा से किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवकृत घटनाओं से या दुर्घटना या उपेक्षा से उद्भूत ऐसी कोई महाविपत्ति, अनिष्ट, विपत्ति या घोर घटना अभिप्रेत है जिसका परिणाम जीवन को सारवान, हानि या मानवीय पीड़ाएँ, या संपत्ति का नुकसान और विनाश या पर्यावरण का नुकसान या अवक्रमण है और ऐसी प्रकृति या परिमाप का है, जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय का सामना करने की क्षमता से परे हो। (स्रोतः आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 2 की उपधारा (d))

सुलभ संकेत हेतु अंग्रेजी पाठ्य का अध्ययन प्रासंगिक है :–

According to DM Act 2005 (U/S (2)(d))-

"Disaster means a catastrophe, mishap, calamity, or grave occurrence in any area arising from natural and made man causes, or by accident or negligence which results in substantial loss of life or human suffering or damage to, and destruction of, property or damage to, or degradation of, environment, and is of such as nature or magnitude as to be beyond the coping capacity of the community of the affected area".

आपदा प्रबंधन – आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (म) के अनुसार –

“Disaster management means a continuous and integrated process of planning, organising, coordinating and implementing measures which are necessary and expedient for - (i) Prevention of danger or threat of any disaster, (ii) mitigation or reduction of risk of any disaster or its severity or consequences (iii) Capacity building (iv) Preparedness to deal with any disaster; (v) Prompt response to any threatcning disaster Situation or disaster, (vi) Assessing the severity or magnitude of effects of any disaster, (vii) Evacuation, rescue and relief, (viii) Rehabilitation and reconstruction“

स्पष्ट है कि आपदा प्रबंधन किसी एक एजेंसी द्वारा क्रियान्वित होने वाला एक आयामी कार्य नहीं है, वरन आपदाओं के प्रबंधन बहुआयामी (Multi-dimensional), बहु–घटकीय (Multi Component) क्रियाकलापों का पारस्परिक संबंधन (Inter relationship) है। इसमें सरकारी, गैर–सरकारी संगठन, स्थानीय निकाय, पुलिस, समुदाय, मीडिया आदि विभिन्न सहभगियों के सहयोग एवं समन्वय की आवश्यकता होती है। इस प्रकार आपदा प्रबंधन बहु–हितभागी (Multi stakeholder), बहुआयामी (Multi-dimensional) तथा बहुघटकीय (Multi-component) प्रक्रिया है। इसलिये आपदा प्रबंधन में आकस्मिक प्रबंधन (Emergency Management) शामिल है। यह एक बार में संचालन होने वाले कार्य नहीं है, बल्कि एक सतत् प्रक्रिया है। आपदाओं से पूर्व, आपदाओं के दौरान तथा आपदाओं के पश्चात् किये जाने वाले विभिन्न अन्योन्याश्रित (Inter dependent) तथा परस्पर संबंधित (Inter Related) क्रिया कलापों को आपदा प्रबंधन कहा जाता है तथा इन्हीं कारणों से आपदा प्रबंधन को एक चक्रीय प्रक्रिया (Cyclical Process) के रुप में दर्शाया गया है, जिसे आपदा–प्रबंधन चक्र (Disaster Management Cycle) कहा जाता है।

(आपदा प्रबंधन चक्र का रेखाचित्र)

आपदा प्रबंधन चक्र में शामिल क्रिया–कलापों, यथा रोकथाम, शमन, पूर्व तैयारियों, न्यूनीकरण, रिस्पांस, राहत, पुनर्वास तथा पुर्नस्थापन को सुविधानुसार कार्य समूहों (Group Activity) में बाँटा जाता है। कुछ विद्वान इन सात क्रिया–कलापों को चार चरणों में विभक्त करते है – प्रथम चरण में रोकथाम एवं न्यूनीकरण, द्वितीय में पूर्व तैयारियाँ, तीसरे में रिस्पांस तथा चौथे में पुनर्प्राप्ति (Recovery) को शामिल करते है। क्रिया कलापों के विभाजन में भिन्नता हो सकती है, परन्तु आपदाओं के प्रबंधन में किये जाने वाले कार्यो के प्रकृति में कोई अंतर नहीं है तथा उसका उद्देश्य स्पष्टतः जान–माल का क्षति को रोकना/प्रभाव को कम करना है।

रोकथाम, शमन, जोखिम–न्यूनीकरण पूर्व तैयारियाँ जैसे क्रिया कलाप आपदाओं से पूर्व किये जाते हैं। उनका उद्देश्य आपदा की रोकथाम एवं आपदा जोखिम को कम करना होता है। विशेषज्ञों के द्वारा ''आपदा जोखिम न्यूनीकरण ''(Disaster Risk Reduction) तथा पूर्व तैयारी पर काफी बल दिया जा रहा है।

रिस्पांस (अनुक्रिया) तथा राहत–बचाव कार्य आपदा घटित होने अथवा आपदाओं की आसन्नता के दौरान किये जाते है। इन्हें आकस्मिकता प्रबंधन (Emergency Management) कहा जाता है।

पुनर्वास, पुनर्स्थापन (Rehabilitation, Restoration and Reconstruction) के कार्य आपदाओं के खत्म हो जाने के बाद उनसे हुए नुकसान की भरपाई के लिए किये जाते हैं। दुनिया भर में आपदाओं के बाद किए जाने वाले पुनर्निर्माण को Build Back Better आधार पर किए जाने की दृष्टि उभरी है ताकि भविष्य के नुकसानों को कम किया जा सके।

सभी घटकों को मिलाकर आपदा जोखिम प्रबंधन या आपदा प्रबंधन कहा जाता है।

रोकथाम (**Prevention**)
(**Direct Avoidance of Risk**)

आपदा जोखिम के सीधे तौर पर रोकना या उसके कारको को बाधित करना ही रोकथाम है। उदाहरणस्वरुप–टीकाकरण के माध्यम से विभिन्न संक्रमणीय बीमारियों (Encephalitis) आदि को रोका जा सकता है। बैक्टिरिया को टीकाकरण के सहयोग से सीधे तौर पर रोका गया है। यह रोकथाम की प्रक्रिया है। बाँधो तथा चेकडैम बनाकर नदियों के बहाव को मोड़ना भी रोकथाम का उदाहरण है। पुलिस की भूमिका के परिप्रेक्ष्य में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उपाय करना, भीड़ का नियंत्रण करना आदि ''रोकथाम'' के दृष्टांत हो सकते है।

पूर्व तैयारियॉ (Preparedness)
(Planning to response)

आपदाओं से निपटने के लिये योजनावद्ध तरीके से तैयारियॉ करना जैसे–सामग्रियों/ संसाधनों की अधिप्राप्ति, मानव बल को प्रशिक्षित करना, मॉकड्रिल/पूर्व अभ्यास करना, पूर्व चेतावनी तंत्र विकसित करना आदि पूर्व तैयारियों के घटक हो सकते है। उदाहरणस्वरुप– बाढ़ आपदा से निपटने के लिये मानक संचालन प्रक्रिया के आलोक में प्रतिवर्ष उच्चतम स्तर पर आवश्यक सामग्रियों– नाव, लाईफ जैकेट, पॉलिथिन शीट्स, टेन्ट्स, महाजाल, GPS सेट, सैटैलाईट फोन, मानव दवाओं/पशु दवाओं, पशुचारा, खाद्यान्न की उपलब्धता, चापाकल की स्थिति, वर्षामापक यंत्र की स्थिति आदि की समीक्षा कर तैयारी सुनिश्चित करायी जाती है। पुलिस के दृष्टिकोण से भूकम्प का मॉकड्रिल पूर्व तैयारियों का उदाहरण हो सकता है।

शमन (**Mitigation**)

आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (i) के अनुसार "Mitigation means measures aimed at reducing the risk, impact or effects of a disaster or threatening disaster mitigation".

आपदाओं के कुप्रभावों को कम करने की क्रिया को शमन या आपदा जोखिम न्यूनीकरण कहा जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अधिकांश आपदाओं को रोकना वर्तमान परिस्थिति में संभव नहीं है, परन्तु जन जागरुकता फैलाकर, सामाजिक आर्थिक एवं अन्य भेद्यताओं का विश्लेषण कर, उन्हें घटाकर आपदाओं के कुप्रभाव को कम किया जा सकता है। उदाहरणस्वरुपः– आपदारोधी तकनीक से

निर्मित भवन भूकंप/बाढ़ आदि में सुरक्षित रहते है तथा भूकंप/बाढ़ आने पर भी उसका उन भवनों में रहने वाले लोगों पर कम प्रभाव पड़ता है।

इसके लिये आवश्यक है कि नीति/योजनाओं तथा कार्यक्रमों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तकनीकों/उपायों को समाहित कर विकास को टिकाऊ बनाया जाए तथा आपदा प्रबंधन को विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। इस प्रक्रिया को मुख्य धारा में समावेश (Main streaming DRR) के रुप में जाना जाता है। बिहार सरकार ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिये एक विस्तृत कार्यक्रम "आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015–30" के नाम से तैयार किया है, जिसका क्रियान्वयन प्रगति पर है। इस रोडमैप में 27 विभागों/एजेन्सियों को सुपरिभाषित दायित्व सौंपे गए हैं।

अर्थात् miligation चरण से ही पुलिस की भूमिका प्रारंभ हो जाती है। विशिष्ट वेश–भूषा तथा पारंपरिक महत्व के कारण पुलिस के द्वारा दिये गये निदेश का लोगों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। अतः जन–जागरूकता के कार्यक्रमों में पुलिस पदाधिकारियों के सक्रिय भूमिका से बेहतर संवाद प्रेषण हो सकता है।

अनुक्रिया (**Response**)
(**Efforts to minimize the hazards created by a disaster**)

आपदा के घटित होने के दौरान राहत एवं बचाव के प्रयास को रिस्पांस के रुप में जाना जाता है। खोज एवं बचाव, राहत तात्कालिक चिकित्सीय सहायता, घायलों का उपचार, पशु प्रबंधन आदि रिस्पांस के घटक हैं। त्वरित रिस्पांस से गंभीर रुप से घायलों की जान बचायी जा सकती है। उक्त परिप्रेक्ष्य में चिकित्सा क्षेत्र से लिया गया 'स्वर्णिम घंटा (Golden Hour) की अवधारणा अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। आपदा के रिस्पांस के लिए प्रशिक्षित मानवबल की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि 60 मिनट के अंदर घायल व्यक्ति को निकटतम चिकित्सीय सुविधा केन्द्र/अस्पताल आदि में पहुँचा दिया जाए ताकि घायल व्यक्ति की जान बच सके। यदि प्रशिक्षित बल अस्पताल, पूर्व प्राथमिक चिकित्सा करने में सक्षम होगा तो मानव क्षति काफी हद तक कम किया जा सकता है।

उसके लिये बेहतर पूर्व तैयारियाँ, जैसे, चिकित्सा सुविधा युक्त वाहन, बाढ़ की स्थिति में नावों की उपलब्धता तथा उनके परिनियोजन की व्यवस्था, चिकित्सा रिस्पांस प्रशिक्षित कार्यबल, समुदाय के सहयोग आदि अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। उदाहरण– "फाईलीन/फणी" 'समुद्री तूफान से पूर्व उड़ीसा तथा आंध्रप्रदेश में लाखों लोगों के प्रभावित होने वाले स्थानों से निष्कासित कर सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाना रिस्पांस का अच्छा उदाहरण है। पुलिस की भूमिका के दृष्टिकोण से यह चरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपदाओं के समय SDRF/NDRF को रेस्पॉन्स में सहयोग करना, अगलगी के समय अग्नि दस्ता का सहयोग आदि पुलिस के महत्वपूर्ण कार्य है।

राहत कार्य (**Relief**)
(Making available Basic necessities to disaster victim)

आपदा के दौरान एवं पश्चात् भी आपदा पीड़ितों को भोजन–आवासन, पेयजल, चिकित्सीय सुविधा, दवाएँ, पशुओं के शिविर, मुफ्त साहाय्य (Gratuitous Relief) एवं अन्य सहायता राशि/सामग्रियों का मानवतावादी (Humantarian) सिद्वांतों पर आधारित संवितरण आदि कार्यो को राहत की श्रेणी में शामिल किया गया है। राहत रिस्पांस का ही घटक है।

गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक पाँच वर्षों के अंतराल पर (संबंधित आनुषांगिक वित्त आयोग की कार्य अवधि के लिए) प्राकृतिक आपदाओं अथवा विशिष्ट प्राकृतिक की स्थानीय आपदाओं से प्रभावित परिवारों/व्यक्तियों को साहाय्य मुहैय्या कराने हेतु मानदर निर्धारित किया जाता है। इसमें अनुग्रह/मृतक अनुदान, घायलों के उपचार के लिये अनुदान, अंग–भंग होने/क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में अनुदान, राहत कार्य, यथा, अस्थायी आवासन (Camp) भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सेवा, आकस्मिक पेय जल आपूर्ति, प्रभावित क्षेत्रों की सफाई, फसल अनुदान/कृषि सब्सिडी, डीजल सब्सिडी, नदियों एवं कृषि योग्य भूमि पर से गाद हटाने के लिये अनुदान, आजीविका के साधनों जैसे–पशुओं, मुर्गियों, मछलियों आदि के क्षतिग्रस्त होने पर अनुदान, नाव, जाल आदि के क्षतिग्रस्त होने पर अनुदान शामिल होता है। साथ ही त्वरित पुनर्स्थापन (Immediate Restoration) के कार्य जैसे–टेलीफोन लाईन, क्षतिग्रस्त पुल–पुलिया को पुनः चालू करना आदि भी शामिल हैं, परन्तु राष्ट्रीय/राज्य आपदा राहत कोष की राशि से पुनर्निर्माण का कार्य नहीं कराया जा सकता है। बिहार सरकार ने आपदा प्रबंधन विभाग के पत्र संख्या–1973 दिनांक–26.05.2015 के माध्यम से वर्ष 2015–2020 के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय प्राकृतिक की आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों, परिवारों को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित निर्धारित सहायक मानदर को 01.04.2015 से लागू करने का निर्णय लिया है। (आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के विभागीय वेबसाईट www.disastermgnt.bih.nic.in पर वर्तमान में बिहार राज्य में लागू सहाय्य मानदर को देखा जा सकता है)।

पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास **(Restoration and Rehabitation)**

(Immediate Restoration of infrastructure like- electric supply lines, Transportation route, Telecommunication etc and Rehabitation of the lost means of livelihood)

आपदा पश्चात् क्षत–विक्षत आधारभूत संरचना, यथा, विद्युत आपूर्ति के साधन (ट्रांसफॉरमर, विद्युत पोल/तार आदि), क्षतिग्रस्त सड़क/पुल–पुलिया, सड़कों, टेलीफोन के टॉवर एवं तार आदि को त्वरित गति से दुरुस्त कर पुनः चालू करना एवं जन सामान्य को मूल भूत सुविधाएॅ पहॅुचाने के कार्य पुनर्स्थापन के कार्यों की श्रेणी में आते है।

आपदा पीड़ितों के आजीविका के साधनों, यथा, कृषि कार्य, पशुपालन, मुर्गीपालन, बकरीपालन, मत्स्य पालन, बागवानी आदि की क्षति का आकलन कर इनक कार्यों में संलग्न व्यक्तियों/परिवारों/समुदायों को साहाय्य उपलब्ध कराकर आजीविका के साधनों को पुनः बहाल करने का कार्य पुनर्वास या पुनर्वासन की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण का भी त्वरित आकलन कर उनके पुनर्स्थापन के लिये लंबी अवधि की आवश्यकता होती है। लंबी अवधि में किये जाने वाले कार्यों को पुनर्निर्माण की श्रेणी में रखा गया है।

वस्तुतः रिस्पांस के समय ही शुरूआती पुनर्स्थापन/पुनर्वासन का कार्य प्रारंभ हो जाता है। पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन दोनों श्रेणी के कार्य को प्रारंभिक पुनप्राप्ति (Early Recovery) का अंग माना गया है। आपदा के तुरंत बाद त्वरित गति से इन कार्यों को किया जाता है ताकि समुदाय को सामान्य स्थिति में लाकर जन–जीवन को आपदा से पूर्व की स्थिति में लाया जा सके।

पुनर्निर्माण (Reconstructuion) (Build Back Better)

आपदाओं के प्रभावों की विवेचना कर उनसे सीख एवं अंतर्दृष्टि प्राप्त कर पूर्व से बेहतर निर्माण हेतु दीर्घकालीन योजनाओं के क्रियान्वयन को पुनर्निर्माण कहा जाता है। दूसरे शब्दों में दीर्घकालीन पुनर्वासन की वह प्रक्रिया जिसमें समुदायों का आवश्यकतानुसार आंशिक अथवा पूर्ण रुपेन स्थानान्तरण (Relocation) तथा आधारभूत संरचनाओं का नये सिरे से निर्मित किया जाता है ताकि भविष्य में आपदाओं की स्थिति में कम से कम क्षति हो तथा वर्तमान में समुदाय पूर्णतः आपदा से पूर्व की स्थिति में आकर अपने समाजिक एवं आर्थिक कार्यों का सुगमता से निष्पादन कर सके। पुनर्निर्माण दुनिया भर में 'Build Back Better" के सिद्वांतों पर किया जा रहा है।

जैसे की पूर्व में वर्णित है प्रारंभिक पुनर्प्राप्ति की प्रक्रिया (Early Recovery) रिस्पांस के चरण में आपदा के घटित होने के तुरंत बाद प्रारंभ हो जाती है। रिस्पांस के लिये सड़क/पुल–पुलिया, टेलीफोन/विद्युत के तार एवं खम्भों को दुरुस्त करना आवश्यक होता है। आपदा के पश्चात् अल्प अवधि में इन्हीं कार्यों का विस्तार पुनर्वासन/पुनर्स्थापन कहलाता है, परन्तु जब दीर्घकालीन अवधि के लिये आपदाओं से प्राप्त सीख के आधार पर बड़ी योजनाओं तथा कार्यक्रम के द्वारा आपदा जोखिम को कम करने का प्रयास किया जाता है तो इसे पुनर्निर्माण के श्रेणी में रखा जाता है। पुनर्निर्माण के कार्य विकासात्मक कार्यों का हिस्सा हो सकता है तथा यह प्रक्रिया मेनस्ट्रीमिंग ऑफ डी0आर0आर0 का भी हिस्सा बन जाती है। निष्कर्ष पुनर्स्थापन–पुनर्निर्माण–विकास–सतत् विकास की श्रृंखला एक सातत्य (Continuum) को जन्म देती है। आपदा के विकासात्मक पक्ष अर्थात ऐसी विचारधारा कि आपदाएँ विकास कार्य के लिये दूरदृष्टि प्रदान करती है, इस सातत्य पर पूरा बल देता है और यह बहुत हद तक सत्य भी साबित होता रहा है।

उदाहरणस्वरुपः–वर्ष 2008 में कोसी नदी में आई बाढ़ विभीषिका में बिहार सरकार को बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण समिति (BAPEPS) को गठित कर युद्ध स्तर पर आपदा से संबंधित योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रेरित किया। अनेक बड़े–बड़े पुलों का निर्माण हुआ। बाढ़ आपदा के प्रबंधन के लिये मानव संचालन प्रक्रिया गठित कर बाढ़ के पूर्व, बाढ़ के दौरान तथा बाढ़ के पश्चात् की जाने वाली कारवाईयों को चिन्हित किया गया। इसमें विशेष कर सामग्रियों की अधिप्राप्ति तथा मानवबल के प्रशिक्षण पर बल दिया गया है। विभिन्न विभागों के द्वारा (योजना विभाग, स्वास्थ विभाग) परिपत्र जारी किया गया है जिनमें आपदारोधी तकनीकों का प्रयोग विकास के कार्य में करने हेतु आदेश दिये गये हैं।

खतरा (Hazard)

वैसी कोई भी चीज, वस्तु या स्थिति जिसमें क्षति पहुचाने की संभावना हो, उसे खतरा (Hazard) कहां जाता है। खतरा एक संभावित क्षति की स्थिति (Potential Threat) है। उदाहरण स्वरूप– नदी, तालाब, नालियां, गढ्ढे, आदि खतरा के श्रेणी में आते हैं लेकिन जबतक उत्प्रेरक (trigger mechanisam) उपलब्ध नहीं हो, इससे कोई हानि या क्षति नहीं होती है।

जोखिम (Risk)

खतरों पर उत्प्रेरक के क्रियाशील होने के पश्चात् होने वाली क्षतियों, यथा, मानव क्षति, संपत्तियों की हानि, आजीविका का नष्ट होना, आर्थिक क्रिया–कलापों में बाधा उत्पन्न होना आदि जोखिम की श्रेणी में आते हैं।

भेद्यता (Vulnerability)

किसी भी व्यक्ति या समुदाय की ऐसी विशेषता जिसके कारण वे खतरों के प्रति संवेदनशील/कमजोर हो जाते है, उनकी भेद्यता कहलाती है। जानकारी का अभाव, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, तकनीकी पहुंच का कम होना आदि भेद्यता के विभिन्न प्रकार है।

क्षमता संवर्द्धन (Capacity Building)

आपदा प्रबंधन अधिनियम अनुसार आपदाओं के प्रबंधन के लिए विद्यमान संसाधनों का चिन्हिकरण एवं आवश्यक सामग्रियों की अधिप्राप्ति, मानव बल का प्रशिक्षण तथा सामग्री–मानव बल समन्वय को क्षमता संवर्द्धन कहां गया है। उदाहरणस्वरूप जन–जागरूपता कार्यक्रम, विशिष्ट खतरों के लिए विशेष प्रकार के सामग्रियों की अधिप्राप्ति तथा उनके उपयोग के लिए मानव बल का प्रशिक्षण क्षमता संवर्द्धन की श्रेणी में आता है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 2 की उपधारा **(b)** के अनुसार **"Capacity building includes"-**

(i) Identification of existing resources and resources to be acquired or created,

(ii) Acquiring or creating resources identified under sub-clause (i),

(iii) Organisation and training of personnel and coordination of such training for effective management of disasters".

आपदा प्रबंधन में पुलिस की भूमिका :– राज्य में आने वाली आपदाओं के समय त्वरित रिस्पाँस करना तथा रिस्पाँस की प्रक्रिया में विभिन्न एजेन्सियों को सहयोग प्रदान करना पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है। गृह विभाग एवं पुलिस की भूमिका को राज्य सरकार द्वारा गठित विभिन्न दस्तावेजों, यथा, बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप–2015–30, राज्य आपदा प्रबंधन योजना, जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं तथा मानक संचालन प्रक्रियाओं में उल्लेखित किया गया है। सड़क दुर्घटना, नाव दुर्घटना, अग्निकांड, भगदड़, इमारतों के ढहने आदि आपदाओं के समय प्रभावितों की खोज एवं बचाव करना, राहत पहुँचाना, आवश्यकतानुसार प्राथमिकी दर्ज करना, विधि व्यवस्था संधारण आदि में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अतिरिक्त बाढ़ से पूर्व तटबंधों की सुरक्षा, बाढ़ के दौरान राहत बचाव तथा निष्क्रमित आबादी क्षेत्रों में घरों की सुरक्षा में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है।

बिहार पुलिस मैनुअल में सामान्य रूप से विधि व्यवस्था का संधारण एवं अपराधों की रोकथाम तथा अनुसंधान पुलिस का प्राथमिक कार्य है। आपातकालीन स्थितियों में जान–माल की सुरक्षा प्रदान करना भी इसमें शामिल है। आपदा प्रबंधन के कार्यों में अवधारणा परिवर्तन के पश्चात् रोकथाम, पूर्व तैयारियों एवं न्यूनीकरण के कार्यों पर बल दिया गया है। ऐसी इस स्थिति में पुलिस के प्राथमिक (Core) कार्यों के अतिरिक्त सहायक (Auxiliary) कार्य भी महत्वपूर्ण हो गए है, जिनका उल्लेख मानक संचालन प्रक्रियाओं/राज्य आपदा प्रबंधन योजना/बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप– 2015–30 में किया गया है। इन दस्तावेजों के आधार पर पुलिस की भूमिका को निम्नानुसार रेखांकित किया जा सकता है –

क्र0सं0	आपदा का प्रकार	पुलिस के लिए चिन्हित भूमिका
1	बाढ़	बाढ़ आपदा पूर्व– • तटबंधों की सुरक्षा के लिए पेट्रॉलिंग/गश्ती की व्यवस्था करना। • बाढ़ से प्रभावित जनसंख्या को निष्क्रमण के पश्चात् आवासित करने हेतु चिन्हित सुरक्षित स्थलों/आश्रय स्थलों की व्यवस्था एवं चिन्हिकरण में सहयोग करना। बाढ़ के दौरान – • प्रभावित आबादी के निष्क्रमण में चौकीदार/पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर SDRF/NDRF का सहयोग एवं समन्वय करना। • खोज, बचाव एवं राहत कार्य SDRF/NDRF का सहयोग करना। • बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से नाव से गश्ती। • पशुधन के निष्क्रमण में पशुपालन पदाधिकारियों को सहयोग करना। • मानव एवं पशु शिविरों में सुरक्षा प्रदान करना। • जिन प्रभावित गांवों/टोलों से आबादी का निष्क्रमण हुआ है, वहां घरों एवं सामानों के सुरक्षा के लिए चौकीदार/पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करना। • लापता व्यक्तियों एवं बच्चों की खोज करना। यदि आवश्यकता हो तो प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेत्तर कार्रवाई करना । • मानव तस्करी रोकने के संबंध में उपाय करना। • बह कर आये मानवों एवं पशुओं के संबंध में गृह विभाग के द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में कार्रवाई करना। मृत व्यक्तियों के शवों के निपटान में प्रशासन/चिकित्सा पदाधिकारियों को सहयोग करना। • मृत पशुओं के शवों के निपटान में पशुपालन पदाधिकारियों को सहयोग करना। • राहत आदि की मांग को लेकर सड़क जाम होने की स्थिति में विधि–व्यवस्था का संधारण। बाढ़ आपदा के पश्चात् • राहत सामग्रियों का सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करना। • राहत वितरण केन्द्रों पर विधि–व्यवस्था संधारित करना।

2	नाव दुर्घटना	• बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण के द्वारा आदर्श नौका संचालन नियमावली 201 के आलोक में सर्वेक्षकों /निबंधन पदाधिकारी का प्रशिक्षण दिया गया है। नावों के निबंधन में सहयोग करना पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है। • आदर्श नौका संचालन नियमावली 2011 के प्रावधानों को लागू करनाः— ओवरलोडिंग रोकना, सुरक्षा के उपायों यथा लाईफ जैकेट, लाईफ ब्वॉय आदि का संधारण नौका परिचालन से पूर्व नौका में सुनिश्चित करना, सूर्यास्त के पश्चात् नौका परिचालन पर रोक को सुनिश्चित करना। • स्थानीय संसाधनों यथा रस्सी, ट्यूब, इम्प्रोभाईज्ड राफ्ट का उपयोग करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। • खतरनाक घाटों की पेट्रॉलिंग करना ।
3	भगदड़	• छठ, गंगा स्नान, संक्राति, मेला, महोत्सव एवं विभिन्न पूजा के अवसरों पर विधि—व्यवस्था संधारित करना। • प्रशासन के सहयोग से समुचित प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था करना। • लोक संवाद प्रेषण यंत्र (Public Address System) की व्यवस्था एवं लगातार संवाद (continued Communication) बनाये रखना। • भीड़ नियंत्रण हेतु उपाय यथा, पंक्ति में प्रवेश/निकास, भेद्य समुदाय यथा बच्चे, महिला, विकलांग, वृद्ध आदि के लिए अलग—अलग प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था करना, साईनेज की व्यवस्था करना। • भीड़—भाड़ वाले स्थल पर अग्नि शमन की व्यवस्था करना। • गुमशुदा व्यक्तियो/बच्चों के संबंध में व्यवस्था करना • आसूचना संकलन एवं आकलन।

4	सड़क दुर्घटना	• चिन्हित ब्लैक स्पॉट/संवेदनशील स्थल पर बैरिकेटिंग करना एवं पुलिस बल की व्यवस्था करना। • प्राथमिकी/सनहा दर्ज कर दुर्घटना ग्रस्त वाहनों एवं घायल व्यक्तियों की पहचान करना। • घायल व्यक्तियों के उपचार के लिए समन्वय करना। • QMRT से समन्वय करना । • टैंकर आदि के दुर्घटना होने पर आग लगने की स्थिति में घायलों की पहचान करना, एम्बुलेंस की व्यवस्था करना, वैसे शव जिनकी पहचान न हो सके अथवा जिन पर किसी का दावा न हो, उनके संबंध में व्यवस्था करना। • शव वाहन की व्यवस्था करना। • जिला सड़क सुरक्षा परिषद् में जिला के पुलिस अधीक्षक सदस्य होते है। इससे सड़क सुरक्षा में पुलिस की भूमिका रेखांकित होती है। जिलों में उपलब्ध सड़क सुरक्षा निधि के उपयोग से सड़क दुर्घटना रोकने हेतु प्रचार–प्रसार में सहयोग करना। • बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के कार्यक्रमों के आयोजन में सहयोग करना।
5	अगलगी	• अग्नि कांड के स्थल पर शीघ्र पहुंच कर अग्निशमन का उपाय करना एवं अग्निशमन दस्ता को सूचित करना एवं सहयोग करना। • क्षतिग्रस्त सामग्रियों/पशुधन/मानव क्षति यदि कोई हो आदि के संबंध में सनहा/प्राथमिकी दर्ज करना।

उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त आपदाओं के समय विशेषकर बाढ़ के समय ऐसे पशुधन पाये जाते हैं, जिनपर किसी का दावा नहीं होता, वैसे पशुओं का आवासन की व्यवस्था करना एक महत्वपूर्ण कार्य है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं (धारा 52 एवं 54) के आलोक में अफवाहों को फैलने से रोकना तथा अफवाह फैलाने वाले के विरूद्ध समुचित कार्रवाई करना पुलिस का कार्य है।

उपरोक्त तालिका में अंकित आपदाओं एवं उनके संबंध में पुलिस के चिन्हित कार्य उदाहरण स्वरूप (illustrative) हैं, पूर्ण (Comprehensive) नहीं। ध्यातव्य हो कि विभिन्न आपदाओं में राज्य की ओर से सर्वप्रथम पुलिस ही पहुँचती है, अतएव वह First Responder है। अतएव जहाँ पुलिस पदाधिकारी स्वयं राहत बचाव में दक्ष हों, वे तुरंत उस कार्य में संलग्न होकर विभिन्न एजेन्सियों को तत्काल सूचित

करें। जिलों में आपदा प्रबंधन का मूल दायित्व जिला पदाधिकारी एवं उनके अधीनस्थ पदाधिकारियों को दिया गया है। अतएव First Responder की हैसियत से पुलिस को जिला प्रशासन के संबंधित स्थानीय पदाधिकारी के साथ संबंधित विभागों को भी सूचित करना चाहिए। मसलन, तटबंध से रिसाव या टूट की सूचना संबंधित अभियंता को, आपदाओं से मृत/घायलों की सूचना अंचल अधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकरी को, घायलों की चिकित्सा हेतु चिकित्सा पदाधिकारी को अवश्य देनी चाहिए। वैसे घायल व्यक्ति को शीघ्रातिशीघ्र निकटतम सरकारी/निजी अस्पताल पहुँचाना चाहिए ताकि Golden Hour में ही इलाज संभव हो सके।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के महत्वपूर्ण प्रावधान

डा. मधुबाला
बिहार राज्य आपदा प्रबधन प्राधिकरण

1990 के दशक से लेकर 2000 के पूर्वार्द्ध के बीच देश में विभिन्न प्रकार की आपदाओं की घटनाएं घटित हुई। उनमें 1993 में लातूर (महाराष्ट्र) में भूकम्प, 1999 में उड़ीसा में चक्रवातीय तूफान, 2001 में भुज (गुजरात) में भूकम्प, 2004 में सुनामी आदि महत्वपूर्ण हैं। 1999 में उड़ीसा के चक्रवातीय तूफान (Super Cyclone) में लगभग दस हजार लोग हताहत हुए तथा गंभीर रूप से जान–माल एवं आधारभूत संरचनाओं की क्षति हुई। उस समय तक देश में आपदा प्रबंधन संबंधी संरचनाएँ, विधि, नीति स्पष्ट नहीं होने के कारण इस आपदा के प्रबंधन में अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ा। केन्द्र सरकार ने श्री जे0सी0 पंत की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति (HPC) का गठन किया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए समग्र योजनाओं का गठन करना था। इस समिति ने बहु–स्तरीय, बहु–हितधारक बैठकों का आयोजन कर पूर्व तैयारियों, त्वरित रिस्पांस, युक्पिूर्ण सोच (Strategic thinking) तथा रोकथाम की संस्कृति विकसित करने पर बल दिया। इस समिति का प्रतिवेदन राष्ट्रीय अधिनियम के सूत्रण का महत्वपूर्ण आधार बना।

इस प्रस्तुतिकरण में अधिनियम के प्रावधानों तथा उनके आलोक में पुलिस की भूमिका को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। विशेषकर अधिनियम के अध्याय 10 तथा अध्याय 11 में सीधे तौर पर पुलिस की भूमिका दृष्टिगोचर होती है।

अधिनियम की धारा 25 (2) के अनुसार पुलिस अधीक्षक, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन सदस्य होते हैं। इस नाते जिला एवं स्थानीय स्तर की आपदाओं से निपटने के कार्यों में स्वतः ही पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

इस अधिनियम को लोक सभा एवं राज्य सभा में नवम्बर–दिसम्बर, 2005 में पारित किया गया तथा जनवरी, 2006 में इस अधिनियम पर महामहिम राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हुआ। इस अधिनियम के 11 अध्यायों में 79 धाराओं को वर्णित किया गया है। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार हैः–

1. अध्याय–1(धारा–1 एवं 2) में अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ की तिथि आदि के बारे में उल्लेख्य है। धारा–2 के अन्तर्गत महत्वपूर्ण परिभाषाएँ यथा आपदा, आपदा प्रबंधन आदि दी गई है ।
2. अध्याय–2 (धारा–3 से 13) में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन एवं कृत्य तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना के सूत्रण संबंधी प्रावधान दिये गये है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरणः (NDMA)

- आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 3(1) के तहत केन्द्र सरकार ने 27 सितम्बर 2006 को राष्ट्रीय आपदा प्रबधंन प्राधिकरण (NDMA) का गठन किया है।
- प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होते हैं तथा अधिकतम 9 सदस्य नामित किए जा सकते हैं। प्राधिकरण के अध्यक्ष उपरोक्त नामित सदस्यों में से किन्हीं एक को उपाध्यक्ष पदनामित कर सकते हैं।
- अध्यक्ष की अनुमति से राष्ट्रीय प्राधिकरण की बैठक आवश्कतानुसार बुलाई जाती है।
- कार्यो के सम्पादन हेतु केन्द्र सरकार राष्ट्रीय प्राधिकरण को पदाधिकारियों/कर्मचारियों/सलाहकारों की सेवाएँ उपलब्ध कराती हैं।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति

- प्राधिकरण को उसके कार्यो के सहायता प्रदान हेतु अधिनियम की धारा 8(1) के तहत केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन किया है।
- गृह विभाग के सचिव पदेन अध्यक्ष होते हैं।
- 14 विभागों/मंत्रालयों यथा केन्द्र सरकार के कृषि, परमाणु ऊर्जा, रक्षा, पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण एवं वन, वित्त (व्यय), स्वास्थ्य, विद्युत, ग्रामीण विकास, विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी, अंतरिक्ष, दूरसंचार, शहरी विकास, जल संसाधन मंत्रालयों/विभागों के सचिव तथा चीफ ऑफ इंट्रीग्रेटेड स्टाफ/राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य होतें हैं।

राष्ट्रीय प्राधिकरण की शक्तियाँ एवं कृत्य

- अधिनियम की धारा 6(1) के अनुसार राष्ट्रीय प्राधिकरण आपदाओं में समयबद्ध एवं प्रभावी रेस्पान्स सुनिश्चित करने हेतु आपदा प्रबंधन की नीतियाँ, योजनाओं एवं मार्गदर्शी सिद्धांतों के निरुपण के लिए उत्तरदायी है। उपरोक्त के अलावा राष्ट्रीय प्राधिकरण निम्न कार्य करेगाः
- आपदा प्रबंधन के विषय में नीतियां बनाना।
- राष्ट्रीय योजना को अनुमोदित करना।
- भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा राष्ट्रीय योजना के अनुसार तैयार की गई योजनाओं को अनुमोदित करना।
- राज्य योजना बनाने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों हेतु दिशा–निर्देश निर्धारित करना।
- भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा निवारण के उपायों को समेकित करने तथा आपदा के प्रभाव को प्रशमन करने के प्रयोजनार्थ उपनाए जाने वाल दिशा–निर्देश निर्धारित करना।
- आपदा प्रबंधन की नीति और योजना के प्रवर्तन और कार्यान्वयन में समन्वय करना।
- आपदा प्रशमन के प्रयोजनार्थ धनराशि की व्यवस्था की सिफारिश करना।
- आपदा निवारण के लिए, अथवा आपदा की स्थिति की आशंका से या आपदा से निपटने के लिए प्रशमन, अथावा तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए ऐसे अन्य आवश्यक कदम उठाना।
- आपदा निवारण के लिए, अथवा आपदा की स्थिति की आशंका से या आपदा से निपटने के लिए प्रशमन, अथवा तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए ऐसे अन्य आवश्यक कदम उठाना।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन0आई0डी0एम0) के कामकाज के लिए व्यापक नीतियाँ और दिशा–निर्देश निर्धारित करना।
- आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशा–निर्देशों की अनुशंसा करना।
- आपदा से गम्भीर रुप से प्रभावित व्यक्तियों के लिए ऋण की चुकौती में या रियायती शर्तो पर ताजा ऋण के अनुदान के लिए राहत की अनुशंसा करना।

3. अध्याय–3 (धारा–14 से 24) में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन एवं कृत्य तथा राज्य आपदा प्रबंधन योजना के सूत्रण संबंधी प्रावधान दिये गये हैं।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणः– संरचना

- आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14(1) के तहत प्रत्येक राज्य सरकार को "राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण" का गठन करना है।
- बिहार सरकार ने 06 नवम्बर 2007 को अधिसूचना संख्या–3439 के तहत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया है।
- राज्य के मुख्यमंत्री प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अधिकतम 8 सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामित किए

जा सकते हैं, जिसमें एक को मुख्यमंत्री द्वारा उपाध्यक्ष पदनामित किया जाएगा।

- प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी मुख्य सचिव को नामित किया गया है जो प्राधिकरण के पदेन सदस्य होते है।
- कार्यों के सम्पादन हेतु राज्य सरकार, राज्य प्राधिकरण को पदाधिकारियों/कर्मचारियों/ सलाहकारों की सेवाएँ उपलब्ध कराती हैं।

राज्य कार्यकारिणी समितिः

- राज्य प्राधिकरण को उसके कार्यो में सहायता प्रदान करने, प्राधिकरण द्वारा निरुपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार गतिविधियाँ के समन्वय एवं राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अधिनियम की धारा 20(1) के तहत राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाता है।
- बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 3449 दिनांक 06 नवम्बर 2007 द्वारा राज्य कार्यकारिणी समिति गठित है।
- मुख्य सचिव राज्य कार्यकारिणी समिति के पदेन अध्यक्ष हैं।
- इस समिति के 4 अन्य सदस्य हैं: विकास आयुक्त तथा वित्त, आपदा प्रबंधन एवं जल संसाधन विभागों के सचिव/प्रधान सचिव।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कार्यः शक्तियां और कृत्य

अधिनियम की धारा 18(1) के अनुसार प्राधिकरण राज्य में आपदा प्रबंधन की नीतियाँ एवं योजनाएँ बनाने हेतु उत्तरदायी है। उपरोक्त के अलावा राज्य प्राधिकरण अधिनियम की धारा 18(2) के अनुसार निम्न कार्य करेगीः—

- राज्य आपदा प्रबंधन नीति का निर्धारण।
- राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा प्रतिपादित मार्गदर्शिका सिद्धांतों के अनुसार राज्य आपदा प्रबंधन योजना का अनुमोदन करना।
- राज्य सरकार के विभागों द्वारा तैयार की गयी आपदा प्रबंधन योजनाओं का अनुमोदन करना।
- आपदा की रोकथाम के लिए उपायों की एकीकृत करने के उद्देश्य से या उनके प्रभावों का शमन करने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को उनके विकास योजनाओं और परियोजनाओं के लिए लागू किए जाने वाले दिशा—निर्देशों का निर्धारण करना।
- शमन (mitigation) और तैयारी के उद्देश्य के लिए धन के प्रावधान की सिफारिश करना।
- राज्य सरकार के विभागों द्वारा शमन, क्षमता निर्माण और तैयारी के लिए योजना को पुनर्विलोकन करना और आवश्यक मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करना।
- राज्य प्राधिकरण द्वारा राहत के न्यूनतम मानक के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बनाना।
- अधिनियम की धारा 31(2) के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं का अनुमोदन करना।

राज्य आपदा प्रबंधन योजनाः

- राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (2) के तहत तैयार की गयी राज्य आपदा प्रबंधन योजना का राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन किया गया है। इस राज्य योजना में आपदा के विभिन्न स्वरुप द्वारा राज्य में प्रवधता, आपदा के निवारण और शमन के लिए उपाय, राज्य के प्रत्येक विभाग की भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व का समायोजन किया गया है।

4. अध्याय–4 (धारा–25 से 34) में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला कार्यकारिणी समिति का गठन एवं कृत्य तथा जिला आपदा प्रबंधन योजना के सूत्रण संबंधी प्रावधान दिये गये है।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणः (DDMA)

देश में त्रिस्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का गठन किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की आपदा से होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके तथा आपदा से पीड़ितों को अतिशीघ्र राहत दिलाई जा सके।

अधिनियम की धारा 25 (1) के अनुसार बिहार के सभी जिलों में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का गठन किया गया है।

DDMA की शक्तियां और कृत्यः

जिला स्तरीय विभिन्न प्राधिकारों एवं स्थानीय निकायों को आवश्यकतानुसार आपदाओं की रोकथाम एवं शमन के उपाय करने की दिशा निर्देश देना।

- जिला स्तर पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं स्थानीय निकायों द्वारा आपदा प्रबंधन योजनाओं के जिला स्तर पर कार्यान्यवन हेतु मार्गदर्शन देना।
- सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा तेयार किए गए आपदा प्रबंधन योजनाओं का जिला स्तर पर कार्यान्यवन कर समन्वय करना।
- आपदा की रोकथाम के उपायों को एकीकृत करने के उद्देश्य से या उनके प्रभावों को शमन करने के लिए राज्य सरकार के जिला स्तरीय विभिन्न विभागों को उनकी विकास योजनाओं और परियोजनाओं के लिए लागू किए जाने वाले दिशा–निर्देशों का निर्धारण करना एवं कार्यान्यवन कर अनुश्रवण करना आदि।

5. अध्याय–5 (धारा–35 से 40) में आपदा प्रबंधन के लिए विभिन्न स्तरों के सरकारों यथा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा किये गये उपायों का उल्लेख है। धारा–35 में केन्द्र सरकार द्वारा किये गये उपायों, जिसमें राज्य सरकार के साथ समन्वय शामिल है, का उल्लेख है। इसी प्रकार धारा–36 एवं 37 में केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के द्वारा किये जाने वाले कार्यों का शामिल किया गया है । धारा 38–39 में राज्य सरकार एवं राज्य सरकार के विभागों के द्वारा किये जाने का उल्लेख है। धारा–40 के अन्तर्गत राज्य आपदा प्रबंधन योजना का उल्लेख किया गया है।
6. अध्याय–6 (धारा–41) में स्थानीय प्राधिकारों के कार्यों का उल्लेख है, जिसमें अधिकारियों/ कर्मचारियों के प्रशिक्षण संसाधनों का अनुरक्षण, राष्ट्रीय/राज्य प्राधिकार के मानकों के अनुरूप

परियोजनाओं का निर्माण एवं राहत पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण का कार्य।

7. अध्याय–7 (धारा–42–43) में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) के कार्यों का उल्लेख है, जिसमें आपदा प्रबंधन के लिए मानव विकास, प्रशिक्षण क्षमता संवर्द्धन, राष्ट्रीय नीति एंव योजना के निर्माण में सहयोग आदि शामिल है।

8. अध्याय–8 (धारा–44–45) में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) नामक विशेषज्ञों के बल के गठन का उल्लेख है।

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF)

- आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय 8 के तहत किसी आपदा की आशंका की संभावना के विशेषज्ञता–पूर्ण मोचन के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) का गठन किया गया है।
- 14 फरवरी 2008 को देश में NDRF के 8 बटालियन की गठन की घोषणा गृह मंत्रालय के द्वारा की गयी।
- गठन के स्वरुप महानिदेशक के नेतृत्व में वर्तमान में 12 बटालियन के रुप में विभिन्न आपदा प्रवण इलाके वाले राज्यों में तैनात।
- NDRF वस्तुतः विभिन्न पैरा–मिलिट्री फोर्स से प्रतिनियोजन पर ली गयी कार्मिकों के द्वारा गठित की गयी है।
- एक वाहिनी में 1149 कार्मिक होते हैं, जो विभिन्न आपदाओं में तुरंत रिस्पॉन्स के लिए अत्याधुनिक यंत्रों से लैस रहते हैं।
- बिहार में पटना (बिहटा) में NDRF की 9वीं बटालियन हैं, जिसकी 1–1 टीम सुपौल और रांची में है।
- वर्तमान समय में NDRF के कार्मिक आपदा प्रबंधन के विभिन्न स्वरुपों की तकनीकी प्रशिक्षण ले कर NDRF में 7 वर्ष तक सेवारत रहते हैं।
- आधुनिक संचार संसाधनों के सुसज्जित 45 सदस्यों के टीम में श्वान दस्ता के अलावा इंजीनीयर और चिकित्सकों का दल भी रहता है।

REQUISITION FOR DEPLOYEMENT

- NDRF की राज्य में केन्द्र के द्वारा तैनाती राज्य सरकार के मांग पर आपदा की LEVEL-3 के स्थिति में अनुमति दी जाती है, किन्तु जान–माल के रक्षा हेतु आपदा पूर्व भी तैनात की जाती है।
- NDRF की आवश्यकता महसूस होने पर जिला पदाधिकारी के मांग पर आपदा स्थिति के मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा केन्द्र से NDRF की समुचित टीमों की मांग की जाती है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में वर्णित NDRF के तर्ज पर बिहार राजय में राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचन बल का गठन 2010 में किया गया है।

राज्य आपदा मोचन बल (SDRF)

- गृह मंत्रालय भारत सरकार का परामर्श है कि प्रत्येक राज्य में आपदा प्रबंधन हेतु NDRF के तर्ज पर राज्य आपदा मोचन बल SDRF की स्थापना की जाय।
- तदनुसार प्राकृतिक आपदाओं के समय बचाव व राहत के लिए त्वरित कारवाई करने हेतु बिहार सरकार द्वारा राज्य आपदा रिस्पांस बल का गठन आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प संख्या 698, 16 मार्च 2010 द्वारा किया गया है।

SDRF के वर्तमान स्वरूप

- SDRF की 6 कंपनी हैं जिसमें कुल 18 टीमें होगी। प्रत्येक स्पेस्लिस्ट रेस्पांस टीम में 45 सदस्य होते हैं।
- 18 श्रेणी की भर्ती रक्षा सेवा/पैरा मिलिट्री सेवा के सेवानिवृत कर्मी को संविदा के आधार पर एकमुस्त/मानदेय के आधार पर करने का प्रावधान किया गया है।
- इन पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर बिहार मिलिट्री पुलिस (BMP)/केन्द्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों/अधिकारियों की सेवाएं ली गयी है।
- SDRF के बटालियन के प्रधान समादेष्टा होते हैं।
- आपदा राहत व बचाव के समय बेहतर तालमेल के दृष्टिकोण से आवश्यकतानुसार बिहार गृह रक्षा वाहिनी (स्पेशल बटालियन) की प्रशिक्षण की व्यवस्था एवं उनकी संवाएँ SDRF द्वारा ली जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा SDRF के वर्तमान स्वरुप को बढ़ाकर 50 टीम तक करने का निर्णय लिया गया है।

9. अध्याय–9 (धारा–46 से 50) में राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (धारा–46) का गठन, राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (धारा–47) का गठन राज्य आपदा मोचन निधि (धारा–48 क) का गठन, जिला आपदा मोचन निधि (धारा–48 ख) का गठन, राज्य आपदा शमन निधि (धारा–48 ग) का गठन तथा जिला आपदा शमन निधि (धारा–48 घ) का गठन संबंधी प्रावधान शामिल है।

   इनके अतिरिक्त धारा–50 के अन्तर्गत आपदाओं के समय सामग्रियों आदि की अधिप्राप्ति हेतु आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख किया गया है।
10. अध्याय– (धारा 51 से 60) में अपराध एवं उनसे संबंधित शास्तियों का उल्लेख है।
11. अध्याय–11 (धारा 61 से 79) में प्रकीर्ण विषयों पर प्रावधान किये गये हैं।

पुलिस की भूमिकाः— अधिनियम में सीधे तौर पर (अध्याय 11 को छोड़कर) पुलिस की भूमिका निर्धारित नहीं है परन्तु पुलिस अधीक्षक के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य होने के कारण जिला एवं स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के कार्यो में पुलिस की परोक्ष भूमिका स्वतः बन जाती है। अध्याय 11 के धारा 51 से 60 के अन्तर्गत आपदा प्रबंधन के कार्यों से संबंधित विभिन्न अपराधों एवं उनसे संबद्ध शास्तियों को आच्छादित किया गया है जो निम्नलिखित हैः—

धारा 51 : बाधा डालने आदि के लिये दंड

जो किसी युक्तियुक्त कारण के बिना

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी अथवा राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिये इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालेगा या,

(ख) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से दिये गये किसी निदेश का पालन करने से इनकार करेगा,

यह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, अथवा दोनों दंडनीय होगा और यदि ऐसी बाधा या निदेशों का पालन करने से इंकार करने के परिणामस्वरुप जन की हानि होती है या उनके लिए आसन्न खतरा पैदा होता है, तो दोषसिद्धि पर कारावास से, उनकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

धारा 52 : मिथ्या दावे के लिये दंड

जो कोई जानबूझकर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण जिला प्राधिकारण के किसी अधिकारी से आपदा के परिणामस्वरुप कोई राहत, सहायता, मरम्मत, निर्माण या अन्य फायदे अभिप्राप्त करने के लिए ऐसा दावा करेगा जिसके बारे में वह यह जानता है या विश्वास करने का उसके पास कारण है कि वह मिथ्या है, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।

धारा 53 : धन या सामग्री के दुरूपयोजन के लिये दंड

जो कोई, जिसे किसी आपदा की आशंका की स्थिति में या आपदा में राहत पहुँचाने के लिये कोई धन या सामग्री सौंपी गई है या अन्यथा कोई धन या माल उसकी अभिरक्षा या अधिपत्य में और वह ऐसे धन या सामग्री या उसके किसी भाग का दुरुपयोग करेगा या अपने स्वयं के उपयोग के लिए उपयोजन करेगा अथवा उसका व्ययन करेगा या जानबुझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए विवश करेगा, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

धारा 54 : मिथ्या चेतावनी के लिये दंड

जो कोई, जिसे किसी आपदा या उसकी गंभीरता या उसके परिणाम के संबंध में आतंकित करने वाली मिथ्या संकट सूचना या चेतावनी देता है, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

धारा 55 : सरकार के विभागों के लिये दंड

(1) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है वहां विभागाध्यक्ष ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही की जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा, जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा अधिकारी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

धारा 56 : अधिकारी की कर्तव्य पालन में असफलता या उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के प्रति मौनानुकूलता

ऐसा कोई अधिकारी, जिस पर इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कोई कर्तव्य अधिरोपित किया गया है और जो अपने पद के कर्तव्यों का पालन नही करेगा या करने से इंकार करेगा या स्वयं को उससे विमुख कर लेगा तो, जब तक कि उसने अपने से वरिष्ठ अधिकारी की अभिव्यक्त लिखित अनुमति अभिप्राप्त न कर ली हो या उसके पास ऐसा करने के लिए कोई अन्य विधिपूर्ण कारण न हो, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, दंडनीय होगा।

धारा 57 : अध्यापेक्षा के संबंध में किसी आदेश के उल्लंघन के लिये शास्ति

यदि कोई व्यक्ति धारा 65 के अधीन किये गये किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनो से, दंडनीय होगा।

धारा 58 : कंपनियों द्वारा अपराध

(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी या निगमित निकाय द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध के किये जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिये उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे उल्लंघन के दोषी पाये जायेंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए—

(क) कंपनी से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) फर्म के संबंध में निदेषक से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

धारा 59 : अभियोजन के लिये पूर्व मंजूरी

धारा 55 एवं 56 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिये कोई अभियोजन, यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या ऐसी सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जायेगा।

धारा 60 : अपराधों का संज्ञान

कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित द्वारा परिवाद किये जाने पर करने के सिवाय नही करेगा—

(क) राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण या यथास्थिति, उस प्राधिकरण या सरकार द्वारा इस निमित्त पूर्वोक्तानुसार प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी या अधिकारी; या

(ख) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने अभिकथित अपराध की और राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण या पूर्वोक्तानुसार प्राधिकृत किसी प्राधिकारी या अधिकारी को परिवाद करने के अपने आशय की विहित रीति में कम से कम तीस दिन की सूचना दे दी है।

प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में पुलिस की भूमिका

विपिन कुमार राय
बिहार प्रशासनिक सेवा

1. पृष्ठभूमि

आपदाओं से निपटने के लिए संसाधनों का योजनाबद्ध उपयोग और इन आपदाओं से होने वाली हानि को न्यूनतम रखने की कुंजी आपदा प्रबंधन है। आज आपदा प्रबंधन विकसित और विकासशील देशों की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। अब किसी राष्ट्र को केवल उसकी आर्थिक समृद्धि या सामरिक शक्ति के आधार पर विकसित या विकासशील नहीं माना जाता है, बल्कि विकसित या विकासशील राष्ट्र होने के लिए जरूरी है आधारभूत सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, शिक्षा एवं आपदा प्रबंधन विश्वस्तरीय हो। ये सभी विकास के मानक हैं और इनमे एक प्रमुख मानक है 'आपदा प्रबंधन'.

आपदा क्या है ?

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में आपदा से तात्पर्य किसी क्षेत्र में हुए उस विध्वंस, अनिष्ट, विपत्ति या बेहद गंभीर घटना से है जो प्राकृतिक या मानवजनित कारणों से या दुर्घटनावश या लापरवाही से घटित होती है और जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में मानव जीवन की हानि होती है या मानव पीड़ित होता है या संपत्ति को हानि पहुंचती है या पर्यावरण का भारी क्षरण होता है। यह घटना प्रायः प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की सामना करने की क्षमता से अधिक भयावह होती है। इस प्रकार आपदाएँ प्राकृतिक एवं मानव जनित दोनों कारणों से घटित होती हैं।

बिहार की प्रमुख प्राकृतिक आपदाएँ और इनका आशय

भारत सरकार के द्वारा कुल 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाएँ हैं– बाढ़, सुखाड़, अगलगी, चक्रवाती तूफान, भूकंप, ओलावृष्टि, शीतलहर, हिमपात, सुनामी, कीट का आक्रमण, भूस्खलन और बादल का फटना है। इन सभी आपदाओं के घटित होने पर देश भर में राज्य आपदा रिस्पांस कोर्स के अंतर्गत निर्धारित मानदंड के अनुसार प्रभावितों को अनुदान दिया जाता है तथा क्षतिग्रस्त सड़कों, पुल–पुलियों संचार एवं विद्युत संचरण व्यवस्थाओं के पुर्नस्थापित किया जाता है। इन प्राकृतिक आपदाओं में सुनामी, हिमपात, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएँ छोड़कर शेष सभी से हमारा राज्य प्रभावित होता है और इसमें सर्वाधिक बारंबरता अगलगी, बाढ़, सुखाड, चक्रवाती तूफान, शीतलहर जैसी प्राकृतिक आपदाओं की रही है। भूकंप की बारंबरता यद्यपि कम है, किन्तु राज्य के सभी जिले भूकम्प के सर्वाधिक संवेदनशील जोन III, IV एवं V में आते हैं। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित उपरोक्त 12 प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त राज्य सरकार ने विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं को भी अधिसूचित किया है जिनमें –

लू, अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा एवं असमय भारी वर्षा), वज्रपात, आंधी–तूफान प्राकृतिक आपदाएँ हैं। राज्य सरकार ने नाव दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, डूबने से होने वाली मृत्यु आदि को भी विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाएँ घोषित किया है जो मानव जनित आपदा की कोटि में आती हैं।

अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण राज्य इन प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से बहु आपदा प्रवण राज्य है। राज्य के कुछ हिस्से प्रत्येक वर्ष किसी–न–किसी प्राकृतिक आपदा से आक्रांत होते रहते हैं। माह अप्रैल और मई में गर्म पछुआ हवाओं के कारण लू, आंधी और अगलगी का प्रकोप रहता है, जून, जुलाई और अगस्त में कुछ जिलों में बाढ़ और कुछ जिलों में सूखाड़ का प्रकोप रहता है। कई बार तो एक ही जिले के एक हिस्से में बाढ़ होती है तो दूसरे हिस्से में सूखाड़ रहता है। ओलावृष्टि, चक्रवाती तूफान/आंधी तूफान और भूकंप जैसी आपदाओं का प्रकोप भी एक साथ रहा है। वर्ष 2015 में माह मार्च से लेकर मई तक राज्य के विभिन्न जिलों में ओलावृष्टि, चक्रवाती तूफान/आंधी तूफान और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएँ एक साथ आईं। माह दिसम्बर और जनवरी में शीतलहर का प्रकोप रहता है, जो राज्य के निर्धन और गरीब समुदाय के लिए आतंक के सदृश है।

बिहार की कुल भूमि क्षेत्र का 73: हिस्सा बाढ़ से भेद्य (vulnerable) है। भारत की कुल बाढ़ प्रभावित आबादी का 22.1: बिहार राज्य में स्थित है। राज्य के 28 जिले अत्यधिक बाढ़–प्रवण और बाढ़ प्रवण जिलों की कोटि में आते हैं। मानसून के दौरान जुलाई से सितम्बर तक राज्य में बाढ़ की संभावना बनी रहती है। बिहार के कुल क्षेत्रफल का 15.2% भूकंप के जोन V के तहत वर्गीकृत है, जो कि सर्वाधिक संवेदनशील है। 38 जिलों में से 8 जिले भूकंपीय क्षेत्र V, 24 भूकंपीय क्षेत्र IV और 6 भूकंपीय क्षेत्र III में आते हैं। भूकंप की दृष्टि से वर्ष के सभी माह संवेदनशील हैं – 1934 का भूकंप सर्दियों में ,माह जनवरी में आया था। 1988 का भूकंप माह अगस्त में और 2015 में माह अप्रैल और मई में भूकंप से राज्य प्रभावित हुआ था। प्राकृतिक आपदाओं के सापेक्ष राज्य की भेद्यता को सारांशतः निम्नरूपेण बताया जा सकता है–

- वर्ष के सभी माह भिन्न–भिन्न प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील हैं।
- राज्य के सभी जिले एक और अधिक् प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से आक्रांत होते हैं।
- एक ही समयावधि में एक ही जिले में भिन्न–भिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप हो सकता है. प्राकृतिक आपदाओं के इतिहास इसकी पुष्टि करते हैं।
- ऐसा कोई वर्ष नहीं होता है कि राज्य किसी न किसी प्राकृतिक आपदा के प्रकोप से अछूता रहा हो।

2. प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधनमें पुलिस की महत्ता

राज्य में प्राकृतिक आपदाओं की विशिष्ट भेद्यता के कारण आपदा प्रबंधन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमे रोकथाम (Prevention), शमन या जोखिम न्यूनीकरण (Mitigation/ Risk reduction) क्षमता निर्माण पूर्व तैयारी (Preparedness), रिस्पांस (Response), राहत और बचाव (Rescue–relief) तथा पुनर्वास और पुनर्निर्माण (Rehabilitation– Reconstruction)

के चरण शामिल हैं। अपने प्रशिक्षण और मानव जीवन को सुरक्षा देने के अपने मूल उत्तरदायित्व के कारण पुलिस किसी भी आपदा के समय राज्य की ओर से प्रथम रिस्पांडर होती है। विषम और प्रतिकूल परिस्थिति में पुलिस कर्मी ही लोगों के जीवन और सम्पति को सुरक्षा देने का कार्य करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में पुलिस के प्रथम रिस्पांडर होने के कारण यह है कि पुलिस प्रशासनः–

- कानून–व्यवस्था बनाए रखने हेतु राज्य का सर्वाधिक दृष्टिगोचर अंग है।
- निरंतर क्रियाशील और स्थानीय रूप से उपलब्ध है।
- एक वर्दीधारी, सशस्त्र और अनुशासित अंग है।
- सतत विधि व्यवस्था संधारण और लोगों की सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी है।
- इसके पास सक्षम संचार सिस्टम है,
- स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों से पुलिस कर्मी सर्वाधिक परिचित होते हैं।

3. आपदा प्रबंधन में पुलिस की भूमिका के वैधानिक आधार –

बिहार पुलिस एक्ट की धारा 31 के अनुसार पुलिस के कर्तव्यों में आपदा के दौरान निम्नांकित कार्य बतलाये गए हैं–

(i) "Taking initiative in providing every possible help to the person affected by man & made or natural calamities actively, assist other agencies in relief and rehabilitation work-

(j) To help persons having apprehension of physical loss or loss of property and provide necessary assistance and relief to the victims"

- आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 39 के अंतर्गत राज्य के सभी सरकारी विभागों, जिसमें गृह विभाग भी शामिल है, आपदा प्रबंधन के कार्यों का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इसी प्रकार धारा 40 के अंतर्गत सभी विभागों को अपनी आपदा प्रबंधन योजनाएँ बनानी हैं। अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत प्रत्येक जिले में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित किये गए हैं जिसके अध्यक्ष जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक पदेन सदस्य होते हैं।

  धारा 39 के अंतर्गत विभिन्न विभागों (गृह विभाग सहित) को आपदा प्रबंधन हेतु निम्नानुसार उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं :–

- Responsibilities of departments of the State Government. - It shall be the responsbility of every department of the Govermnent of a State to-
  - (a) Take measures necesary for prevention of disasters, mitigation, preparedness and capacity- building in accordance with the guidelines laid down by the National Authority and the State Authority.
  - (b) Integrate into its development plans and projects, the measures for prevention of disaster and mitigation;

(c) allocate funds for prevention of disaster, mitigation, capacity-building and preparedness;

(d) respond effectively and promptly to any threatening disaster situation or disaster in accordance with the State Plan, and in accordace with the guidelines or directions of the National Executive Committee and the State Executive Committee;

(e) review the enactments administered by it, its policies, rules and regulations with a view to incorporate therein the provisions necessary for prevention of disasters, mitigation or preparedness;

(f) provide assistance, as required, by the National Executive Committee, the State Executive Committee and District Authorities, for -

  (i) drawing up mitigation, preparedness and response plans, capacity-building, data collection and identification and training of personnel in relation to disaster management;

  (ii) assessing the damage from any disaster;

  (iii) carrying out rehabilitation and reconstruction;

(g) make provision for resources in consultation with the State Authority for the implementation of the District Plan by its authorities at the district level;

(h) make available its resources to the National Executiove Committee or the State Executive Committee or the District Authorities for the purposes of responding promptly and effectively to any disaster in the State, including measures for -

  (i) providing emergency communication with a vulnerable or affected area;

  (ii) transporting personnel and relief goods to and from the affected area;

  (iii) providing evacuation, rescue, temporary shelter or other immediate relief;

  (iv) carrying out evacuation of persons or live-stock from an area of any threatening disaster situation or disaster;

  (v) setting up temporary bridges, jetties and landing places;

  (vi) providing drinking water, esssential provisions, healthcare and services in an affected area;

    (i) such other actions as may be necessary for disaster for disaster management.

4. आपदा प्रबंधन के प्रमुख चरणों में पुलिस की भूमिका

- शमन या जोखिम न्यूनीकरण (Risk Reduction) में पुलिस की भूमिका निम्नानुसार हो सकती है :—

क्रमांक	आपदा शमन या न्यूनीकरण के कार्य	अभ्युक्ति
1	संचार व्यवस्था–आपदा के दौरान कार्य करने हेतु संचार योजना की पूर्व तैयारी, जिसमें संचार उपकरणों को समय समय पर जांच कर कार्यरत बनाये रखना शामिल है। आपदा के समय में आपदा ग्रस्त क्षेत्र में द्रुत गति से कैसे संचार व्यवस्था स्थापित की जायेगी इसकी पूर्व योजना का होना।	आपदाओं के समय सर्वप्रथम संचार व्यवस्था ध्वस्त होती है। राहत, बचाव, समन्वय सभी कार्य इसलिए ठप्प हो जाते हैं क्योंकि विभिन्न एजेंसियों से संपर्क बहुत है। अतः संचार व्यवस्था बहाल करना और बनाये रखना पुलिस के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल है। ➢ बाढ़ आपदा की मानक संचालन प्रक्रिया में बाढ़ पूर्व तैयारियों में संचार व्यवस्था को चुस्त–दुरूस्त रखना भी शामिल है। यदि वॉयरलेस सेट खराब हों तो इनकी मरम्मती भी ससमय करानी होगी।
2	सूचनाओं के संप्रेषण की योजना का पूर्व निर्माण, आपदा की सूचना प्राप्त करने तथा उसके संप्रेषण की व्यवस्था करना।	स्थानीय प्रशासन जैसे–म्यूनिसपल, पंचायत एवं स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों का नाम, पता एवं टेलीफोन नम्बर, गैर–सरकारी संगठनों की सूची तथा उनके पदाधिकारियों के नाम और संपर्क नंबर, अग्नि शमन, SDRF/NDRF/सेना, जलापूर्ति, चिकित्सा, यातायात, रेलवे, टेलीफोन, रेडक्रॉस सोसायटी, सिविल डिफेंस आदि संस्थाओं का संपर्क नंबर अद्यतन रखना, जिससे कि सूचनाओं का आदान–प्रदान करने में सुविधा हो। ➢ खोज बचाव दल के रूप में प्रशिक्षित समुदाय, पुलिस और होमगार्ड के जवानों के डाटा बेस को अद्यतन कर लेना आवश्यक है। कई पुलिस के जवानों को आपदा प्रभावितों के प्राथमिक उपचार का भी प्रशिक्षण दिया गया है, उनका भी भी डेटा बेस तैयार कर लेना आवश्यक है। सभी डेटा बेस आपदा प्रबंधन विभाग के वेवसाईट पर है।
3	कण्ट्रोल रूम–स्थापित करने की योजना का पूर्व निर्माण।	घटना के तत्काल बाद सूचनाओं के आदान–प्रदान, प्रेस एवं मीडिया को तथ्यों की सही जानकारी देने तथा अफवाहों को शांत करने के उद्देश्य से एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना आवश्यक है। जिम्मेदार पुलिसकर्मियो को चिन्हित कर कंट्रोल रूम में उनकी तैनाती की योजना बनायी जा सकती है।

4	थाना स्तर पर महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ "आपदा पुस्तिका (Disaster Manual) की तैयारी करके रखना जो जिला स्तर पर तैयार की गयी जिला आपदा प्रबंधन योजना की निरंतरता (continuity) में होगी।	राज्य की भोगौलिक विविधता और जनसंख्या सघनता के कारण भिन्न भिन्न जिलों में कुछ प्राकृतिक आपदाएँ विशेष होती है। अतएव आपदा पुस्तिका में स्थानीय जलवायु, भोगौलिक क्षेत्रों और आपदा के पूर्व–इतिहास का वर्णन होगा, जो स्थानीय पुलिस कर्मियों को उस क्षेत्र और उसकी स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में आधारभूत जानकारी देगा। पुस्तिका में दुर्गम स्थानों तक पहुँचने के मार्गों और साधनों का विवरण भी दर्ज होगा तथा इसमें थाना प्रभारी अपने समय आयी आपदाओं के प्रबंधन अनुभवों को भी दर्ज करेंगे। ➢ प्राकृतिक आपदाओ का सामान्य परिचय आपदा के समय होने वाले रिस्पांस की सफलता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
5	संसाधन मानचित्रण–आपदा प्रबंधन के कार्यों में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के संसाधनों, जो स्थानीय और निकटवर्ती को सूचीबद्ध गाइड में क्षेत्रों में उपलब्ध है।	आपदा प्रबंधन हेतु आवश्यक उपकरणों, यथा, JCB मशीन, क्रेन, जलश्रोत, शव–वाहन, एम्बुलेंस, चिकित्सक एवं पारा मेडिकल कर्मी, कटर–मशीन इत्यादि की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त कर उसे सूचीबद्ध एवं अद्यतन करना।
6	यातायात नियंत्रण–योजना का निर्माण– आपदा के दौरान यातायात नियंत्रण एवं वैकल्पिक मार्गों का पूर्व आंकलन करना।	आपदा में घायल व्यक्तियों को अस्पताल तक ले जाने तथा ले आने एवं विभिन्न सेवा प्रदाता एजेन्सियों की पहुँच घटनास्थल पर द्रुत गति से हो इसके लिए अबाध यातायात व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु थाना स्तर पर यातायात नियंत्रण योजना बना लेना आवश्यक होगा।
7	सुरक्षित थाना भवनों का निर्माण– आपदाओं के समय पुलिस के रिस्पांस का केंद्र थाना भवन होता है, अतः थाना भवनों के निर्माण में उन सभी बातों का ध्यान रखना होगा जो आपदा के समय थाना को आपदा से सुरक्षित रखे। आपदाओं के समय निरंतर कार्य करने के लिए प्रत्येक थाने में पावर जनरेटर एवं अन्य उपस्करों की उपलब्धता होनी चाहिए।	बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में थाना भवनों का निर्माण ऊँचे स्थानों पर हो, थाना भवन भूकंपरोधी हो तथा इसके संचार साधन अग्नि और बाढ़ से सुरक्षित हों। नए थाना भवनों के निर्माण और उसके स्थल चयन में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तत्वों को शामिल करना होगा।
8	पुलिस कर्मियों के आवास की सुविधा–पूर्ण और सुरक्षित व्यवस्था।	24X7 कार्य करने वाली संस्था के कार्मिकों के लिए उनके पारिवार के लिए सुरक्षित आवास की व्यवस्था आवश्यक है।
9	आधारभूत प्रशिक्षण मोड्यूल में आपदा प्रबंधन को शामिल करना।	पुलिस पदाधिकारियों और जवानों के अपराध आधारभूत प्रशिक्षण में आपदा प्रबंधन के विषय को शामिल करने से कैरियर की शुरुआत में ही पुलिस को आपदा प्रबंधन के कर्तव्यों के निर्वहन में आसानी होगी।

ख) पूर्व तैयारी (Preparednes)– आपदा पूर्व तैयारी कर लेने से आपदाओं के प्रभाव को कम करना आसान होता है। प्राधिकरण का नारा है: ''आपदा नहीं हो भारी, यदि पूरी हो तैयारी''।

क्रमांक	पूर्व तैयारी और क्षमता वर्धन	अभियुक्ति
1	विभागीय आपदा प्रबंधन के अनुसार योजना तैयारी गृह विभाग द्वारा अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण और उसका सतत अद्यतनीकरण किया जाना है। उक्त योजना के अनुसार पूर्व तैयारी थाना स्तर पर हो।	प्राकृतिक आपदाएँ अपने स्वरूप में स्थानीय होती हैं। एक ही प्राकृतिक आपदा विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न विशेष रिस्पांस से नियंत्रित होती हैं। संस्थागत संरचना, नीतियों, कानूनों और दिशा–निर्देशों के अनुरूप पुलिस विभाग को थाना स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाएं बनाने और उसका अद्यतनीकरण करने की आवश्यकता है।
2	जोखिम विश्लेषण की क्षमता विकसित करना।	नए थाना भवनों का निर्माण सुरक्षित और सुगम स्थानों पर करना, थानों के रख–रखाव की व्यवस्था, ट्रैफिक जाम के कारणों की पहचान और उसके प्रभावी तरीके से समाधान, संचार साधनों में आने वाली बाधाओं और उनके समाधान की जानकारी रखना, अग्निशमन यंत्रों के संचालन की जानकारी रखना।
3	आपदा रिस्पांस कार्यों और फर्स्ट ऐड प्रदान करने जीवन रक्षक तकनीक में पदाधिकारियों और कार्मिकों का का प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण देना।	अस्पताल पूर्व प्राथमिक चिकित्सा तथा राहत एवं बचाव हेतु मॉकड्रिल का प्रशिक्षण सभी पुलिस कर्मियों को किए जाने की आवश्यकता है।
4	आपदा प्रबंधन से सम्बंधित कानूनों की जानकारी।	सामान्यतः पुलिस को आपदा प्रबंधन के लिए निर्धारित कर्तव्यों और निदेशों से सम्बंधित विधियों/कानूनों की समग्र जानकारी नहीं होती है। पुलिस पदाधिकारियों के आधारभूत प्रशिक्षण के दौरान इन विधानों की पूरी जानकारी देना आवश्यक है।
5	मोटरबोट ड्राइविंग के लिए होमगार्ड के जवानों को नियमित प्रशिक्षण का आयोजन।	बिहार में सर्वाधिक रूप से बाढ़ की विभीषिका का प्रभाव होता है। बचाव कार्यों के लिए प्रत्येक जिले में इन्फ्लेटेड मोटर बोट का क्रय किया गया है, किन्तु इनकी देख–रेख और समुचित रख–रखाव के लिए होमगार्ड के जवानो को जिलों में नियमित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

ग) रिस्पांस (**Response**) –

आपदा रिस्पांस चरण खोज और बचाव से शुरू होकर, प्रभावित आबादी की बुनियादी मानवीय जरूरतें पूरा करना होता है। रिस्पांस के "Golden Hour" का सिद्धांत है कि "There are certain actions that must be considered as soon as possible after the disaster – The Golden Hour"। आपदा के तुरंत बाद का रिस्पांस जीवन और सम्पति के बचाव के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और यह रिस्पांस पूर्ण आत्मविश्वास और दक्षता के साथ होगा तभी सफलता पूर्वक जीवन और सपत्ति की रक्षा की जा सकती है। गोल्डन आवर रिस्पांस आपदा पीड़ितों की चिकित्सा, खोज और बचाव, निष्क्रमण और उनके जीवन और संपत्ति की रक्षा का मूल मंत्र है। उसी प्रकार गोल्डन आवर रिस्पांस का निर्णय शून्य में नहीं होता है, यह एक समन्वित प्रयास है जिसमें पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसी मूलभूत सिद्धांत के कारण समुदाय (community) के साथ–साथ पुलिस को भी First Responder कहा जाता है।

प्राकृतिक आपदा		रिस्पांस के कार्य
बाढ़ आपदा	बाढ़ पूर्व स्थिति	• बाढ़ पूर्व चेतावनी और इसकी सूचना के प्रेषण में पुलिस के संचार सिस्टम के द्वारा तीव्र गति से सूचना का प्रेषण हो सकता है। कई बार फ्लैश फ्लड और भूकंप के झटकों के दौरान सभी संचार साधन ठप हो जाते है, उस दौरान पुलिस के मजबूत वायर लेस सिस्टम का प्रयोग होता है। बाढ़ आने के पश्चात वायर लेस सिस्टम का प्रयोग और भी प्रभावशाली होता है। • बाढ़ पूर्व की स्थिति में तटबंधों की सुरक्षा का कार्य सघन गश्ती के द्वारा करना। इसके लिए होमगार्ड और चौकीदार की प्रतिनियुक्ति की जाती है। • बाढ़ के दौरान बड़ी संख्या में निजी नावों का संचालन स्थनीय स्तर पर होता है, ऐसी नावों के निबंधन और उनकी गुणवत्ता की जांच बाढ़ पूर्व अवधि में ही करना। खराब नौकाओं के परिचालन को और सूर्यास्त के बाद के परिचालन को रोकने की तैयारी। • प्रशिक्षित मोटर बोट चालकों और गोताखोर, प्रशिक्षित मानव बल की सूची को अद्यतन कर लेना। • ऊँचे आश्रय स्थलों की पहचान स्थलों के रूप में करने के कार्य में सिविल प्रशासन को सहयोग देना। • कंट्रोल रूम के लिए सभी महत्वपूर्ण दूरभाष नंबरों की जांच कर उन्हें अद्यतन कर लेना।
भूकम्प / भगदड़ / मानव दुर्घटना **(House Collapse)**		भूकंप के दौरान भूकंप के दौरान संचार व्यवस्था सबसे पहले भंग हो जाती है। विद्युत् आपूर्ति भी भंग हो जाती है। भूमि के कम्पन के कारण कई भवन गिर सकते हैं। लोग अपना घर छोड़ कर खुले स्थानों पर आ जाते हैं, जिससे आपराधिक तत्वों को चोरी और लूट का अवसर मिल जाता है। कई भवन झुक जाते हैं और कभी भी गिरने की स्थिति में हो जाते हैं। महत्वपूर्ण मार्गों पर, रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने से बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। आपराधिक तत्त्व कई प्रकार की अफवाहों को फैला कर लोगों में दहशत की स्थिति उत्पन्न करते हैं। बड़े–बड़े भवनों के गिरने से बड़ी मात्रा में घायलों को अस्पताल पहुंचाने की आवश्यकता पड़ती है। मृतकों के शिनाख्त और अस्पतालों में उनके परिजनों की भीड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। गैस पाइप लाइनों भूकंप से क्षतिग्रस्त होने से अग्निकांड भी हो सकते हैं। बड़ी संख्या में लम्बे समय तक राहत शिविरों की स्थापना होती है और वहां विधि–व्यवस्था संधारित करना होता है। मलबे के नीचे दबे लोगों के बचाव के लिए विशेषज्ञ एजेंसियों की नियुक्ति होती है, जिनके साथ समन्वय की आवश्यकता होती है। राहत सामग्रियों, यथा, तैयार खाना, पोलिथीन शीट, ईंधन, पेयजल, दवा, बच्चो के लिए दूध आदि की कमी हो सकती है और इसे लेकर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। घटना स्थल पर बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण लोगों का आगमन होता है और उसके लिए सुरक्षा देना होता है।

	पूर्व तैयारी	• नियमित प्रशिक्षण और माक–ड्रिल करना, विशेष कर बड़े बड़े भवनों– सरकारी कार्यालय, अस्पताल, मॉल में भूकंप के दौरान खोज और बचाव के कार्य कैसे किये जायेंगे इसके लिए NDRF/SDRF के साथ मिलकर नियमित रूप से माक–ड्रिल करना और प्राप्त अनुभवों को अपने रिस्पांस योजना में समाहित करना। • आधुनिक आपातकालीन उपकरणों की खरीद और उसके संचालन का समय समय पर प्रशिक्षण। • संचार उपकरणों को सदैव दुरुस्त रखना। • भूकंप के जोन अ और iv के जिलों में वार्डों और गैर सरकारी संगठनों से निरंतर समन्वय बना कर खोज और बचाव कार्यों का प्रशिक्षण आयोजित करना, जो आमजनों को जागरूक कर सके।
		• आपात कालीन संचार व्यवस्था की बहाली और परिवहन सेवाओं की व्यवस्था के restoration कार्य की देखभाल करना। • मलबा हटाने वाली (PWD और अन्य एजेन्सियों) एजेंसियों को आवश्यकता अनुसार संसाधन उपलब्ध कराना और उनके साथ निरंतर सहयोग करना। प्रभावित क्षेत्रों में विशेष उपकरण और मशीनरी पहुँचवाना। • आपदा स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को संधारित क रना, भीड़ को नियंत्रित करना–जहाँ पर भवन गिर जाते है वहां पर तमाशबीन लोग बड़ी संख्या में आ जाते हैं और आपराधिक तत्त्व चोरी और लूटपाट में संलग्न हो जाते हैं. प्रवेश क्षेत्रों और प्रवेश के नियंत्रण के साथ प्रभावित क्षेत्रों की cordoning करना। • सिविल प्रशासन/सेना/NDRF/SDRF जैसी एजेंसियों के साथ समन्वय करना। प्रभावित क्षेत्रों में इनको शीघ्र पहुंचाने के लिए इनसे समन्वय बनाना। • कई भवन खतरनाक स्थिति तक झुक जाते हैं, ऐसे भवनों को तुरंत खाली कराकर वहां के लोगों को सुरक्षित शिविरों तक ले जाना, तथा ऐसे भवनों के आस–पास के क्षेत्रों को खाली कराना। • स्वास्थ केन्द्रों और चिकित्सालयों तक परिवहन हेतु साधनों के अधिग्रहण की व्यवस्था और उसकी सुगमता को सुनिश्चित करना। यह पुलिस ही है जिससे भूकंप के दौरान घायलों को द्रुत गति से अस्पतालों तक पहुचवाने की व्यवस्था की अपेक्षा की जा सकती है, क्योंकि अन्य एजेंसिया कम समय में घटना स्थल पर नहीं पहुँच सकती हैं। • घटना स्थल पर अग्निकांड होने पर फायर ब्रिगेड को शीघ्र भेजना और इसके परिवहन को सुगम बनाना। फायर ब्रिगेड को सुगमता से घटना स्थल तक पहुँचने के लिए ट्रैफिक को नियंत्रित करना। • नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था– जिम्मेदार एवं सहनशील पुलिसकर्मी तैनात किये जाने चाहिये जो विभिन्न भाषाओं की जानकारी रखते हों, संवेदनशील हों तथा अपने कार्य को सुचारु रूप से सम्पन्न करने के लिये पूर्व में परखे जा चुके हों। इनके पास घटना की अद्यतन जानकारी तथा घायल/मृतकों के विषय में विस्तृत विवरण निरंतर उपलब्ध कराया जाना चाहिये। नियंत्रण कक्ष में अभिलेखीकरण पर विशेष बल दिया जाना चाहिये और यदि संभव हो तो वहाँ प्राप्त होने वाली एवं दी जाने वाली सूचना को रिकार्ड किया जाना चाहिये। इन घटनाओं के बाद होने वाली विभिन्न प्रकार की न्यायिक एवं अन्य जाँचों में इस तरह के अभिलेखों के उपलब्ध होने पर काफी सुविधा होती है। • परिवार से बिछड़ गए लोगों की देखभाल करना– प्रायः भूकंप के बाद घायल तथा मृतकों के रिश्तेदार एवं बड़ी संख्या में लोग अपने परिजनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये एकत्रित होते हैं। इनको वांछित सूचना नियंत्रण कक्ष के माध्यम से उपलब्ध करायी जानी चाहिये।

		स्वैच्छिक संगठनों के स्वयं सेवकों को इनके सहायतार्थ लगाया जाना चाहिये जो किसी पुलिस अधिकारी के मार्गदर्शन में कार्य करें। यदि किसी विदेशी नागरिक की घटना में मृत्यु होती है या वह घायल होता है तो पुलिस को चाहिये कि उसके सम्बन्ध में विस्तृत सूचना वियना कन्वेंशन में दिये गये प्राविधानों के अनुसार सम्बन्धित देश के दूतावास को यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जाये। • प्रभावित क्षेत्र की विधि– व्यवस्था का संधारण.गिरफ्तारी की आवश्यकता हो तो आवश्यकतानुसार गिरफ्तारी की जानी चाहिये तथा नियमानुसार अन्य वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिये। • खुले मैदानों और पार्कों में बड़ी संख्या में लोग आश्रय लेते हैं, अतः रात्रि में ऐसे स्थानों पर सुरक्षा देना, प्रकाश और मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने वाली एजेंसियों को पूर्ण सहयोग देना, पार्कों में महिलाओं और बच्चो को सुरक्षा देना आदि। • भूकंप के समय सोशल मिडिया पर कई प्रकार की अफवाहों का जोर रहता है, ऐसी अफवाहों पर नियंत्रण लगाना और उचित अफवाह फैलाने वालों पर कानूनी करवाई करना। • आवश्यक सामग्रियों की काला बाजारी और जमाखोरों पर कारवाई करना। • चिकित्सा केन्द्रों पर सुरक्षा देना – कई बार अस्पतालों में घायलों और मृतकों की बड़ी संख्या आ जाती है। ऐसी स्थिति में चिकित्सकों एवं अस्पतालों की सुरक्षा करना तथा मृतकों की पहचान होने तक शवों को अस्पताल के मुर्दा घर में सुरक्षित रखवाना एवं कानूनी औपचारिकताएँ पूरी करना। • गैर– स्थानीय लोगों के शवों को उनके मूल स्थान तक भेजने हेतु प्रशासन के साथ समन्वय।
	भूकंप के दौरान रिस्पांस	
सुखाड़/लू/अग्निकांड/ आँधी /चक्रवाती तूफान/शीतलहर/ वज्रपात		• गर्मी के मौसम में अगलगी की घटनाएँ होती हैं, उसके रेस्पोंस की पूर्व तैयारी करना। फायर हॉट स्पॉट को चिह्नित करना। अगलगी की रोकथाम हेतु अग्निशमन सेवा द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जन–जागरूकता अभियान चलाना, और माक–ड्रिल करना। • सुखाड़ धीमी गति से आने वाली आपदा है, इसमें पुलिस प्रशासन की मुख्य भूमिका जल संसाधन विभाग/जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर नहरों आदि से हाने वाली सिंचाई व्यवस्था में व्यवधान उत्पान्न करने वालों पर करवाई करना है। • लू/आंधी–चक्रवाती तूफान के प्रकोप से प्रभावित लोग बड़ी संख्या में सरकारी अस्पतालों में भर्ती हो सकते है, ऐसे समय में सरकारी अस्पताल में चिकित्सकों पर अत्यधिक कार्य बोझ होता है, तथा कई बार पीड़ित जनता उनके साथ दुर्वयवहार करते हैं, पुलिस को उनकी पर्याप्त सुरक्षा देना होता है। • इन आपदाओं में मृत लोगों का शीघ्र पोस्ट–मार्टम कराना, जिससे की उन्हें सरकारी अनुदान शीघ्र प्राप्त हो सके।

राहत शिविरों की व्यवस्था	राहत शिविरों की व्यवस्था राहत केन्द्रों/और राहत वितरण कार्यो की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना पुलिस के महत्वपूर्ण कार्य है।

उपरोक्त कार्य उदाहरण स्वरूप (illustrative) हैं, पूर्ण (exhaustive) नहीं। अतएव पुलिस पदाधिकारी स्थिति विशेष के अनुसार आपदा प्रबंधन में अपनी स्वयं भी परिभाषित कर सकते हैं।

मानव जनित आपदाएँ एवं पुलिस की भूमिका

— श्री रमाशंकर राय, भा.पु.से.

मानव जनित आपदाएं

- मानवजनित आपदा—इस तरह की घटना मानवीय भूल, लापरवाही या यांत्रिक त्रुटि तथा गलत इरादे से किये गए कार्य के कारण घटित होती हैं, जिसमें जान माल की क्षति होती हैं। इसमें मानव निर्मित प्रणाली की विफलता भी शामिल है। इस तरह की आपदाएं तकनीकी या सामाजिक भी कही जाती है। इसमें कभी तो पूर्वानुमान लगाना संभव हो पाता है, परन्तु कई बार इसका पूर्वानुमान बिल्कुल ही नहीं लगाया जा सकता है।

  जैसे— भोपाल गैस त्रासदी, चेर्नोबिल दुर्घटना आदि तकनीकी मानव जनित आपदाओं के उदाहरण हैं। नाव दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, मानवीय कारण एवं तकनीकी कारणों से भी सकती है।

- भोपाल गैस आपदा की घटना 03 दिसम्बर 1984 को मध्यप्रदेश के भोपाल शहर में यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) नामक जहरीली गैस के रिसाव होने के कारण हुई थी, मिथाइल आबो साईनेट का उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। इस घटना में करीब 5,58,125 लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए। आंशिक रूप से लगभग 38,478 लोग प्रभावित हुए तथा 3900 लोग अपंगता का शिकार हुए। उक्त त्रासदी में लगभग 8000 लोगों की मौत हुई थी। कई दशकों तक इस घटना का प्रभावितों के जीवन पर त्रासद प्रभाव रहा।

- 26 अप्रैल 1986 को युक्रेन के चेर्नोबिल में एक प्रणाली के परीक्षण के दौरान परमाणु संयंत्र में अचानक अत्यधिक विद्युत का उत्पादन होने से एक संयंत्र टूट गया, जिसके कारण अनियंत्रित नाभिकीय विस्फोट श्रृंखला शुरू हो गयी। इस घटना में भारी संख्या में जानमाल की क्षति हुई एवं लगभग 3,50,400 लोगों को अन्यत्र स्थानों पर विस्थापित करना पड़ा। इस घटना में हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी तथा लाखों लोग बुरी तरह से प्रभावित हुये थे।
- दिनांक–14 जनवरी 2017 को एन0आई. 0टी0 घाट, पटना में नाव दुर्घटना घटी, जिसके कारण लगभग 25 लोगों की मौत हो गई थी।
- बिहार राज्य स्थित मधुबनी जिले में 20 सितम्बर 2016 को सड़क दुर्घटना में एक बस तालाब में गिर गई, जिससे बस मे सवार 65 लोगों में से 36 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई।

मानवजनित आपदाओं के प्रकार :–

प्रमुख मानवजनित आपदाएं निम्नांकित है :–

1. सड़क दुर्घटना।
2. अगलगी
3. नौका दुर्घटना।
4. औद्योगिक दुर्घटना।
5. रेल दुर्घटना।
6. हवाई जहाज दुर्घटना।
7. बाँध दुर्घटना।
8. भगदड़।
9. डुबने की घटना इत्यादि।

सड़क दुर्घटनाः–

सड़क दुर्घटना के मुख्य कारण वाहन को तेज गति तथा लापरवाही से चलाना, पैदल सड़क पार करते समय असावधानी दो पहिया वाहन बिना हेलमेट के चलाना तथा सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करना है। सड़क दुर्घटना से लाख से अधिक की संख्या में देश में प्रतिवर्ष मृत्यु हो जाती है तथा कई लाख लोग जख्मी हो जाते हैं। बिहार में वर्ष 2018 में सड़क दुर्घटना मे ंमारे गए लोगों की संख्या 6700 के आसपास रही। सड़क दुर्घटना से होनेवाले भयावह स्थिति का पता निम्नांकित आंकड़ों से लगाया जा सकता है। अभी तक के अध्ययन से पता चलता है कि देश में जितनी मौतें प्राकृतिक आपदाओं से प्रतिवर्ष नहीं होती उससे ज्यादा मौतें सडक दुर्घटना से हो रही है।

- आंकड़ो के अनुसार भारत में वर्ष 2014 से 2017 के बीच क्रमशः 1,39,671, 1,46,133, 1,50,785 एवं 1,46,377 लोगों की मौत सड़क दुर्घटना से हुई (स्त्रोत–राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो)। यह आंकड़ा बिहार में वर्ष 2014–18 तक क्रमशः 4913, 5421, 4901, 5554 एवं 6729 है (स्त्रोत–अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना)। 2017 के आंकड़ा के अनुसार भारत की सड़कों पर प्रति घंटा 16 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 53 व्यक्ति जख्मी होते हैं (स्त्रोत–राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो)।

बिहार में 10 वर्षों का सड़क दुर्घटनाओं के आँकड़े

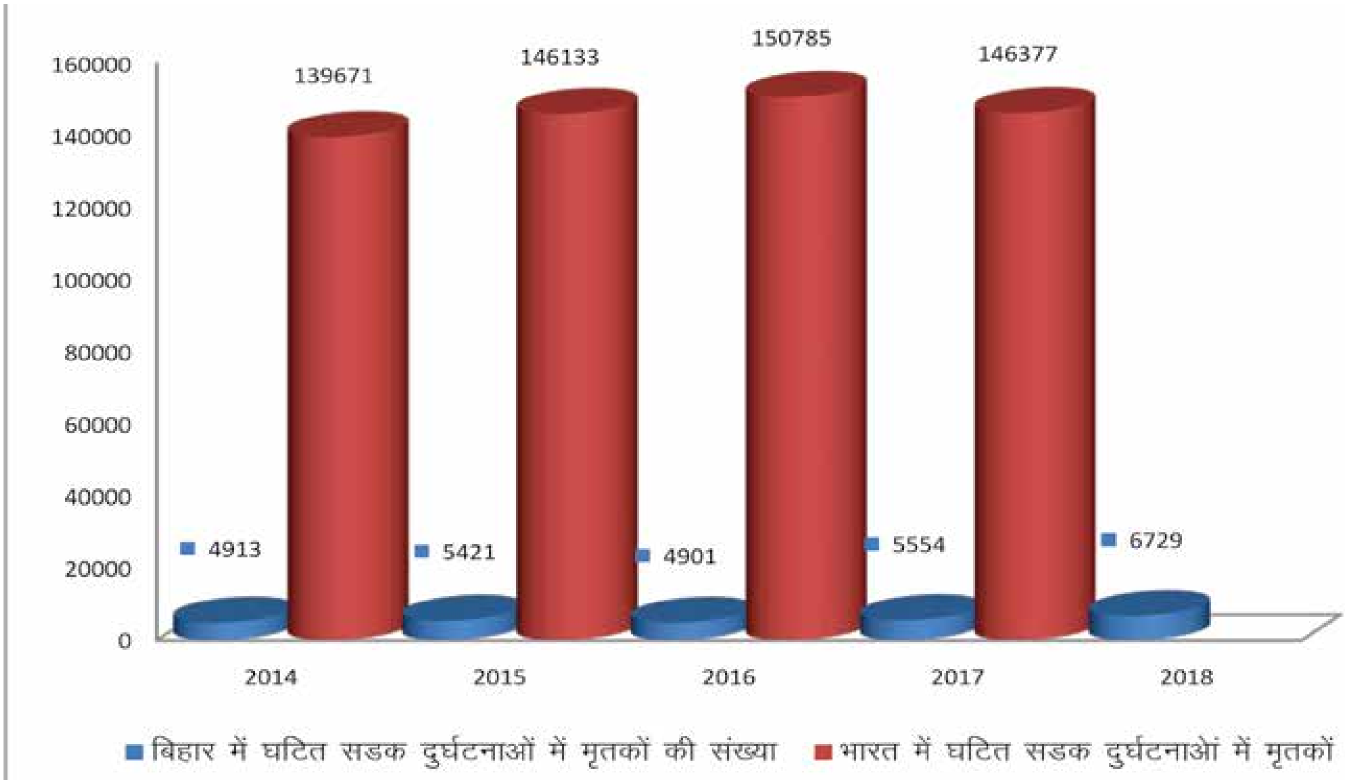

क्रमांक	वर्ष	कुल दुघर्टनाओं की संख्या	मृत व्यक्तियों की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या
1	2007	7774	3482	5971
2	2008	8997	3990	6359
3	2009	10065	4390	7113
4	2010	11033	5137	8106
5	2011	10673	5090	7083
6	2012	10320	5056	7142
7	2013	10200	5061	7086
8	2014	9556	4913	6640
9	2015	9555	5421	6835
10	2016	8222	4901	5651
11	2017	8855	5554	6014
12	2018	9600	6729	5306

(स्त्रोत—अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना।)

बिहार सड़क दुर्घटना मानचित्र

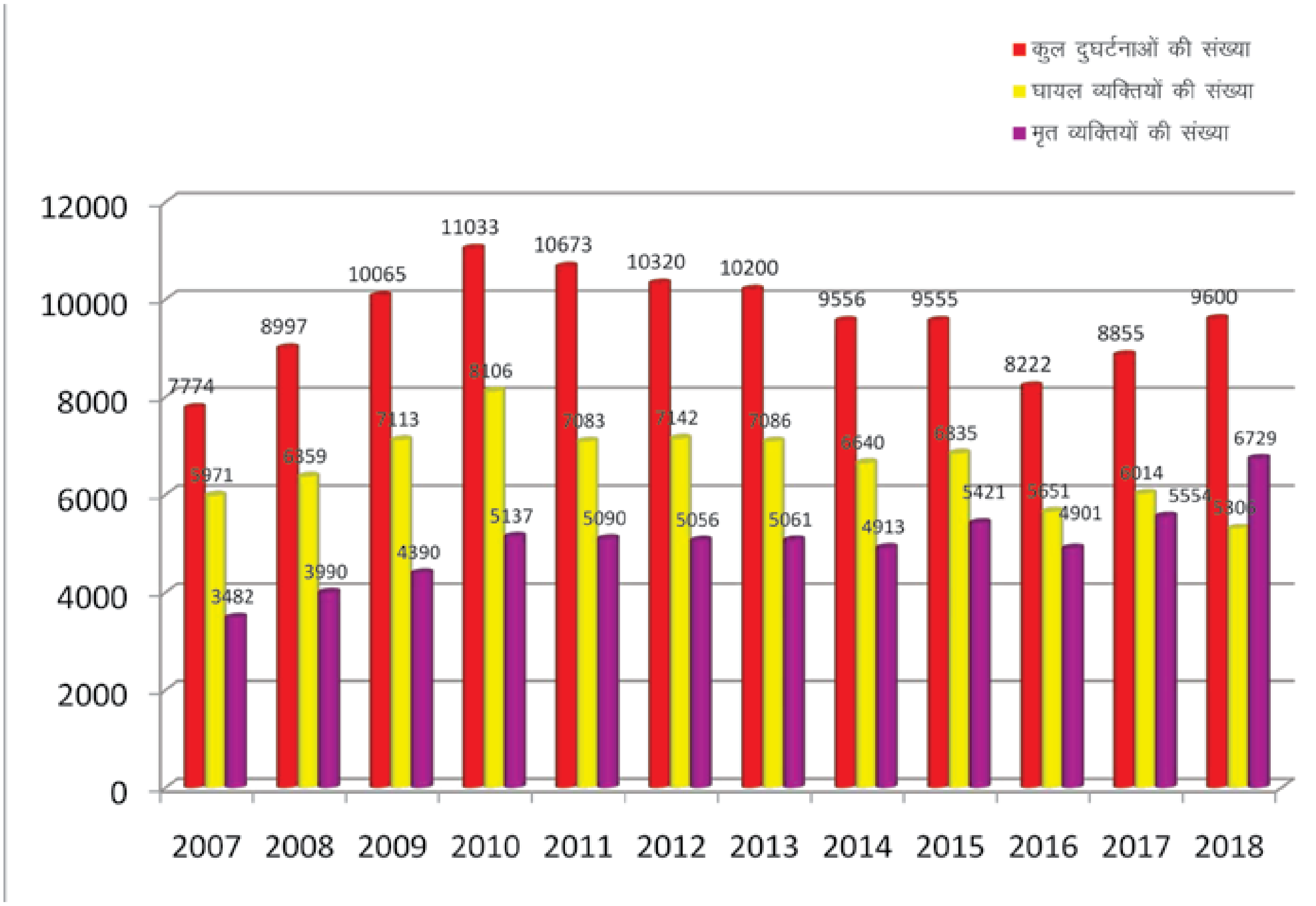

बिहार में घटित प्रमुख सड़क दुर्घटनाएं

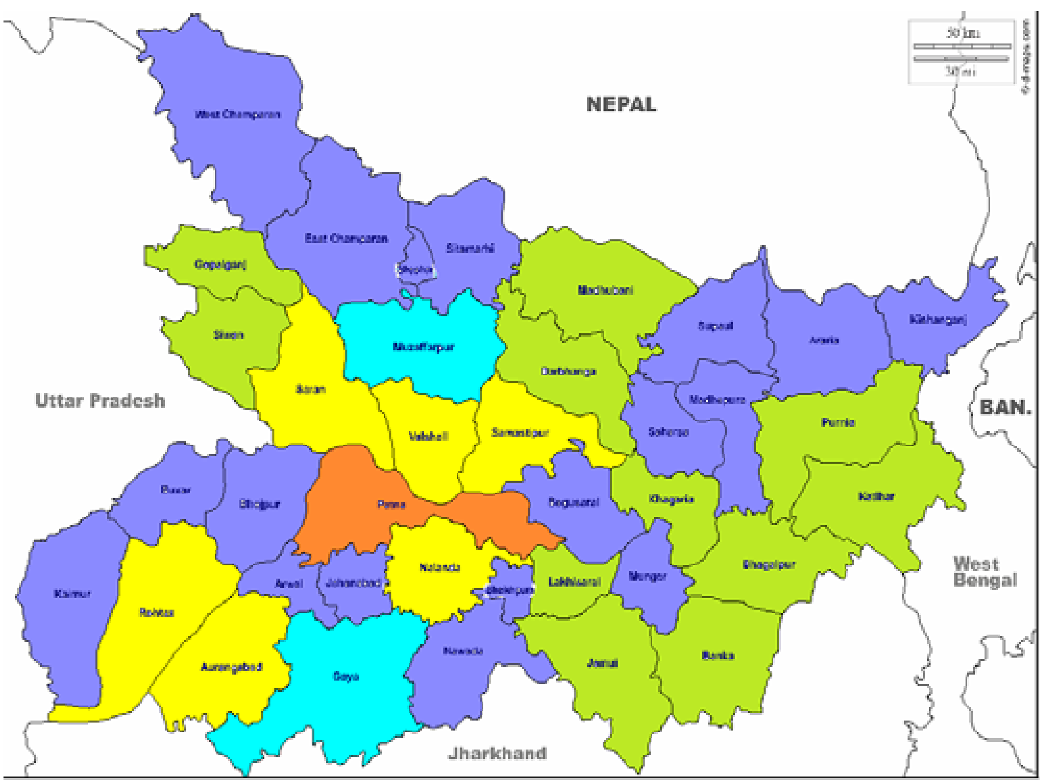

सड़क दुर्घटना मानचित्र

- बिहार राज्य स्थित मधुबनी जिलें में 20 सितम्बर 2016 को सड़क दुर्घटना में एक बस तालाब में गिर गई, जिससे बस मे सवार 65 लोगों में से 36 लोगो की मौत घटनास्थल पर ही हो गई।

- 24 फरवरी 2018 में मुजफ्फरपुर–सीतामढ़ी एन0एच0–77 पर दोपहर करीब 01 बजे धर्मपुर

गाँव के समीप अनियंत्रित वाहन द्वारा सड़क पार कर रहे प्राथमिक स्कूल के बच्चों को रौंद दिया गया, जिसमें 09 बच्चों की मौत हो गई तथा 20 बच्चे घायल हो गये।

सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण

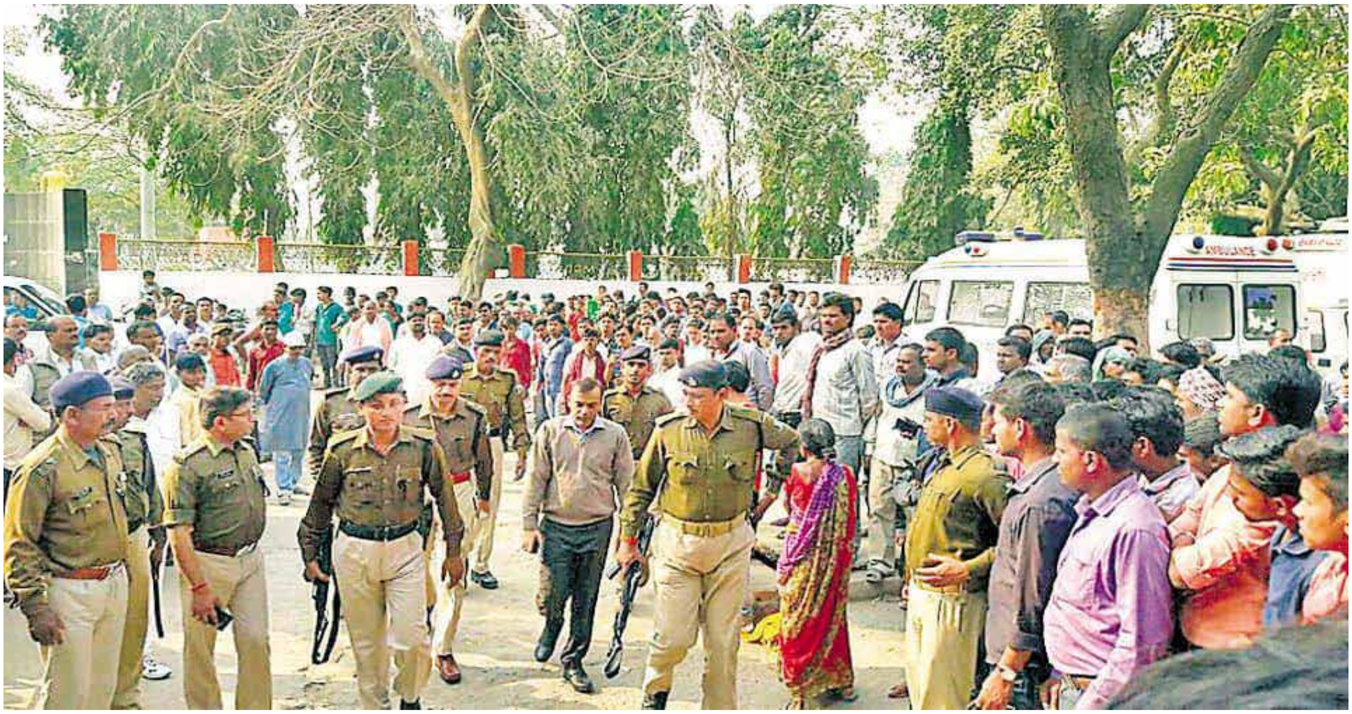

1. सड़कों पर लापरवाही से गाड़ी चलाना।
2. तेज गति से वाहन चलाना।
3. यातायात नियमों का पालना नहीं करना।
4. अप्रशिक्षित चालकों द्वारा वाहनों को चलाना।
5. सड़क यातायात के प्रतीक चिन्हों को अच्छी तरह नही समझना ।
6. आवश्यक रूप से ओवरटेक करना।
7. गाड़ियों की संख्या में वृद्वि।
8. सड़कों पर पर्याप्त मात्रा में प्रतीक चिन्हों (symbol) का अभाव।
9. वाहन चालन के अनुज्ञप्ति के नियमों का पालन नहीं करना।
10 निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करना।
11. इयरफोन लगाकर वाहन चलाना।
12. हेलमेट और सीटबेल्ट का प्रयोग नहीं करना।
13. घिसे टायरों एवं खराब हेड लाईटों का प्रयोग करना।
14. वाहनों का निरीक्षण ससमय नहीं कराना।
15. वाहन चलाते समय अधीरता, क्रोध और नशायुक्त पदार्थो का सेवन करना।
16 सड़क के मोड़/घुमाव/तिराहे/ गोलम्बर पर नियंत्रित गति से वाहन नहीं चलाना।
17. सड़क पर खड़े होकर फोटो खींचना अथवा खिंचवाना।
18. व्यावसायिक वाहन चालकों का थके होने के बावजूद भी वाहन चलाना।
19. पैदल सड़क पार करते समय लापरवाही
20. सड़कों के निर्माण में तकनीकी दोष
21. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग एवं सेल्फी लेना।

सड़क दुर्घटना में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका

- घटना की सूचना प्राप्त होते ही तुरन्त घटनास्थल पर पहुँचना और इसी क्रम में घटना के संबंध में सही सूचना प्राप्त करते हुए वहाँ के स्थिति के संबंध में वरीय/कनीय पदाधिकारी, अस्पताल, SDRF एवं अन्य सहयोगी व्यक्तियों को ससमय सहयोग हेतु सूचित करना।
- घायलों को ससमय अस्पताल पहुँचाने की व्यवस्था करना।
- घायलों को सही तरीके से उठाना/जख्मी/मृतकों हेतु प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करना।
- अफवाह को रोकने के लिए कार्रवाई करना। घटनास्थल की स्थिति के अनुसार संचार के माध्यमों तथा वैकल्पिक रास्तो के बारे में आवश्यक कार्रवाई करना।
- पीड़ित एवं घायल व्यक्ति को CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) एवं ABC (Airway, Breathing & Circulation) के नियमों का अनुसरण करना तथा आवश्यकतानुसार अन्य सहयोगी को बुलाना एवं अन्य प्राथमिक उपचार की कार्रवाई करना।
- दुर्घटना से संबंधित काण्डों का अनुसंधान का भी तत्परता एवं वैज्ञानिक तरीके से करना।
- प्राथमिकी में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का पूरा ब्यौरा अंकित करना।
- घटना के संबंध में ब्रीफिंग तथा डि–ब्रीफिंग करना।
- सही तरीके से एवं ससमय प्रेस ब्रीफिंग करना।

- प्राथमिकी में सही धाराओं (भा0द0वि0 एवं अन्य एक्ट) का इस्तेमाल करते हुए वाहन की ससमय जाँच MVI से अवश्य कराना।
- घटनास्थल की फोटोग्राफी/विडियोग्राफी सभी दिशाओं से कराना। इसी क्रम में भौ. तिक, रासायनिक, बॉयोलॉजिकल एवं अन्य साक्ष्यों के संकलन में ध्यान देना आवश्यक है।
- दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के परिजन को ससमय सूचना उचित तरीके से देना चाहिए।
- मुआवजा के प्रस्ताव की प्रक्रिया उचित एवं नियमानुकूल करते हुए ससमय एवं विधिवत कार्रवाई करना।
- अन्य आवश्यक कार्रवाई जैसे–भीड नियंत्रण, वी0आई0पी0 सुरक्षा, संचार के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करना।

अगलगी

किसी वस्तु के जलने की घटना है। प्रायः ये काफी विध्वंसकारी होती है, जिसमें जान–माल दोनों की ही हानि होती है। गर्मी के दिनों में इस तरह की घटनाएं ज्यादातर होती है। इस तरह की घटना प्राकृतिक/मानव निर्मित दोनों हो सकती है।

प्रभाव

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 18(2)(d) के आलोक में अगलगी की रोकथाम, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी एवं क्षमतावर्द्धन संबंधी मार्गदर्शिका (Guideline)

इस तरह की घटनाओं में जलने या गंभीर रूप से चोट के कारण मानव एवं पशुओं को जान और माल दोनों का भारी नुकसान होता है। गाँव में भंडारित सम्पूर्ण फसल का नुकसान हो जाता है। शहरों मे घर, झुग्गियाँ, इमारतें, विशेषकर गोदाम और फैक्ट्री इस तरह की घटनाओं की चपेट में आते हैं। इसके कारण लोग जलने तथा दम घुटने के कारण मर जाते हैं। इससे हवा, पानी, और मिट्टी भी संदूषित हो जाती है। इससे फसलों, वनस्पतियों, जानवरों और भूमि के उपजाऊपन पर दुष्प्रभाव पड़ता है।

प्रमुख कारण

1. जलती हुई दियासलाई या बीड़ी, सिगरेट को जान बूझकर या लापरवाही से इधर–उधर फेंकने से। पकी फसलों या खलिहानों में आग लगने का प्रमुख कारण यही है।

2. घरों में खाना बनाते समय किरोसीन स्टोव या गैस स्टोव से कपड़ों में आग लग जाना। लकड़ी/उपले से खाना बनाते समय चूल्हे के पास आग बुझाने/पानी भरी बाल्टी का न होना।

3. बिजली के तारों में शार्ट सर्किट होने से ।

4. बिजली के उपकरणों के अधिक गर्म होने से या फिर निम्न कोटि के बिजली के उपकरणो के प्रयोग करने से।

5. घरों के आस पास कूड़े–कचरे के ढेर लगना जिसमें किसी के द्वारा लापरवाही से सिगरेट के जलते टुकड़े फेंक देना।

6. ज्वलनशील पदार्थों जैसे–पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, गैस आदि का भंडारण और स्थानान्तरण बिना किसी सावधानी के करना।

7. पटाखों, गैस विस्फोट तथा अन्य विस्फोटक पदार्थों इत्यादि से।

8. खाना बनाने के बाद चूल्हे की आग को बिना बुझाए छोड़ देना। चूल्हे की चिंगारी गर्म तेज हवाओं के कारण इधर–उधर उड़कर

9. खेतों में कटनी के बाद छोड़े गए डंठल/पराली को जलाना/डंठल/पराली की आग गर्म तेज हवाओं में तेजी से फैलती है।

अगलगी के प्रमुख उदाहरण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में

क्र.	घटनास्थल	घटना की तिथि	मृतक/घायलों की संख्या
1	ग्रेटर मुम्बई बन्दरगाह की आग दुर्घटना	14 अप्रैल 1944	336/1040
2	आंघ्र प्रदेश के करीम नगर जिले के मुडनूर गाँव में लगी आग	18 मई 1989	2500 प्रभावित व्यक्तियों की संख्या
3	उपहार सिनेमा घर दिल्ली में आग	13 जून 1997	57/105
4	तमिलनाडू के थंजावर जिले, कुम्बाकोनम के स्कूल में लगी आग	16 जुलाई 2004	100/100
5	ए0एम0आर0आई0 अस्पताल, कोलकता की आग दुर्घटना	09 सितम्बर 2011	90 (मुख्यतः मरीज)/ सैकडों
6	सूरत के कोचिंग सेन्टर (संरथाना ऐरिया) में आग की घटना	24 मई 2019	22/17

अगलगी की घटना को जोखिम न्यूनीकरण एवं पूर्व तैयारी

- गर्मी के मौसम से पहले अग्निशाम केन्द्रों के साथ बैठकर अग्निशाम वाहनों एवं अन्य प्रबंधों की समीक्षा कर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि गाड़ी चालक एवं अन्य संबंधित साधन/संसाधन सही हालत में हैं।
- अग्निशाम के द्वारा किये जा रहे जन–जागरूकता कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदार को सहयोग करना, जिससे कि सामुदायिक क्षमता में वृद्धि हो सके।
- आग बुझाने हेतु पानी के प्रबन्धन/व्यवस्था में सीधे पुलिस की भूमिका नहीं होती है, फिर भी अधिकतम प्रभावित क्षेत्रों/स्थानों को चिन्हित कर स्थानीय जन–प्रतिनिधि, अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी इत्यादि से समन्वय स्थापित करपानी का प्रबंध/व्यवस्था करना।
- आस–पास के सभी चिकित्सक/चिकित्सा केन्द्रों के कर्मियों, स्थानीय जन प्रतिनिधिगण का फोन नम्बर अपने मोबाईल में सुरक्षित रखना तथा घटना के समय सहयोग हेतु सूचित करना।
- आस–पास के चालक, एम्बुलेन्स एवं वाहनों की सूची/मोबाईल नम्बर उपलब्ध रखना तथा घटना के समय सहयोग हेतु सूचित करना।

- ज्वलनशील पदार्थों और रासायनों के सुरक्षित भंडारण एवं उपयोग हेतु जागरूकता एवं संबंधित कानूनों का प्रवर्तन (enforcement)
- कार्यालयों एवं बहुमंजिली इमारतों में अग्निशमन यंत्र फायर बॉल अवश्य रखें और उसका उपयोग करना भी मालूम होना चाहिए।
- घर से बाहर जाते समय सावधानीपूर्वक बिजली और गैस के सभी उपकरणों को बन्द कर दें।
- एक ही सॉकिट मे बहुत से प्लग न लगायें।
- माचिस के डिब्बों को बच्चों की पहुँच से दूर रखें।
- खाना बनाने के समय ढीले–ढाले कपड़े न पहनें।
- पहुँच या प्रवेश मार्ग को फर्नीचर/अन्य से बाधित ना करें।
- तेज हवा के समय किसी भी तरह के घरेलू उपयोग के लिए आग का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
- घर एवं खलिहान पर समुचित पानी एवं बालू की व्यवस्था रखें।
- गैस चुल्हे का इस्तेमाल करने के बाद तुरन्त सिलिंडर का नॉब बंद कर दें।
- अग्नि सुरक्षा मॉकड्रिल का नियमित अभ्यास।
- रूको, लेटो, लुढ़को का नियमित अभ्यास।
- घर में चूल्हा, ढिबरी, मोमबत्ती, कपूर इत्यादि जलाकर न छोड़ें।
- गैस की दुर्गन्ध आने पर बिजली के स्वीच को ऑन नहीं करें तथा दियासलाई एवं अन्य जलती हुई वस्तुओं का इस्तेमाल न करें
- खुली जगह में कूडा जलाने से पूर्व पानी/बालू/मिट्टी आदि की व्यवस्था जरूर रखें।
- रसोई घर में कोई भी ज्वलनशील पदार्थ यथा–मिट्टी तेल, सिंथेटिक कपड़े इत्यादि नही रखें।
- खतरनाक पदार्थ जैसे–पेन्ट, सॉल्वैंट, आसंजक (Adhesive), रासायन या गैस सिलिंडर का भंडारण अलग स्थान पर करें जो आग से बहुत दूर हो।
- शादी समारोह और त्योहार पर होने वाली आतिशबाजियों के समय सावधानी रखें। इत्यादि।
- घटना की सूचना प्राप्त होते ही तुरन्त घटनास्थल पर पहुँचना और इसी क्रम में घटना के संबंध में सही सूचना प्राप्त करते हुए वहाँ की स्थिति के संबंध में वरीय/कनीय पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जन प्रतिनिधिगण, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र के कर्मियों एवं पदाधिकारियों को ससमय सहयोग एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचित करना।
- घायलों को ससमय अस्पताल पहुँचाने की व्यवस्था करना।
- घायलों को सही तरीके से उठाना तथा जख्मी/मृतकों के बारे में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करना।
- हवा के दिशा में आग से प्रभावित होनेवाले व्यक्ति, जानवर, इमारत/मकान, झोपडी एवं अन्य को सुरक्षित बचाने की कार्रवाई करना।
- अग्निशाम के गाडी को स्कॉर्ट करना तथा सुरक्षा देना, जिससे कि प्रभावित जगह पर वाहन यथाशीघ्र

पहुंच सके।

- स्थिति का आंकलन कर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करना।
- अफवाह को रोकने की कार्रवाई करना तथा यह पता करना कि भीड उग्र है या सामान्य है एवं उसकी मानसिकता क्या है ? उग्र भीड़ प्रबंधन कर किसी अनहोनी को रोकना।
- घटना आगलगी की यदि आपराधिक प्रकृति की हो तो उसकी विवेचना के लिए साक्ष्य संकलन करना, एफ0एस0एल0 के टीम को बुलाना एवं कांडों का सक्षम पदाधिकारी से अनुसंधान कराना।
- घटनास्थल की फोटोग्राफी/विडियोग्राफी सभी दिशाओं से कराना। प्राथमिकी में पीड़ित व्यक्ति का पूरा ब्योरा अंकित करना तथा वैज्ञानिक तरीके से एवं तत्परता पूर्वक अनुसंधान करना।
- सक्षम पदाधिकारी के द्वारा घटना के संबंध में प्रेस ब्रीफिंग करना तथा मीडिया कर्मियों से आदर पूर्वक बात करना।
- पीडित व्यक्तियों को अनुदान शीघ्र मिले इसके लिए उचित प्रक्रिया अपनाते हुए ससमय एवं विधिवत कार्रवाई करना।
- यातायात की त्वरित व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए भीड़ नियंत्रण के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्रव. ाई करना।
- VVIP/VIP के आगमन के अवसर पर सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था का प्रबंध करना।
- अनुसंधान के क्रम में भा0द0वि0 के अतिरिक्त आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सुसंगत धाराओं का इस्तेमाल करना।
- आग से बचने के लिए सुरक्षा नियमों का पूरी तरह पालन करने हेतु जागरूकता एवं पुलिस कार्यालयों/थानों में अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन करना।

आग लगने पर सावधानियाँ

1. तेल अथवा बिजली के आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
2. धुएँ से भरी जगह पर पैरों और पेट के बल फर्श पर रेंगकर चलें क्योकि धुआँ फर्श पर कम होता हैं।
3. तेल की आग के लिए मैकेनिकल फोम (झाग) बेस्ड अग्निशमन यंत्र का ही उपयोग किया जाना चाहिए।
4. बिजली के आग के लिए कार्बन–डाई–ऑक्साइड CO2 का अग्निशमन यंत्र का प्रयोग करें।
5. कम्प्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक सामानों में आग लगने पर कार्बन–डाई–ऑक्साइड का उपयोग किया जाना चाहिए। इससे आग भी बुझ जाती है तथा उपकरणों की भी अधिक क्षति नहीं होती है।
6. आग लगने पर घर से बाहर आने के लिए बालकनी का प्रयोग नहीं करके सीढ़ियों का प्रयोग करना चाहिए।
7. शरीर पर लिपटे कपड़ों में आग लगने पर इधर–उधर न दौडें, बल्कि रूकें, जमीन पर लेटें एवं लुढ़के ताकि आग बुझ जाए।
8. शरीर पर लगे आग को बुझाने के लिए हमेशा सूती कंबल या सूती मोटे चादर का प्रयोग करना

चाहिए।

9. आग लगने पर घर के सारे खिड़की दरवाजे को खोल दिया जाना चाहिए ताकि धुऑ बाहर निकल सके।

10. फायर बिग्रेड, स्थानीय पुलिस, अस्पताल, NDRF/SDRFएवं अन्य वरीय पदाधिकारीगण एवं संबंधित विभाग को अविलम्ब सूचित किया जाना चाहिए।

11. आग लगने पर अनावश्यक भाग–दौड़ नहीं किया जाना चाहिए।

12. आग से बचने के लिए सुरक्षा नियमों का पूरी तरह पालन करें।

13. यदि किसी बिल्डिंग में आग लगी हो एवं आप उक्त बिल्डिंग में किसी कमरे में हो तो उसके कमरे में धुँआ आने से रोकने के लिए भींगी तौलिया या अन्य भींगे कपड़ों से दरवाजों/खिड़कियों के छिद्रों को बंद कर दें।

अगलगी के प्रमुख उदाहरण :–

- 18 दिसम्बर 2017 को खैरवानी रोड, लक्ष्मी नारायण मंदिर, साकीनाका, मुंबई में भानू फरसान शॉप में सुबह करीब 04:15 बजे अगलगी की घटना हुई, जिसमें लगभग 12 लोगों की मौत हो गयी।

- 25 मई 2017 को पटना शेखपुरा पथ पर नालन्दा जिलान्तर्गत हरनौत मार्केट मे पास एक चलती बस में कार्बाइड, रसायन लोड होने के कारण आग लग गई जिसमें सवार 08 व्यक्तियों की मौत हो गई एवं लगभग 20 लोग घायल हो गये जिसमें 10 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल थे।

बिहार राज्य में अग्निकाण्ड से संबंधित आँकड़ा
(वर्ष 2005 से 2018 तक)

क्रमांक	वर्ष	कुल अग्निकाण्ड की संख्या	मृतको की संख्या	मृत जानवरों की संख्या
1	2005	2523	78	194
2	2006	2298	29	124
3	2007	1863	21	70
4	2008	2331	60	123
5	2009	3898	82	489
6	2010	4479	129	852
7	2011	3724	94	586
8	2012	6072	152	1845
9	2013	5977	162	1228
10	2014	6449	127	2376
11	2015	6144	55	742
12	2016	8997	129	2342
13	2017	6561	86	1162
14	2018	8382	71	1390

(स्त्रोत–बिहार अग्निशमन सेवा)

नाव दुर्घटना

बिहार में बड़ी संख्या में लोग अपने दिनचर्या के कामों में (जैसे– जीविकोपार्जन, कृषि कार्य एवं परम्पराओं से जुड़े त्यौहारों इत्यादि कार्यों के सम्पादन हेतु) नौकाओं का उपयोग करते रहे हैं, परन्तु बहुधा वे नौका दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं एवं बहुमूल्य मानव–जीवन काल के गाल में समा जाता है। नौका संचालन हेतु नाविकों एवं यात्रियों में जागरूकता का अभाव, सुरक्षा नियमों की अनदेखी, नौकाओं के निर्माण में निर्धारित मानदंडों का पालन न होना, नाव में समुचित सुरक्षा के उपकरणों की अनुपस्थिति, ओवरलोडिंग, जानवरों, वाहनों एवं यात्रियों का एक साथ परिवहन आदि नौका दुर्घटना होने के प्रमुख कारण हैं।

बिहार की प्रमुख नाव दुर्घटनाएँ

- वर्ष 2006 में पटना सिटी में ओवरलोडिंग के कारण गंगा नदी में नाव डूबने से 25 लोगों की मृत्यु हो गयी थी एवं 40 से अधिक लोग लापता हो गये थे।
- वर्ष 2009 में विजयादशमी उत्सव के समय खगड़िया जिले में बागमती नदी मे चक्रवाती तूफान के कारण नौका पलट जाने के कारण 90 लोग डूब गये।
- 23 अगस्त 2016 को दिन मे लगभग 02 बजे पुनपुन नदी में नौका दुर्घटना हुई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई।
- 12 सितम्बर 2017 को सीतामढ़ी जिला के रूनी सैदपुर प्रखण्ड के मुधौल गाँव के पास नाव पलटने के कारण 01 बच्चे सहित 02 लोगों की मौत हो गई थी।
- 27 सितम्बर 2017 को शिवहर जिला पुरनहिया के खैरा पहाड़ी के पास मे बागमती नदी में नाव पलटने से 04 लोगों की मौत हो गई।
- 16 अक्टूबर 2017 को छपरा के पानापुर प्रखण्ड के सरौजा के भगवानपुर के पास नाव पलटने से 11 लोगों की मौत हो गई।
- 05 नवम्बर 2017 को समस्तीपुर में बागमती नदी में नाव पलटने के कारण 03 महिलाओं की मौत हो गई।
- 14 जनवरी 2017 मकर संक्रान्ति के अवसर पर भारी संख्या में लोग एन0आई0टी0 घाट से गंगा के दुसरी तरफ पिकनिक मनाने गये थे। संध्या हो जाने एवं नाव की कमी के कारण वापस आने के क्रम में एक छोटे से नाव पर लगभग 40 यात्री सवार हो गये। नाव पर क्षमता से अधिक लोगों के सवार होने के कारण नाव बीच नदी में ही दुर्घटना का शिकार हो गयी, जिसमें 25 लोगों की मृत्यु हो गई।

नाव दुर्घटना के प्रमुख कारण

- ओवरलोड़िंग
- नौका संचालन हेतु नाविकों एवं यात्रियों मे जागरूकता का आभाव ।
- सुरक्षा नियमों की अनदेखी ।
- नौकाओं के निर्माण में निर्धारित मापदण्डों का उपयोग न होना ।
- समुचित सुरक्षा उपकरणों का अभाव/अनुपस्थिति ।
- जानवरों, वाहनों एवं यात्रियों का एक साथ परिचालन ।
- बंगाल नाव–घाट अधिनियम, 1885 के अधीन बिहार आदर्श नियमावली, 2011 में दिये गये निर्देशों का सही सही अनुपालन नही किया जाना, जैसे–
  - नौकाओं की संरचना एवं रख–रखाव सही ढ़ंग से नहीं करना ।
  - नौका परिचालन हेतु आवश्यक नियम एवं आचरण का पालन नहीं करना ।
  - नाव के निबंधन एवं अनुज्ञप्ति के नियमों का उल्लंघन करना ।
- वर्षा एवं चक्रवात/तूफान/तेज हवाओं के समय नाव चलाना ।
- जीवन रक्षा उपकरणों (लाइफ जैकेट) एवं रस्सी इत्यादि का उपयोग नहीं करना।
- नाविक के निदेर्शों का उल्लंघन करना तथा उस पर दबाव बनाना ।
- सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद नाव की यात्रा करना ।
- नाव यात्रा के दौरान जल्दबाजी करना ।
- लदान क्षमता दर्शानेवाले सफेद पट्टी के निशान की अनदेखी करना इत्यादि।

नाव दुर्घटना का जोखिम न्यूनीकरण एवं पूर्व तैयारी –

सुरक्षित नौकायन के लिए बंगाल नौ–घाट अधिनियम, 1885 के अधीन आदर्श नियमावली–2011, बिहार सरकार द्वारा निर्गत है, जिसमें सुरक्षित नौकायन हेतु नाव की परिभाषा, नाव का प्रकार, निबंधन, सर्वेक्षक, नाव अनुज्ञप्ति की शर्ते तथा निबंधन के रद्दीकरण के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। उपरोक्त नियमों के अनुपालन करने से नौका दुर्घटना का जोखिम कम होता है। इसी संदर्भ में निम्नांकित बातों को ध्यान रखना आवश्यक है :–

- किसी भी स्थिति में ओवर लोडेड नाव पर ना बैठे।
- जिस नाव पर जानवर ढोये जा रहे हो उस नाव पर यात्रा न करें।
- जिस नाव पर लदान क्षमता दर्शाते हुए सफेद पट्टी का निशान एवं पंजीकरण संख्या अंकित ना हो तो उस नाव से यात्रा ना करें।
- जिस नाव पर लदान क्षमता दर्शाने वाला सफेद पट्टी का निशान डूबा हो तो वैसी नाव पर यात्रा ना करें। नाव पर यात्रियों की संख्या अंकित होना भी आवश्यक है।

- जिस नाव पर जीवन रक्षा हेतु लाईफ जैकेट, लाईफ बॉय के साथ प्राथमिक बॉक्स एवं रस्से आदि ठीक तरीके से रखे हो, उसी नाव पर यात्रा करनी चाहिए।
- नाव पर यात्रा करते समय शांतिपूर्वक बैठना चाहिए।
- सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नाव की यात्रा नहीं करनी चाहिए।
- नाव यात्रा के दौरान चढ़ने एवं उतरते समय किसी तरह की जल्दबाजी नही दिखानी चाहिए।
- नाव यात्रा के दौरान किसी भी तरह का नशा नहीं करनी चाहिए।
- खराब मौसम में नाव की यात्रा नहीं करनी चाहिए।
- वर्षा ऋतु में उफनायी नदियों/तालाबों में नाव यात्रा करने से परहेज करना चाहिए।
- नाविकों एवं नाव मालिकों को तकनीकी एवं व्यावहारिक जानकारी होनी चाहिए।
- नौकाओं मे लदान क्षमता से संबंधित दिये गये दिशा–निर्देशों का सही–सही अनुपालन किया जाना चाहिए।
- माल, यात्रियों एवं मवेशियों को ढ़ोने की क्षमता का सही–सही आकलन किया जाना चाहिए।
- नाव यात्रा के दौरान नौकायें सूखी होनी चाहिए। नाव में पानी का रिसाव नही होना चाहिए।
- नाव यात्रा के दौरान सेल्फी नहीं लिया जाना चाहिए।

नाव दुर्घटना में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका

- घटना के बारे में सूचना प्राप्त होने पर तुरन्त घटनास्थल पर पहुँचना।
- घटना के संबंध में सही आंकलन/जानकारी प्राप्त कर अनुमंडल पदाधिकारी, अचलाधिकारी, स्थानीय मुखिया से तैराक/चालकों के बारे में पता कर बुलाने हेतु सूचित करना।
- अनुमंडल पदाधिकारी/अंचलाधिकारी के माध्यम से NDRF/SDRF के टीम को ससमय सहयोग एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु बुलाना।
- पीड़ित/घायल व्यक्ति को तुरन्त अस्पताल/चिकित्सक के पास ले जाना तथा ले जाने के क्रम में ही पूर्व से अस्पताल प्रबंधन/ चिकित्सक को सूचित करना।
- पानी के बहाव की दिशा के क्रम में पुल पुलियों के बारे में पता करते हुए वहाँ महाजाल एवं तैराकों को लगाना।
- पीड़ित/घायल व्यक्तियों को **CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation)**एवं **ABC (Airway, Breathing & Circulation)** के नियमों का अनुसरण करते हुए आवश्यक कार्रवाई करना तथा अन्य को भी मदद के लिए बुलाना।
- घायल/पीड़ितों को सही तरीके से उठाना। जख्मी/मृतकों में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करना।
- घायलों को अस्पताल पहुँचाने हेतु वाहन/एम्बुलेंस की व्यवस्था करना।
- अफवाह रोकने की कार्रवाई करना।

- आसपास के नाविकों/नाव को घटनास्थल पर आवश्यक कार्रवाई हेतु बुलाना।
- आवश्यकतानुसार बल की माँग करना।
- वैकल्पिक/सुरक्षित स्थानों पर पीडित/घायलों को रखने के संबंध में उचित व्यवस्था हेतु आवश्यक कार्रवाई करना।
- भीड़ की मनोदशा के बारे में पता करना तथा आपराधिक तत्व के पाए जाने पर भा0द0वि0 एवं आपदा प्रबंधन की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई करना।
- मृतकों एवं घायलों का पहचान करते हुए सभी दिशाओं से फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी की कार्रवाई करना।
- संबंधित घटनाक्रम का अभिलेखित करना।
- VVIP/VIP के आगमन के अवसर पर सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था, विधि व्यवस्था का प्रबंध करना।
- अनुसंधान के क्रम में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के धारा 51 से 60 तक का इस्तेमाल करना।
- यातायात व्यवस्था एवं भीड नियंत्रण हेतु उचित व्यवस्था करना।
- पीड़ित व्यक्तियों के मुआवजा से संबंधित प्रस्ताव को उचित प्रक्रिया अपनाते हुए ससमय एवं विधिवत कार्रवाई करना।
- घटना के संबंध में ब्रीफिंग एवं डी ब्रीफिंग करना।
- संबंधित विभागों से सहयोग मॉगना एवं सहयोग करना।
- संचार के माध्यम को सुदृढ़ करना।
- नियंत्रण कक्ष एवं नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति तथा वायरलेस की समुचित व्यवस्था करना।
- वाहन/चालक/ईंधन की व्यवस्था के संदर्भ में कार्रवाई करना।
- घटना की अपराधिक विवेचना के लिए खोजी कुत्ते, एफ0एस0एल0 को घटना स्थल पर आने की सूचना देना एवं काण्डों का अनुसंधान में सही धाराओं का इस्तेमाल करते हुए सक्षम पदाधिकारी से अनुसंधान करवाना/करना।
- सूचना असूचना संग्रह के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करना।
- सक्षम पदाधिकारी के द्वारा प्रेस ब्रिफिंग करना। सही एवं स्पष्ट सूचना का प्रसारण करना तथा मीडिया कर्मियों से आदरपूर्वक बात करना।

डूबने की घटनाओं के समय प्राथमिक उपचार

- डुबे हुए व्यक्ति के मुँह व नाक में यदि कुछ फंसा हो तो अविलम्ब निकाल देना चाहिए।
- नाक और मुँह पर उँगलियों के स्पर्श से जॉच कर लें कि डूबे हुए व्यक्ति की साँस चल रही है कि नही ?
- नब्ज की जाँच करने के लिए गले में किनारे के हिस्सों मे उँगलियों से छुकर जानकारी प्राप्त करें कि नस चल रही है कि नही?
- नब्ज व साँस का पता नही चलने पर डूबे व्यक्ति के मुँह से मुँह लगाकर दो बार भरपूर साँस दे व 3–4 बार छाती के बीच में दबाव दें तथा इस विधि को 3–4 बार दुहरायें। ऐसा करने से धड़कन वापस आ सकती है, साँस चलना शुरू हो सकती है।
- प्रभावित व्यक्ति खांसने/बोलने, साँस ले सकने की स्थिति में हो तो उसे ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें।
- यदि प्रभावित व्यक्ति का पेट फूला हुआ है, तो पूरी संभावना है कि उसने पानी पी लिया होगा। अतः पेट से पानी निकालने की प्रक्रिया शुरू करें।
- उपरोक्त प्रक्रिया के बाद बचाये गये व्यक्ति को नजदीकी डॉक्टर अथवा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पर ले जायें।
- डॉक्टर या प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पर ले जाने के लिए स्थानीय स्तर पर जो भी साधन उपलब्ध हो उसका प्रयोग करें।
- डूबे हुए व्यक्ति को पेट के बल सुलाएँ तथा पेट के नीचे तकिया या छोटा बर्तन जो भी उपलब्ध हो उसे लगा दें। इसके बाद पीठ के निचले हिस्से पर धीरे धीरे दबाकर पानी बाहर निकालें।
- डूबे हुए व्यक्ति को पुनः उठाकर पीठ के सहारे सुलाये तथा आराम करने दें।
- मूर्छा या बेहोशी आने पर पुनः साँस देने व छाती में दबाव देने की प्रक्रिया शुरू करें।

भीड़ नियंत्रण/प्रबंधन में पुलिस की भूमिका

श्रीमती वीणा कुमारी,
बिहार पुलिस सेवा,

भूमिका

भारत विविध धर्मों, आस्था, त्योहारों एवं उत्सवों का देश है। देश में एवं राज्य में पारम्परिक त्योहारों, धार्मिक उत्सवों एवं राजनीतिक अवसरों पर एक ही समय तथा एक ही स्थान पर अथवा सार्वजनिक स्थलों पर काफी संख्या में लोग भीड़ के रूप में एकत्रित होते है। यदा–कदा असावधानी, लापरवाही, भूल या गलती अथवा जानबूझ कर किये गए कार्य एवं पूर्व तैयारी ठीक से नही होने के कारण लोगों का समूह अनियंत्रित हो जाता है तथा भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण बड़ी संख्या में जीवन एवं सम्पत्ति की क्षति होती है। इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर स्थिति कभी–कभी अत्यन्त भयावह हो जाती है। भगदड़ आपदा की स्थिति है जिसकी रोकथाम/समुचित भीड़ प्रबंधन/नियंत्रण से की जा सकती है।

आपदा क्या है ?

आपदा प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों का परिणाम है जो जान और माल की गंभीर क्षति करके अचानक सामान्य जीवन को उस सीमा तक अस्तव्यस्त करता है, जिसका सामना करने के लिए उपलब्ध सामाजिक तथा आर्थिक संरक्षण कार्यविधियाँ अपर्याप्त होती है अर्थात आशंकित विपत्ति का वास्तव में घटित होना आपदा है।

आपदा का अंग्रेजी शब्द "Disaster" फ्रांसीसी शब्द है जो "Desastre" से आया है। यह दो शब्दों "Des" एवं "Astre" से बना है जिसका अर्थ है 'खराब तारा'।

राज्य की प्रमुख भगदड़ की घटनायें :– बिहार में अनेक बार ऐसे अवसर आये है जब पूर्व से निर्धारित किसी आयोजन के दौरान आपदा की स्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण जान व माल की काफी क्षति हुई है। कुछ प्रमुख घटनाऐं निम्नलिखित है–

- वर्ष 2014 में गाँधी मैदान, पटना में रावण दहन के दौरान हुई घटना के कारण 33 व्यक्तियों की मृत्यु हुई एवं 40 व्यक्ति घायल हुये थे। घटना का कारण वस्तुतः निकास गेट का संकरा होना तथा निकास मार्ग पर भारी भीड़ का एक ही समय में जमा होना था। अत्यधिक भीड़ के एक जगह एकत्रीकरण एवं पहले निकलने की होड़ के कारण लोग गिरे और एक दूसरे पर गिरते चले जाने के कारण भगदड़ मची। फलतः लोग मरे।
- वर्ष 2012 में अदालतगंज घाट, पटना में छठ पूजा के दौरान हुई घटना में 18 लोगों की मौत हुई एवं काफी संख्या में लोग घायल हुये थे। घटना का कारण बांस से निर्मित चचरी पूल के टूटने की अफवाह से उत्पन्न दहशत, करेंट की अफवाह एवं एकल मार्ग पर वापसी का दबाव का होना था।

- वर्ष 2013 में सहरसा पटना राज्यरानी एक्सप्रेस द्वारा धमारा घाट रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पार कर रहे लोगों को टक्कर मारे जाने के कारण 37 लोगों की मौत हो गई एवं 24 की संख्या में लोग घायल हुये थे। घटना का कारण कात्यायनी मंदिर खगड़िया से लौट रहे लोगों द्वारा छोटा

मार्ग अपनाये जाने के कारण यत्र–तत्र रेलवे ट्रैक पार करना था, जबकि रेलवे को इस संबंधित सूचना संसूचित नहीं थी।

- 14 जनवरी 2017 को पटना के गंगा नदी के पार दियारा क्षेत्र में मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित पतंगोत्सव के पश्चात् संध्या 6.00 बजे लौटने की शीघ्रता के कारण नाव में क्षमता से अधिक करीब 40 लोगों से अधिक के सवार हो जाने के कारण नाव दुर्घटना हुई जिसमें करीब 25 लोगों की मौत हो गई तथा कई घायल हुए।

<u>देश की प्रमुख भगदड़ की घटनायें</u>

- वर्ष 2017 में पश्चिम बंगाल के गंगा–सागर मेले के दौरान 08 महिलाओं की मृत्यु दम घुटने के कारण हुई थी ।

- वर्ष 2017 में मुम्बई के एल्फिन्सटन रोड, रेलवे स्टेशन पर 22 लोगों की मौत एवं 35 लोग घायल हुए जिसका मुख्य कारण था बड़ी भीड़ का फुट ओवर ब्रिज पर एक साथ एकत्रित होना एवं पुल के गिरने की अफवाह।
- वर्ष 2015 में झारखंड के बेलाबागान (बाबाधाम से 10 किलोमीटर की दूरी पर) देवघर की घटना में 15 लोगों की मौत एवं 50 लोग घायल होने का कारण 05.00 बजे सुबह में लोगों द्वारा पंक्ति तोड़कर मंदिर तक पहुँचने की जल्दबाजी थी।

भगदड़ आपदा न्यूनीकरण में पुलिस की भूमिकाः–

एक पुलिस ऑफिसर को मूलतः दो तरह की भीड़ का नियंत्रण करना होता हैः–

1. पूर्वनिर्धारित धार्मिक उत्सव अथवा मेला, विसर्जन, खेल उत्सव, जनसभा, सार्वजनिक बैठक इत्यादि के दौरान जमा भीड़ का प्रबंधन।
2. किसी आपदाजनित घटना/दुर्घटना के बाद आकस्मिक भीड़ का प्रबंधन एवं नियंत्रण।

भीड़ नियंत्रण/प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है?

1. अव्यवस्था को रोकना (Preventing Disorder)
2. किसी आकस्मिक दुर्घटना को रोकना (Preventing any untoward incident)
3. भीड़ के आने एवं जाने को विनियमित करना (Regulating the movement of crowd)
4. उत्सव/जनसभा के दौरान भीड़ को विनियमित करना (Regulating crowd at public meeting)
5. विभिन्न रैलियों/धार्मिक जुलूस/विसर्जन के दौरान भीड़ नियंत्रण/ प्रबंधन करना। (Arrangement for other procession)

(I) पूर्वनिर्धारित धार्मिक उत्सव अथवा मेला, विसर्जन, खेल उत्सव, जनसभा, सार्वजनिक बैठक इत्यादि के दौरान जमा भीड़ का प्रबंधनः–

1. पूर्व निर्धारित धार्मिक उत्सव/मेला/खेल उत्सव अथवा संगीत उत्सव आदि के आलोक में जोखिम न्यूनीकरण के लिए **Event** वार **SOP** बनाना :–

पूर्वनियोजित भीड़ यथा पूर्व से निर्धारित धार्मिक उत्सव, मेला संगीत उत्सव, खेल उत्सव एवं जनसभा आदि के संदर्भ में भीड़ नियंत्रण/प्रबंधन हेतु पूर्व नियोजन का मुख्य उद्देश्य है–पुलिस द्वारा उपलब्ध संसाधनों का समूचित उपयोग करते हुये पुलिस के समक्ष आने वाली समस्याओं की पहचान कर उसे न्यूनतम करना अर्थात जोखिम के न्यूनीकरण का प्रयास करना। इसके लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम किसी भी कार्यक्रम के आयोजन में जोखिम के न्यूनीकरण के लिए एक **SOP** तैयार की जाय।

SOP के प्रमुख बिन्दु

(क) स्थल निरीक्षण (ख) आम सूचना/सूचना संग्रहण (ग) प्रतिनियुक्ति (घ) ब्रीफिंग (ड़) प्रतिनियुक्त लोगों के आवासन एवं अन्य व्यवस्था (च) आयोजकों के साथ तैयारी बैठक (छ) संवाद एवं इतिहास

(क) स्थल निरीक्षण:– किसी भी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम/उत्सव/सभा आदि के आयोजन के लिए आयोजकों द्वारा स्थल चिन्हित कर प्रशासन/पुलिस को सूचना दी जाती है। कार्यक्रम के निर्बाध आयोजन के लिए आवश्यक है कि आयोजन स्थल का निरीक्षण किया जाय तथा उत्पन्न होने वाले जोखिम की पहचान की जाय। स्थल निरीक्षण के क्रम में निम्न बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना अपेक्षित है –

- समय, दिनांक एवं कार्यक्रम की अवधि की पूर्ण जानकारी प्राप्त करना।
- आयोजन स्थल पर भगदड़ वाले संभावित स्थलों और कारणों की पहचान करना।
- भीड़ प्रबंधन हेतु आगमन एवं निकास मार्ग में कई जगह मोड़ का निर्माण कराना ताकि भीड़ का दबाव संतुलित हो।
- आयोजकों के सहयोग से स्त्री एवं पुरूष के लिए अलग–अलग प्रवेश एवं निकास मार्ग की व्यवस्था को सुनिश्चित करना।
- आयोजकों की मदद से विभिन्न मार्ग चिन्हों, दिशा चिन्हों, पार्किंग स्थलों, निकास एवं प्रवेश मार्गों पर स्पष्ट साईनेजेज एवं महत्वपूर्ण दूरभाष तथा आपातकालीन दूरभाष से संबंधित सूचना पट्ट दूर से दिखने वाले स्थानों पर लगवाना।
- भीड़–भाड़ वाले स्थल प्रायः पंडालयुक्त होते हैं। इन पंडालों में बिजली के तार लगाये जाते हैं। पंडालों में बिजली विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत है अथवा नहीं, की जानकारी रखते हुए अग्निशामक की व्यवस्था हेतु अग्निशाम विभाग को पत्र देना।
- नगर निगम/स्थानीय स्वशासन की सहायता से निकास एवं प्रवेश मार्ग तथा आयोजन स्थल के आस–पास यदि कचरे का जमाव हो तो उसकी सफाई कराने हेतु अनुरोध करना।
- यदि भीड़ का जुडाव नदी के घाट से है तो नावों की सुरक्षा संबंधी उपाय तथा गोताखोरों की समुचित व्यवस्था जिला प्रशासन के सहयोग से करवाना।
- छठ, मूर्ति विसर्जन, कर्तिक पूर्णिमा तथा अन्य पराम्परिक पूजा के दैरान जल लेने के लिए स्थानीय नदियों एवं जलाशयों में काफी भीड़ इकठ्ठा होती है। ऐसे अवसरों के आयोजन पूर्व वार्ड पार्षद एवं स्थानीय नावों के मालिकों को नावों में निर्धारित लदान क्षमता से अधिक लोगों

को न बैठने देने एवं अन्य सुरक्षा मानदंडों को पालन करने की अपील करना तथा तत्संबंधित सूचनाओं से संबंधित सूचनापट्ट लगवाना।

(ख) आसूचना/सूचना संग्रहण :— किसी भी आयोजन के सफलतापूर्वक संचालन हेतु उससे संबंधित आम सूचना एवं सूचनाओं का संग्रहण कर तदानुकूल योजना बनाना आवश्यक होता है। अतः जरूरी है कि —

- कार्यक्रम (Event) के प्रकार एवं उद्देश्य की जानकारी प्राप्त करना।
- समय, दिनांक एवं कार्यक्रम की अवधि।
- भीड़ की संभावित संख्या के संदर्भ में सूचना एकत्रीकरण।
- आयोजनकर्ताओं का आयोजन के संदर्भ में नजरिया एवं भीड़ को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता का आकलन।
- कार्यक्रम में भाग लेने हेतु सभास्थल में पहुँचने एवं जाने के साधनों के संदर्भ में सूचना संग्रहण
- कार्यक्रम/आयोजन के जगह पर अथवा कार्यक्रम में भाग लेने हेतु आने जाने वाले रूट में भीड़ में उत्पन्न होने वाली संभावित अव्यवस्था अर्थात संवेदनशील स्थलों की पहचान करना।
- कार्यक्रम स्थल पर आने एवं जाने के मार्गों पर किसी व्यवधान (बाधा) की पहचान
- कार्यक्रम/आयोजन का विरोध की संभावनाओं की पहचान।

(ग) प्रतिनियुक्तिः— किसी कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आवश्यकता अनुसार बल की प्रतिनियुक्ति भीड़ प्रबन्धन का अहम हिस्सा है। आयोजन के आकार के अनुरूप प्रतिनियुक्ति बड़ी संख्या अथवा सीमित संख्या में होती है। बड़ी संख्या में प्रतिनियुक्ति के आलोक में पर्याप्त बल बाहर से भी मंगाये जाते है। तदनुसार बलों के रहने—खाने एवं अन्य सुविधाओं की भी योजना बनाना आवश्यक है। बलों की प्रतिनियुक्ति में निम्न बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है :—

- सभी संवेदनशील स्थलों पर आवश्यकतानुसार बल की प्रतिनियुक्ति करने हेतु स्थानीय स्तर पर संसाधनों का आकलन करना।
- बल की कमी के आलोक में स्थानीय होमगार्डस, पुलिस एवं सिविल डिफेन्स, एन0एस0सी0, पारा मिलिट्री फोर्स आदि को आवश्यकता अनुसार प्रतिनियुक्ति हेतु अनुरोध पत्र भेजना।
- अति महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्थलों पर संबंधित जिला, अनुमण्डल अथवा थाना स्तर के पदाधिकारियों/कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना जो समस्या/स्थानीय भीड़ से अवगत हो एवं संवेदनशील हो।
- बाहर से अत्याधिक संख्या में बलों की प्रतिनियुक्ति के आलोक में उनके आवासन, उनके भोजन—पानी, उनके प्रतिनियुक्ति स्थल तक पहुँचाने/लाने हेतु परिवहन की व्यवस्था करना।
- कार्यक्रम/आयोजन स्थल पर सादे लिबास में स्थानीय पुलिस बल पुरूष/महिला की प्रतिनियुक्ति करना।
- प्रतिनियुक्ति पुलिस बलों के प्रति आठ घंटे पर रोटेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- अगर कार्यक्रम/आयोजन लंबी अवधि एवं लंबी दूरी के लिए हो तो निश्चित दूरी के अंतराल पर पुलिस पोस्ट/अस्थायी थाना का निर्माण करते हुए बल की प्रतिनियुक्ति करना।
- कार्यक्रम/आयोजन के लंबी अवधि एवं लंबी दूरी होने के परिप्रेक्ष्य में भीड़ सुरक्षा हेतु लगातार गश्ती/पेट्रोलिंग के लिए पैदल/चलन्त गश्ती रोटेशनवार सुनिश्चित करना।

(घ) ब्रीफिंग :– कार्यक्रम/आयोजन के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रतिनियुक्त बलों की ब्रीफिंग अति आवश्यक है।

- कार्यक्रम/आयोजन के पूर्व का इतिहास से अवगत कराना।
- कार्यक्रम/आयोजन के संवेदनशील घटनाओं/स्थलों की जानकारी देना।
- प्रतिनियुक्ति स्थल पर उत्पन्न होने वाले संभावित समस्याओं से परिचय कराना तथा समाधान की जानकारी देना ।
- भीड़ के प्रति अच्छे व्यवहार के लिए संवेदनशील होने का निर्देश देना।
- किसी आकस्मिक स्थिति के उत्पन्न होने पर भीड़ प्रबन्धन हेतु लिये जाने वाले प्रारम्भिक उपायों एवं समाधानों की जानकारी देना।
- अपातकालीन दूरभाष/मोबाइल नं/महत्वपूर्ण स्थानीय लोगो के संपर्क नं आदि की जानकारी एवं सूची देना।

(ड़) प्रतिनियुक्त लोगों के आवासन एवं अन्य व्यवस्था :– किसी भी कार्यक्रम/आयोजन की संवेदनशीलता के आधार पर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध बलों के अतिरिक्त बाह्य बलों की भी प्रतिनियुक्ति की जाती है। अन्य जगहों से आने के कारण उनके आने जाने एवं प्रतिनियुक्ति स्थल पर उनके आवासन की व्यवस्था किया जाना आवश्यक होता है। इस आलोक में आवश्यक है कि –

- आनेवाले बलो की संख्या के अनुरूप उनके रहने के स्थल का चुनाव हों ।
- आवासन की व्यवस्था यथासंभव प्रतिनियुक्ति स्थल के पास हों।
- आवासन वाले स्थल पर पर्याप्त रोशनी एवं हवा के साथ पर्याप्त संख्या में शौचालय की व्यवस्था हो।
- आवासन वाले स्थल पर प्रतिनियुक्त बल के भोजन एवं पेयजल की पर्याप्त सुविधा हो।
- आवासन वाले स्थल से प्रतिनियुक्त स्थल तक पहुँचाने एवं लाने हेतु वाहन की व्यवस्था हो ।
- प्रतिनियुक्ति स्थल एवं वहाँ पहुँचने के समय की सूचना आवासन स्थल पर ही बल के सदस्यों को उपलब्ध करा दिया जाय।

(च) आयोजकों/हितधारकों के साथ तैयारी बैठक :–

- किसी भी आयोजन की पूर्व तैयारी के क्रम में आयोजकों के साथ बैठक कर आयोजन के सभी बिंदुओं पर विमर्श कर आपदा न्यूनीकरण की दिशा में आवश्यक सुझाव देना तथा उन्हें ससमय दूर कर देने हेतु अनुरोध करना आवश्यक है। आयोजन के पूर्व विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक किया जाना अपेक्षित है।
- शांति समिति एंव आयोजनकर्ताओं के साथ बैठक कर स्थानीय लोगों कों आयोजन के समय भीड़ में शामिल होने वाले लोगों के साथ सहयोगात्मक व्यवहार करने एवं भीड़ मे शामिल असामाजिक तत्वों की पहचान कर सूचना देने हेतु प्रेरित करना।
- स्वयंसेवकों के दलों तथा प्राथमिक सहायता, खोज एवं बचाव तथा सूचना सम्प्रेषण दल का गठन करना तथा आवश्यकतानुसार उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। प्रत्येक आयोजन स्थल पर अनुश्रवण हेतु अपने एक–एक प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करना।
- किसी भी असामान्य स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय अस्पतालों को तैयार रहने तथा उन्हें एम्बुलेंस की व्यवस्था करने हेतु आग्रह करना।

- अग्निशाम विभाग को आग लगने की स्थिति से निपटने हेतु तैयार रहने का आग्रह करना।
- सभी संचार माध्यमों को अद्यतन स्थिति में रखने हेतु संबंधित को अनुरोध करना।

(छ) इतिहासः– किसी आयोजन के आकलन में समस्याओं को समझने एवं उनके न्यूनीकरण के लिए अगर पूर्व से आयोजन/कार्यक्रम होते रहे हैं तो उसका इतिहास जानना अति आवश्यक है। किसी आयोजन के पूर्व उस आयोजन से संबंधित पूर्व की घटनाओं, संवेदशील स्थलों, पूर्व में आयोजन के क्रम में बरती गयी कमियों आदि की जितनी अधिक जानकारी संभव हो प्राप्त की जानी चाहिये। इस संदर्भ में निम्न जानकारियाँ प्राप्त किया जाना अपेक्षित है –

- आयोजन स्थल पर पूर्व में कोई घटना घटी है ?
- घटना घटने के क्रम में क्या क्षति हुई है ?
- घटना घटने के क्या कारण रहे थे?
- क्या उन कारणों को आयोजनकर्ताओं द्वारा पूर्व में दूर करने के प्रयास किये गये है ?
- आयोजनकर्ताओं, शांति समिति के सदस्यों, स्थानीय लोगों एवं अन्य हित धारकों (प्रशासन सहित) की घटना के पूर्व, घटना के दौरान एवं घटना के पश्चात् क्या भूमिका रही – की जानकारी प्राप्त करना।

(ज) संवाद :– किसी कार्यक्रम/आयोजन को सफल बनाने में संवाद तंत्र/सूचना तंत्र का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। भीड़ नियंत्रण के लिए इसका निर्बाध होना आवश्यक है। इस हेतु आवश्यक है कि :–

- एक शक्तिशाली एवं समग्र नियंत्रण कक्ष बनाया जाय, जिसका नियंत्रण केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष के रूप में हो।
- आवश्यकतानुसार उप–केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष बनाये जाये।
- महत्त्वपूर्ण एवं संवेदशील स्थलों पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को मोबाइल फोन के अतिरिक्त हैण्डहेल्ड वायरलेस सेट उपलब्ध कराया जाय।
- सभी महत्त्वपूर्ण प्रतिनियुक्ति स्थलों पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों से संवाद हेतु उनके मोबाइल नम्बर से संबंधित सूची प्रत्येक संवेदनशील प्रतिनियुक्ति स्थलों पर प्रतिनियुक्त प्रभारी पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाय।
- आकस्मिकता की स्थिति में उप–केन्द्रीय एवं केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष को सूचना भेजी जाय।

उपरोक्त के आलोक में पूर्व निर्धारित किसी भी आयोजन/कार्यक्रम के दौरान भीड़ का सफलता पूर्वक प्रबंधन करते हुए सफल आयोजन सम्पन्न किया जा सकता है। यह भी आवश्यक है कि उपरोक्त एस0ओ0पी0 को तैयार कर रखा जाये ताकि भविष्य में पुनः होने वाले उसी अथवा उसके सादृश्य कार्यक्रम/आयोजन में उसका उपयोग करते हुए सफल आयोजन सुनिश्चित किया जा सके।

2. किसी धार्मिक उत्सव/मेला/खेल उत्सव अथवा संगीत उत्सव/सार्वजनिक सभा आदि के दौरान उत्पन्न आकस्मिक घटना/ दुर्घटना की स्थिति में भीड़ प्रबंधन :–

किसी भी आयोजन स्थल पर आयोजन की पूर्ण तैयारियों एवं उपरोक्त प्रबन्धों के बावजूद यह संभव है कि कोई आपदाजनित अथवा मानवजनित घटना घटित हो जाए। ऐसी बहुत सी घटनाएँ बिहार राज्य एवं भारत के अन्य राज्यों में हुई है, जिसमें जान एवं माल की अपार क्षति हुई है तथा विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई है। इस हेतु निम्नलिखित कदम उठाये जाने आवश्यक होते हैः–

- घटना घटित होने की स्थिति में सर्वप्रथम घटना स्थल पर पहुँचकर स्थल को प्रतिनियुक्त बल से घेर कर सुरक्षित करना।
- भीड़ में उत्पन्न भगदड़, अफवाह अथवा घटना के कारण का पता लगाते हुए उसे दूर करना।
- भीड़ को घटना की जगह से सेग्रिगेट (अलग) करना।
- भगदड़ की स्थिति के कारण अगर घायल हो तो घायलों को सहायता पहुँचाते हुए उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुँचाने की व्यवस्था करना।
- संवेदनशील स्थलों के संबंध में लगातार घोषणा करते रहने हेतु सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को आग्रह करना।
- गठित क्यू0आर0टी0 (पुलिस/एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0) को सहयोग हेतु सूचित करना।
- मृतकों के संदर्भ में उनके शव को निकटवर्ती शवगृह तक पहुँचाना तथा शव की पहचान सुनिश्चित करते हुए उनके परिजनों को सुपुर्द करना।
- सभी इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के माध्यम से घटित घटना की जानकारी के साथ मृत/घायल लोगों की सूचना त्वरित गति से संप्रेषित करना।
- पीड़ित परिवारजनों को परेशानी न हो इस हेतु घटना स्थल के निकट चलन्त सहायता केन्द्र स्थापित करना।

3. जुलूस :–

वर्त्तमान समय में जूलूस के रूप में भीड़ के एकत्रित होने के उदाहरण लगातार बढ़े हैं। जुलूस धार्मिक कारणों से जमा होने वाली भीड़ के रूप में ज्यादा द्रष्टव्य है। जुलूस पूर्व निर्धारित आयोजन के रूप में भी आयोजित किये जाते हैं। जूलूस सामान्य आयोजनों अथवा अन्य अवसरों पर जमा होने वाली भीड़ से अलग स्वरूप में होता है। यह गतिमान भीड़ होता है। अतः इस दौरान भीड़ के प्रबंधन हेतु अलग तरीके अपनाये जाते हैं।

जूलूस के दौरान भीड़ प्रबंधन एवं नियंत्रण हेतु तीन बातों को ध्यान में रखकर व्यवस्था की जानी चाहिएः–

3.1 दर्शक समूह में शामिल भीड़ का प्रबंधनः–

जूलूस के दौरान जूलूस में शामिल लोगों से अलग जूलूस को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा होती है जिसका प्रबंधन निम्न रूप से किया जा सकता है :–

- रूट लाइनिंग के माध्यम से बल प्रतिनियुक्ति कर दर्शक समूह में शामिल भीड़ का प्रबंधन। V.V.I.P. के आगमन के क्रम में रूट लाइनिंग में लगे बल का भीड़ की तरफ रूख होना चाहिए
- समुचित यातायात का प्रबंधन कर– आवश्यक हो तो जहाँ दर्शकों का दबाव ज्यादा है वहाँ या तो यातायात 'वन वे' कर दिया जाए अथवा किसी अन्य वैकल्पिक मार्ग से रूट का विचलन कर दिया जाए।
- समुचित बैरिकेडिंग कर– विशेषकर जहाँ रास्ते एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो, यातायात का दबाव ज्यादा हो अथवा आवासीय एवं बाजार क्षेत्र हो।

3.2 जुलूस में शामिल भीड़ का नियंत्रण :–

- जुलूस के लिए पूर्व से समुचित मार्ग निर्धारित कर।
- समुचित मार्ग का अनुसरण करने हेतु अनुज्ञप्ति जारी कर।
- जुलूस के लिए समुचित मार्ग रक्षण उपलब्ध कराकर।
- जुलूस में शामिल संख्या बल की शक्ति एवं भवनात्मक आवेग की पहचान कर।
- जुलूस के गुजरने वाले मार्ग एवं क्षेत्रों की संवेदनशीलता की पहचान करते हुए तदनुसार पर्याप्त प्रतिनियुक्ति कर ।
- जुलूस के एकत्रित होने, विसर्जित होने के

स्थल एवं पुनः वापस होने तक उत्पन्न होने वाले जोखिम की पहचान कर।

3.3 जुलूस के दौरान जुलूस का मार्ग निर्धारण।

- जुलूस के आयोजनकर्ताओं से जुलूस मार्ग की पूर्ण जानकारी प्राप्त करना।
- पारंपरिक मार्ग से जुलूस ले जाये जाने हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करना।
- मार्ग में विधि व्यवस्था के कारण विचलन के पूर्व पर्याप्त आधार का होना।
- वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था रखना।
- सड़क के एक किनारे से जुलूस का आवागमन होना, ऐसा न होने पर यातायात का मार्ग बदल देना ज्यादा उपयुक्त।
- पुलिस द्वारा जुलूस से संबंधित सभी तरह के आम सूचनाओं का संग्रह कर पर्याप्त बल की प्रतिनियुक्ति करना।

(II) किसी आपदाजनित घटना/दुर्घटना के बाद आकस्मिक भीड़ का प्रबंधन एवं नियंत्रण

पूर्व निर्धारित आयोजनों/उत्सवों में पर्याप्त तैयारी, बैठकों, पूर्व ब्रिफिंग, पर्याप्त बल की प्रतिनियुक्ति, उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग एवं पर्याप्त सावधानियों से सफलतापूर्वक किसी आयोजन/उत्सव को सम्पन्न किया जा सकता है। किन्तु पुलिस के समक्ष अधिकतर ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है जब आकस्मिक रूप से किसी घटना अथवा दुर्घटना के घटित होने पर सामान्य रूप से जमा हुई भीड़ में कई कारणों से भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा भीड़ आक्रामक हो जाती है। सामान्य भीड़ के आक्रामक भीड़ में परिणत होने के कई चरण हैं।

समान्य भीड़ के भगदड़ में परिणत होने के चरण :–

1. भीड़ का प्रारंभिक चरण :– किसी घटना का घटित होना भीड़ का जमा होने का प्रारंभिक चरण है। प्रारंभिक चरण में पुलिस को घटना पर नियंत्रण करने हेतु निम्न प्रयास करना चाहिए–
   i. आवेग के कारण को त्वरित गति से हटाना
   ii. तथ्यों का तीव्र प्रारंभिक अनुसंधान
   iii. विधिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई प्रारंभ किया जाना
   iv. जिज्ञासावश जमा होने वाले दर्शक समूह को तितर–वितर करना
2. सामूहिक उत्तेजना का चरण :– किसी कारण ıवश पुलिस स्थिति की गंभीरता को कम नहीं कर पाती तथा घटना के मूल कारण को विस्थापित नहीं कर पाती तो घटना के आकर्षण से जमा भीड़ में धीरे–धीरे संवाद का आदान–प्रदान होने के कारण सामूहिक उत्तेजना व्याप्त होने लगती है तथा भीड़ का आवेग तदनुसार बढ़ने लगता है। यद्यपि इस स्थिति में भी थोड़े प्रयास से भीड़ पर नियंत्रण कायम किया जा सकता है।
3. सामाजिक संक्रमण का चरण :– जैसे–जैसे भीड़ में सामूहिक संवाद का प्रसार होता है तेजी से घटना के मूल कारण के संबंध में अफवाह आदि के रूप में ऐसे तथ्यों का प्रसार होता है कि भीड़ अनियंत्रित हो जाती है।

भीड़ के भगदड़ में परिणत होने के कारण

:—

- आयोजनकर्त्ता एवं संबंधित हितधारकों के बीच समन्वय का अभाव ।
- भीड़ प्रबंधन हेतु सार्वजनिक उद्घोषण प्रणाली का अभाव।
- अपर्याप्त प्रकाश या रोशनी का होना।
- किसी आपातकालीन निकास मार्ग का न होना अथवा एकल/संकरा मार्ग होना।
- अचानक प्रवेश/निकास मार्ग में बदलाव अथवा चौकाने वाली घटना घटित होना।
- ब्रिज टूटने, करेन्ट प्रवाह, बम ब्लास्ट, अनियंत्रित वाहन, गेट टूटने अथवा छेड़खानी आदि से संबंधित अफवाह का फैलना।
- एक ही स्थान पर अचानक अत्यन्त विशाल भीड़ का एकत्र हो जाना।
- अचानक भिड़ में किसी व्यक्ति या सामग्री का गिर जाना जिससे ठोकर लगकर श्रृंखलाबद्ध अन्य व्यक्तियों का गिरते जाना तथा उन्हें कुचलकर आगे निकलने का प्रयास करना ।

ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर अमूमन लोगों के जान एवं सम्पत्ति की अपार क्षति होती है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भीड़ का प्रबंधन/नियंत्रण किया जाना आवश्यक होता है।

भीड़ नियंत्रण/प्रबंधन में भीड़ की निम्न विशेषताओं का मूल्यांकन किया जाना चाहिए—

1. भीड़ का संगठनात्मक स्वरूप
2. भीड़ का नेतृत्व
3. भीड़ की सक्रियता के समान उद्देश्य/मंशा
4. भीड़ को नियंत्रित करने वाली भावना

पुलिस द्वारा आकस्मिक/अप्रत्याशित रूप से जमा भीड़ के नियंत्रण हेतु अपनायी जाने वाली तकनीक :—

प्रायः ही पुलिस का ऐसी स्थितियों से सामना होता है जब किसी आयोजन स्थल पर किसी घटना/दुर्घटना के कारण आकस्मिक रूप से भीड़ उग्र हो जाती है तथा इस तरह की स्थितियों में भीड़ में आसमाजिक एवं हानिकारक तत्व शामिल होकर उत्प्रेरक का कार्य करते है। भीड़ में निहित असमाजिक एवं हानिकारक तत्वों से निपटने हेतु निम्न तरीके अपनाने चाहिए—

1. समुचित तकनीक से भीड़ रोककर।
2. भीड़ को तितर—बितर कर।
3. भीड़ को समझाकर ।
4. न्यूनतम बल का उपयोग कर।

उपरोक्त स्थिति के उत्पन्न होने पर भीड़ को नियंत्रित करने के मनोवैज्ञानिक उपायों का प्रयोग किया जाना ज्यादा कारगर होता है। इस हेतु निम्न तरीके अपनाया जाना कारगर होता है:—

1. समझाने बुझाने वाली अपील **(Persuasive Appeal)**
   (क) भीड़ के अनुकूल तर्क देकर
   (ख) भावनाओं पर चोट करना न कि कारणों पर।
   (ग) भीड़ सहज विश्वासी है।
   (घ) भीड़ की भावनाओं को समझना एवं तद्नुसार उसपर विजय प्राप्त करने के तरीके सोचना।
2. भीड़ नियंत्रण के क्रम में हास्यप्रद टिक्का— टिप्पणी करना और मित्रतापूर्ण वातावरण के लिए हाव—भाव दर्शाना (Humrours Remarks and gesture to generate friendly atmosphere)
3. हाव—भाव को शांत बनाये रखना ताकि भीड़ के अक्रामक रूख में नरमी आ सके। (Calm and silent attitude of the Police, which would result in disarming the aggressive attitude)

4. ध्यान बाँटने वाले आकस्मिक स्थितियां उत्पन्न करना जिससे तनाव कम हो (Create unexpected distractions which will reduce tension)
5. अनुरोध करना/मनाना (Persuation)
6. आक्रोशित लोगों से परिवाद लिखवाना (Writing of complaint of by exited persons)
7. जाने माने व्यक्ति का सहयोग प्राप्त करना। (Assistance of persons of acknowledged influence)
8. गोल्डेन आवर रूल का अनुशरण करना (Follow the Golden Hour rule)
   (क) न्यूनतम समय में घटना स्थल पर पहुंचना।
   (ख) घटनास्थल पर पहुंचते ही उसका नियंत्रण प्राप्त करना।
   (ग) बल की समुचित प्रतिनियुक्ति करना।
   (घ) स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करना।
   (ड़) भीड़ के साथ संवेदनात्मक जुड़ाव प्रदर्शित करना
   (च) अन्य संस्थाओं/विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना।

भीड़ नियंत्रण हेतु विधिक प्रावधान :—

उपरोक्त तकनीक से भगदड़ अथवा आक्रामक भीड़ पर नियंत्रण न हो पाने की स्थिति में पुलिस को भारत के संविधान एवं विभिन्न कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई किये जाने हेतु शक्तियाँ प्राप्त है, जिसमें निम्न महत्वपूर्ण है :—

1- भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(बी) — भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(बी) से भारत के सभी नागरिकों को बिना शस्त्र के शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने का अधिकार एवं संगठन बनाने का अधिकार प्राप्त है किन्तु अनुच्छेद 19(3) के अनुसार सरकार लोक शांति भंग होने के आशंका को मद्दे नजर सभा करने अथवा सामूहिक रूप से जूलूस निकाले जाने पर तार्किक प्रतिबंध लगा सकती है।

2- अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है।

3- भारत के संविधान का अनुच्छेद 246 — विशेष परिस्थिति में भारत के संसद को कानून बनाने का विशेष अधिकार प्राप्त है ।

4- पुलिस अधिनियम 2007 की धारा—66- Regulations of public meetings and processions.

धारा— 67- Assembly and procession violating certain conditions

धारा— 68, 69, 70, 71, 72

5- भा0द0वि0 की धारा—142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 153ए, 153बी, 154, 155, 156, 157, 158, 186, 187, 188, 189 एवं 190

6- 6. दं0प्र0सं0 की धारा—144/188

भीड़ नियंत्रण में पुलिस पदाधिकारी एवं दण्डाधिकारी की शक्तियां और कर्त्तव्य

1. कर्त्तव्य— पुलिस एक्ट 2007 की धारा 31 से 35 तक में पुलिस पदाधिकारियों के कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व को परिभाषित किया गया है।
2. शक्तियाँ— पुलिस पदाधिकारी एवं दण्डाधिकारी को नाजायज मजमा/दंगा नियंत्रित करने हेतु निम्न रूप में शक्तियाँ दी गयी है—

1. निरोधात्मक कार्रवाई—
   (क) दं0प्र0सं0 की धारा—149
   (ख) दं0प्र0सं0 की धारा—151
   (ग) दं0प्र0सं0 की धारा—152
2. दण्डात्मक कार्रवाई—

(क) भा0द0वि0 की धारा–141 से 190

(ख) दं0प्र0सं0 की धारा–46 से 54

(ग) दं0प्र0सं0 (संशोधन अधिनियम–1932) की धारा–7

3. भीड़ के विरूद्ध सामूहिक कार्रवाई–

(क) दं0प्र0सं0 की धारा–144 के तहत सामूहिक रूप से निरोधात्मक कार्रवाई।

(ख) उग्र भीड़ को तितर बितर करने हेतु दं0प्र0सं0 की धारा–129 एवं 130 के तहत कार्रवाई हेतु पुलिस पदाधिकारी/दण्डाधिकारी को शक्तियां प्रदान करता है।

4. रक्षात्मक कार्रवाई– भा0द0वि0 की धारा–97 सह पठित धारा–98 से 106 के तहत भीड़ से प्रभावित लोगों की रक्षा की शक्तियाँ प्राप्त हैं।

7- पुलिस को सहयोग–दं0प्र0सं0 की धारा–129 एवं 37 में पुलिस पदाधिकारी/दण्डाधिकारी को अन्य बलों का सहयोग प्राप्त करने की शक्तियां प्राप्त हैं।

❖❖❖❖❖

गैस व रसायनिक दुर्घटना–रसायन व गैस को पहचानना और बचाव तरीके:

श्री के.के. झा,
एस.डी.आर.एफ

इस अध्याय मे गैस/रासायनिक दुर्घटनाओं के उपरांत काम आने वाली निम्न जानकारियों को संग्रहीत किया गया है:

- बिहार के संदर्भ में गैस/रासायनिक दुर्घटनाओं की संभावना :
- हाल की बिहार की दुर्घटनाएँ :
- रासायनिक दुर्घटना (Chemical Accidents) कहाँ–कहाँ हो सकतें हैं?
- रासायनिक आपदा के समय क्या हो सकता है?
- Chemical hazard बिहार में कहाँ पाये जाते हैं ?
- रासायनों और गैस प्लांट की सुरक्षा, सुरक्षित यातायात, जिम्मेवारी और क्षतिपूर्ति हेतु कानून.
- पुलिस अधिकारी को रासायनिक/गैस दुर्घटना स्थल पर क्या करना है?
- रासायन/गैस के दुर्घटना के बाद इस्तेमाल में आने वाले उपकरण:
- गैस व रासायनिक दुर्घटना बचाव के तरीके.
- किसे और क्या खबर करना है ?
- संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) द्वारा निर्धारित रासायनों/गैस के UN code तथा
- खतरनाक रसायनों के प्रकार Hazchem (HAZARDOUS CHEMICAL) के कोड.
- पेट्रोल के टैंकर के दुर्घटनाग्रस्त होने पर टैंकर पर लिखी क्या जानकारी देखना चाहेंगे?

कुछ रसायनकि आपदाएँ :

✓ 1984 का भोपाल गैस दुर्घटना को भूला नहीं जा सकता, जहां हजारों व्यक्ति एक से दो घंटे मे गैस रिसाव (methyl isocyanate) से काल के मुँह में समा गए। कई हज़ार घायल आज भी जहरीले गैस का दंश झेल रहे हैं।

✓ मई 2017 मे दिल्ली के तुगलकाबाद के कंटेनर डिपो में जहरीले गैस के रिसाव होने से सर्वोदय कन्या विद्यालय के 475 छात्राओं और शिक्षिकाओं की आखों/गले मे जलन, उल्टी, चक्कर आने के कारण अस्पताल मे भर्ती करवाना पड़ा।

✓ 15 मार्च 1917 को कानपुर के शिवराजपुर के कोल्ड स्टोरेज प्लांट में अमोनिया गैस के चेम्बर से रिसाव होने के बाद बड़ा ब्लास्ट हुआ और 5 मजदूरों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी, जबकि 8 घायल हो गए।

✓ जमशेदपुर के टाटा स्टील प्लांट, 'सेल' के भिलाई स्टील प्लांट और 'गेल' के नागरम (आंध्रप्रदेश) पाइप लाइन मे भी गैस/रसायन दुर्घटनाओं मे कर्मचारियों को जान गवानी पड़ी है।

बिहार के संदर्भ में गैस /रसायनिक दुर्घटनाओं की संभावना :

गत वर्षों में अमोनिया गैस का दो बार रिसाव दुग्ध केंद्र पटना और आरा में हुआ। बच्चों, महिलाओं को आखों/गले मे जलन, उल्टी, चक्कर आए। कुछ लोगों को अस्पताल में भी भर्ती करना पड़ा तो कई लोग भय से घर मुहल्ले खाली कर दिये। उपर्युक्त घटनाओं को देखकर यह न समझा जाय। बिहार मे उद्योग कम है तो यहाँ रासायनिक/गैस का दुर्घटनाओं की संभावना नगण्य है। बिहार के सड़कों–पटरियों पर टैंकर/कंटेनर व रेल के द्वारा खतरनाक रसायनों और गैस का गमन होता है। ये राह चलते कभी भी दुर्घटनाग्रसित होकर आस–पास के लोगों के लिए मौत का कारण बन सकती हैं। इसके अलावा कोल्ड–स्टोरेज/ दुग्ध शीतकरण केंद्र और पानी सफाई करने के प्लांट मे क्रमशः अमोनिया और क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है, जो हमारे शहरों में अवस्थित है। एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, खाद के कारखाने और अन्य कई उद्योगों मे कई प्रकार के गैस/रसायनों का उपयोग होता है जो बिहार मे कई जगहों पर हैं। इसलिए बिहार भी इन गैस या रसायनिक हादसों से अछूता नहीं है।

हाल की बिहार की दुर्घटनाएँ :

ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट है कि हमारे राज्य में भी प्लांटों और छोटे कारखानों में ऑन–साइट (on-sight) तथा ऑफ साइट (off-site) यानि सड़क पर रसायनिक/गैस दुर्घटना सदैव बनी ही रहेगी।

रसायनिक दुर्घटना **(Chemical accidents)** कहाँ–कहाँ हो सकते हैं?

(i) Manufacturing installations during process operations

(ii) Isolated storages, warehouses and गोदाम including ports / एयरपोर्ट में

(iii) Transportation के दौरान: Road, rail, air, water or pipelines

(iv) गैस बोटलिंग प्लांट और Petroleum Depo/dump में।

रासायनिक आपदा **Chemical Disasters** के समय क्या हो सकता है?	
Fire -	petroleum products (LPG, Benzene, toluene, NaH, Hexane, NEPTHA)
Explosion -	Compressed gases : LPG etc. Due to temperature change/high pressure
Toxic-chemicals release	Ammonia, Chlorine, methane, Phosgene, HCN, etc.
Combination of the above	Explosion Compressed gases

Chemical hazard बिहार में कहाँ पाये जाते हैं?

- ✓ **Explosion, leakage** - Chlorine, Ammonia, Methane gas etc.

  बरौनी तेल शोधक कारखाना

- ✓ **Fire - Petroleum products** - Storage tanks- HPCL/BPCL/ONGC etc.

  (Product- LPG, Benzene, toluene, NaH, Hexane, NEPTHA)

  Gas bottling plant: Indane Bottling Plants Barauni Muzaffarpur Patna

  Other Bottling plant : Fatuha,Bhagalpur, Muzafferpur, Mokama, Sugauli

- ✓ **Gas leakage** - Ammonia gas uses in town - Fertilisers industries सिंदरी,

  Cold storage सभी शहरों / गाँव में,

  Milk Pasteurisation Plant पटना, आरा, बरौनी तथा अन्य स्थानों पर.

रसायनों और गैस प्लांट के सुरक्षा, सुरक्षित यातायात, जिम्मेवारी और क्षतिपूर्ति हेतु कई कानून बनाए गए हैं, यथा:

गैस/रासायनिक दुर्घटनाओं में बचाव हेतु उपकरण

Chemical Suit & Breathing apparatus

Chemical/Gas decontamination apparatus

गैस मास्क canistar with charkol filter

-Explosives Act 1884

-Factories Act 1948

-Environment Protection Act 1986

-Public Liability Insurance Act 1991

- Petroleum Act 1934

- Insecticides Act 1968

- Motor Vehicles Act 1988

- Disaster Management Act 2005

भारत सरकार ने इसके अलावा रसायनों/गैस संबंध में कई rule भी बनाए हैं:

manufacture, storage and import of hazardous chemical rules, 1989. **(msihc rules),** chemical accidents (emergency planning, preparedness and response) rules, 1996 **(eppr rules),** gas cylinder rules, hazardous waste rules

पुलिस अधिकारी को रसायनिक/गैस दुर्घटना स्थल पर क्या करना है?

- घायलों का बचाव तथा बाकी लोग प्रभावित न हो उसका उपाय करना।
- रसायन/गैस का पता तुरंत लगाना, ताकि उसकी प्रकृति (nature) के अनुसार चिकित्सक Antidote दे सकें।
- रसायन के nature के अनुसार mitigation के उपाय करना।
- BPCL/IOC/HPCL/NDRF/SDRF को खबर करके लीकेज को सील करवाने की व्यवस्था में मदद करना।
- पूरे प्रभावित एरिया को संप्रदूषित (decontaminate) करना ।

रसायन/गैस के दुर्घटना के बाद इस्तेमाल मे आने वाली उपकरण:

REQUIREMENTS

Rescue equipments:

Color bandages for triage,
First aid kit type A and B,
Casualty bags (full and half)

Decontamination equipments:

DS-2 & Portable decontamination apparatus
Decontamination suit, Fullers earth,
PDK at Decontamination station

गैस/रसायनिक दुर्घटनाओं में रिसाव को बंद करने हेतु उपकरण

Decontamination के तरीके और केमिकल (डीएस2)

गैस–दुर्घटना में बचाव के तरीके

गैस दुर्घटना के समय प्रभावित को हवा की दिशा के विपरीत दिशा में जाना चाहिए।

हवा की दिशा

Warm zone : प्राथमिक उपचार, बचाव कर्मी और उपचारक PPE पहने होंगे, घायलों के साथ सभी का Dicontamination किया जाय।

दुर्घटना स्थल

Hot zone
बचाव कर्मी को अनुमति

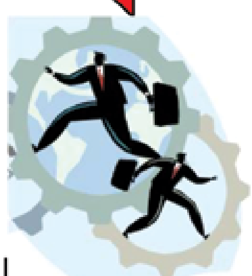

Cold zone : घायलों को अस्पताल भेजने के लिए आश्रय, बचाव कर्मी का base camp.

दुर्घटना उपरांत सभी आस–पास के लोगों को अगर रसायनिक/ गैस के रिसाव का खतरा नजर आता है तो सबसे पहले लोगों को दुर्घटना स्थल से दूर सुरक्षित स्थल पर चले जाना चाहिए। हवा के बहाव के दिशा को ध्यान मे रखते हुये लोगों को हवा के बहाव के दिशा में नहीं जाना चाहिए।

अधिकारियों को दुर्घटना स्थल को दो गोल घेरा मे बाँटना होगा जैसा की चित्र मे दिखाया गया है। HOT ZONE और WARM ZONE के अनुसार, केमिकल के nature के अनुसार केवल बचाव कर्मी को HOT ZONE मे जाने दिया जाय, WARM ZONE मे मेडिकल उपचारक/ बचाव कर्मी, बाकी लोगों को दूर रखा जाय। WARM ZONE मे दुर्घटनास्थल से कितना दूर होगा यह केमिकल /गैस के nature और रिसाव की मात्रा के अनुसार 300 मीटर से एक किलोमीटर तक हो सकता है। रात के समय यह दूरी और बढ़ा दी जाती है।

किसे और क्या खबर करना है?

☞ Fire Service

☞ Traffic Control

☞ Emergency Medical Services

☞ Notify all nearby hospitals, clinics etc about:-

- Agent/केमिकल Information
- Patient signs and symptoms
- Number of casualties
- नजदीक के केमिकल प्लांट HPCL/ONGC/BPCL etc.

संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) द्वारा निर्धारित रसायनों/गैस के UN code तथा खतरनाक रासायनों के प्रकार Hazchem (HAZARDOUS CHEMICALS) के कोडः

टेंकर के पीछे लिखे UN कोड और उसके मायने : UN कोड 4 डिजिट के होते हैं जो गैस या रसायनों के नामों के लिए हैं।

Hazchem code दो या तीन अंक और alphabet को मिला कर बनाए गए हैं जो गैस या रसायनों की जानकारी देते हैं, रिसाव होने पर इसकी जानकारी बहुत जरूरी हैः –

✓ digit number 1,2,3,4, द्वारा response/आग बुझाने के तरीकों के प्रकार,

✓ alphabet X,Y और Z गैस या रसायनों के खतरनाक nature के बारे मे संकेत है

✓ साथ–ही–साथ बचावकर्मी को पहनने वाले personal protective equipment (PPE) की भी जानकारी देता है।

✓ E लिखा होना –आस–पास के प्रभावित होने वाले लोगों को जगह खाली करना है या नहीं इसकी भी जानकारी देता है।

Hazardous Chemical (Hazchem) कोड की जानकारी देखें:

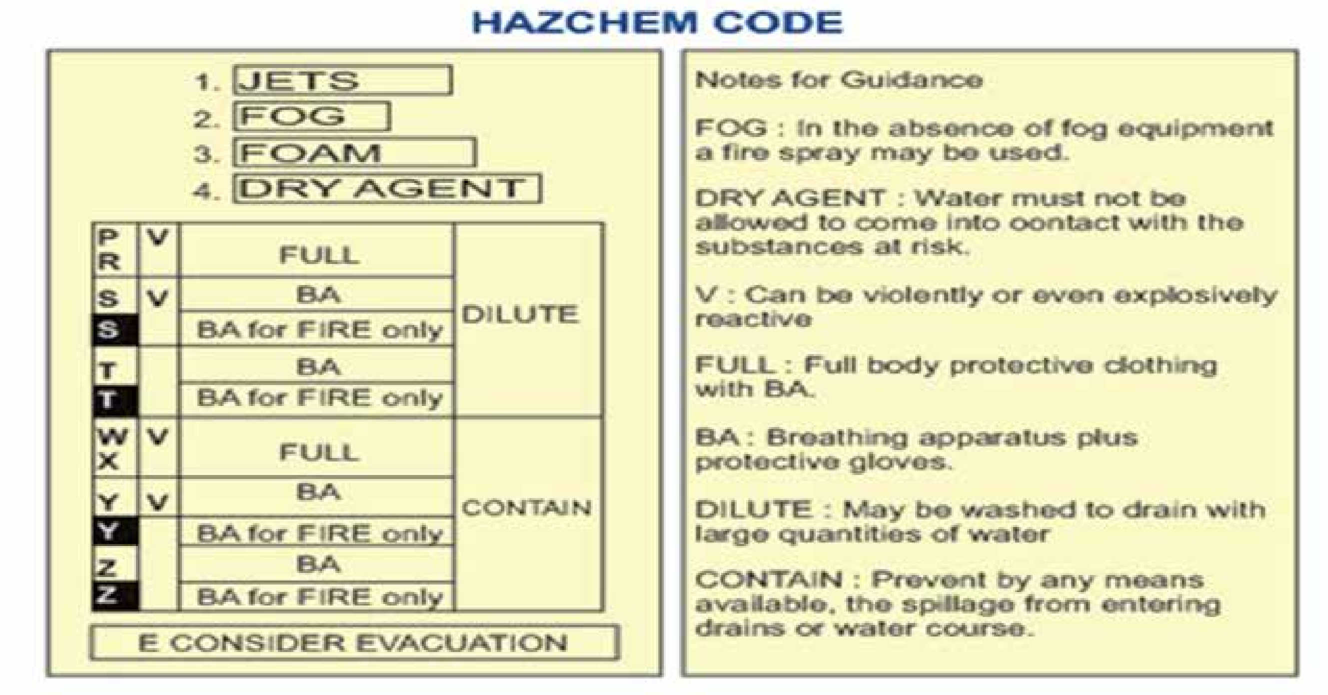

HAZCHEM SIGNS

A-Emegency action code
B - Substance identification number
C - Hazard warning sign
D - Specialist advice
E - Company logo (optional)

A-Emegency action code
1 = jets water
2 = Fog, In the absence of fog equipment a fine spray may be used
3 = Foam
4 = Dry agent, Water must not be allowed to come into contact with the substance at risk

खतरनाक

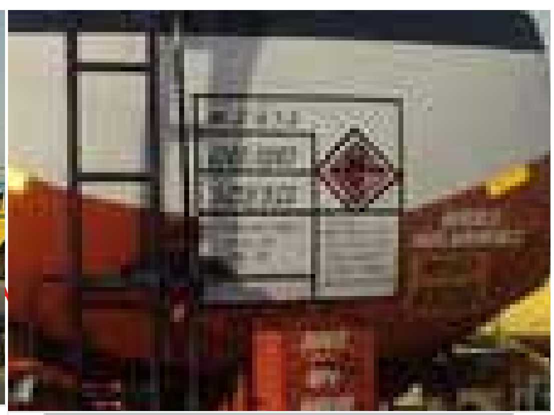

ऊपर दरश
करें- Sear
नाइट्रेट।

pen
नीशयिम

Google पर जाकर टाइप करें: UN 1223 परिणाम देखें,

UN Number	Class	Proper Shipping Name
UN 1221	3	Isopropylamine
UN 1222	3	Isopropyl nitrate
UN 1223	3	Kerosene
UN 1224	3	Ketones, liquid, n.o.s.

PLACARD पर निम्न जानकारी होती है:
Proper shipping name
UN number
HAZCHEM code
subsidiary risk label
(if applicable).

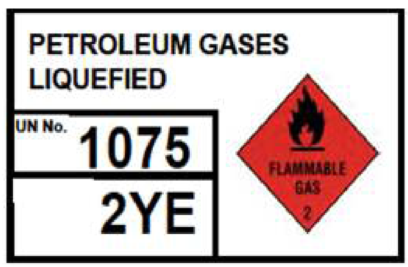

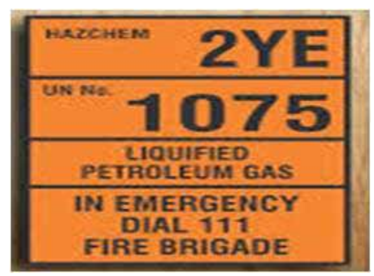

खतरनाक रसायनों के प्रकार (AZARDOUS CHEMICAL) के SIGN

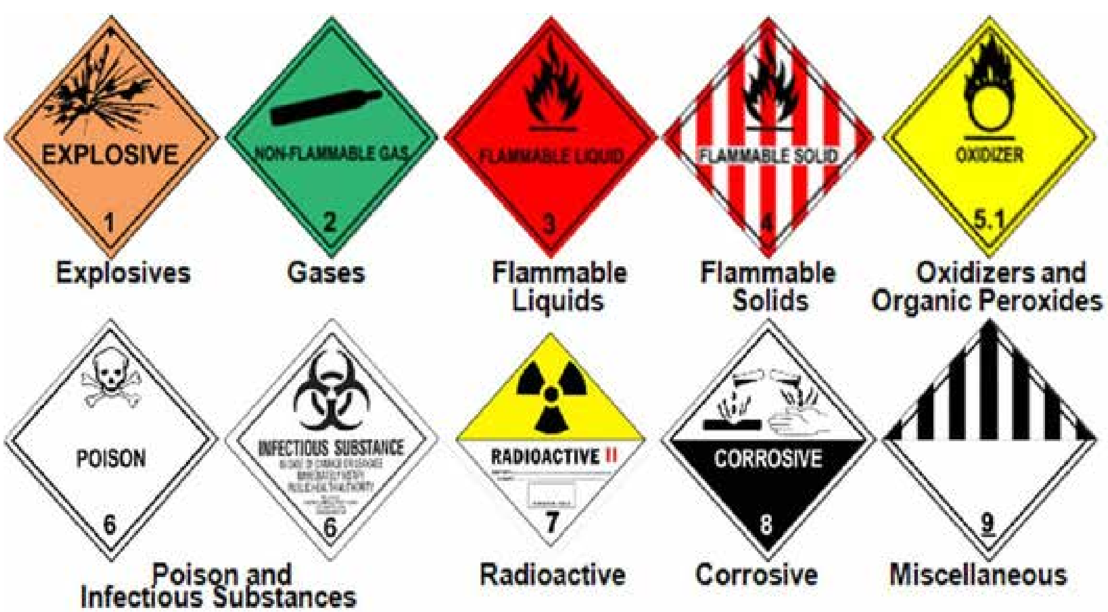

ज्वलनशील Combustable gas/chemical

विस्फोटक explosive सामग्री

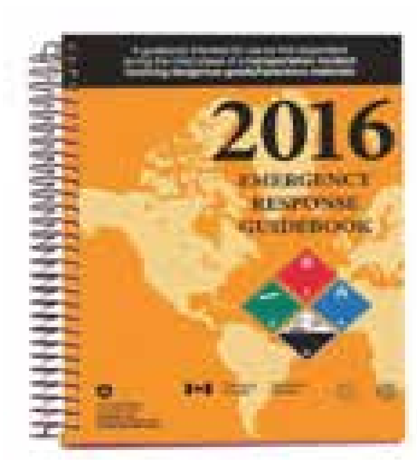

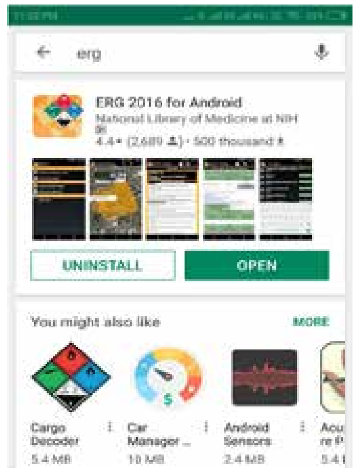

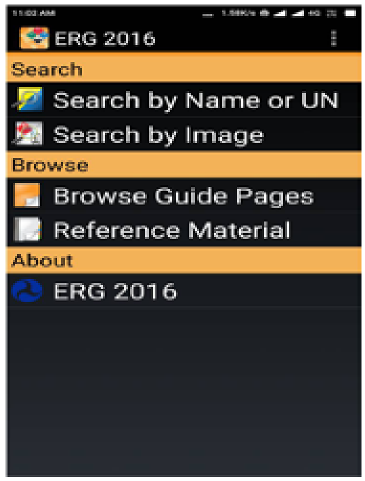

ऊपर दर्शाये गये Emergency Response Guide (ERG 16) को गूगल app से download करें।

Open करे– Search by name or UN code में टाइप करें UN code "1474" और परिणाम देखें। नाम – मैग्नीशियमनाइट्रेट।

Search by name or UN

में टाइप करें 1474

इसके बाद आपको यह जानने कि जरूरत है की इस केमिकल का शरीर पर क्या असर पड़ता है? सांस लेना सुरक्षित है कि नहीं?

आस–पास के Public Safety के लिए क्या करना चाहिए? स्थान खाली कराना है कि नहीं?

बचावकर्मी का क्या Personal Protective Equipment (safety dress) होना चाहिए? विस्फोट या आग लगने का खतरा है कि नहीं यह जानना? यह सब जानकारी आगे देखें।

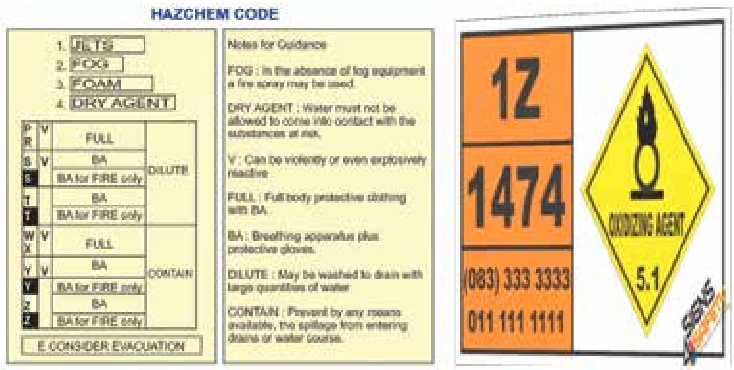

मैग्निशियम नाइट्रेट का 1 Z, इसमें 1 का मतलब है JET (पानी की धार) का उपयोग करना है, Z का मतलब – BREATHING APPREATUS for fire only का प्रयोग बचावकर्मी करें।

आग लगने का खतरा है कि नहीं यह जानना? यह जानने के लिए Code 5.1 Oxidizing agent का मतलब जानें – Oxidizing agent – खुद ज्वलनशील नहीं होना– बल्कि आग लगने पर जलने में सहायक/उत्प्रेरक होना। अब ERG APP की जानकारी को देखें :

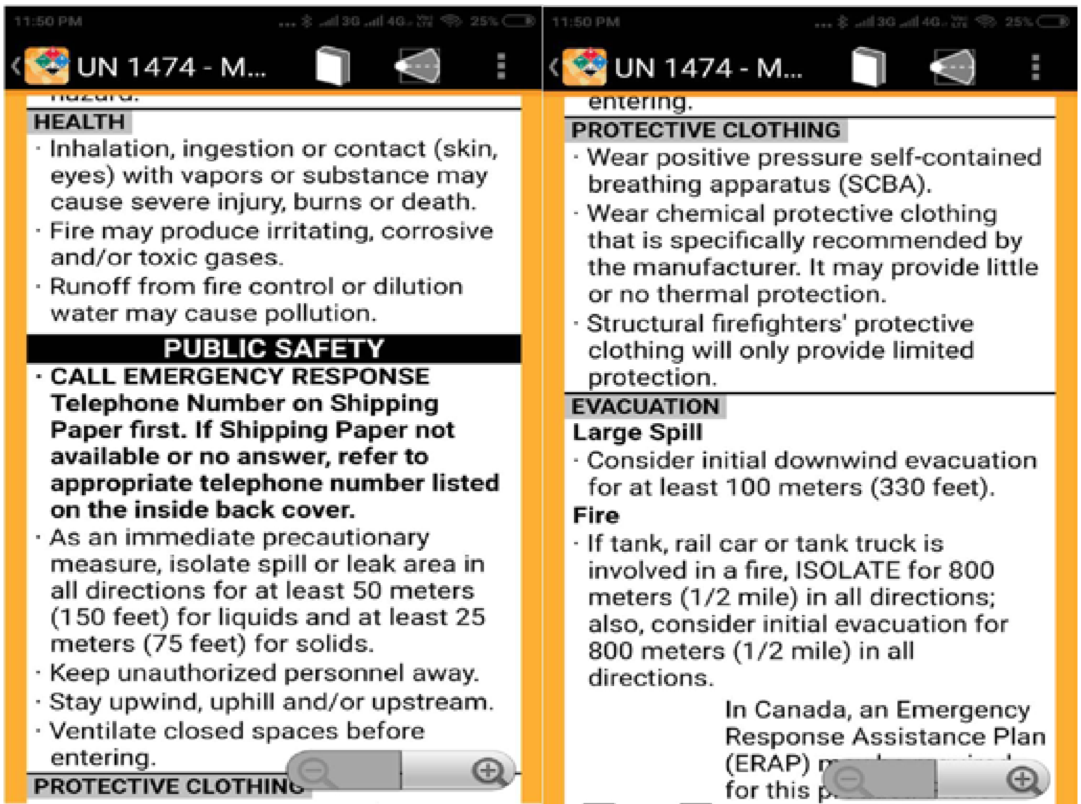

UN 1474 - M...

- Dike far ahead of liquid spill for later disposal.
- **Following product recovery, flush area with water.**

FIRST AID

- Ensure that medical personnel are aware of the material(s) involved and take precautions to protect themselves.
- Move victim to fresh air.
- Call 911 or emergency medical service.
- Give artificial respiration if victim is not breathing.
- Administer oxygen if breathing is difficult.
- Remove and isolate contaminated clothing and shoes.
- Contaminated clothing may be a fire risk when dry.
- In case of contact with substance, immediately flush skin or eyes with running water for at least 20 minutes.
- Keep victim calm and warm.

ERG 2016

UN 1474 - M...

GUIDE 140
OXIDIZERS

POTENTIAL HAZARDS

FIRE OR EXPLOSION

- These substances will accelerate burning when involved in a fire.
- Some may decompose explosively when heated or involved in a fire.
- May explode from heat or contamination.
- Some will react explosively with hydrocarbons (fuels).
- May ignite combustibles (wood, paper, oil, clothing, etc.).
- Containers may explode when heated.
- Runoff may create fire or explosion hazard.

HEALTH

- Inhalation, ingestion or contact (skin, eyes) with vapors or substance may cause severe injury, burns or death.
- Fire may produce irritating, corrosive and/or toxic gases.

पेट्रोल के टेंकर के दुर्घटनाग्रस्त होने पर Tankar पर लिखी क्या जानकारी देखना चाहेंगे।

GUIDE 128 FLAMMABLE LIQUIDS (WATER-IMMISCIBLE)

POTENTIAL HAZARDS

FIRE OR EXPLOSION

- **HIGHLY FLAMMABLE: Will be easily ignited by heat, sparks or flames.**
- Vapors may form explosive mixtures with air.
- Vapors may travel to source of ignition and flash back.
- Most vapors are heavier than air. They will spread along ground and collect in low or confined areas (sewers, basements, tanks).
- Vapor explosion hazard indoors, outdoors or in sewers.
- Those substances designated with a (P) may polymerize explosively when heated or involved in a fire.
- Runoff to sewer may create fire or explosion hazard.
- Containers may explode when heated.
- Many liquids are lighter than water.
- Substance may be transported hot.
- For hybrid vehicles, GUIDE 147 (lithium ion batteries) or GUIDE 138 (sodium batteries) should also be consulted.
- **If molten aluminum is involved, refer to GUIDE 169.**

HEALTH

- Inhalation or contact with material may irritate or burn skin and eyes.
- Fire may produce irritating, corrosive and/or toxic gases.
- Vapors may cause dizziness or suffocation.
- Runoff from fire control or dilution water may cause pollution.

PUBLIC SAFETY

- **CALL EMERGENCY RESPONSE Telephone Number on Shipping Paper first. If Shipping Paper not available or no answer, refer to appropriate telephone number listed on the inside back cover.**
- As an immediate precautionary measure, isolate spill or leak area for at least 50 meters (150 feet) in all directions.
- Keep unauthorized personnel away.
- Stay upwind, uphill and/or upstream.
- Ventilate closed spaces before entering.

PROTECTIVE CLOTHING

- Wear positive pressure self-contained breathing apparatus (SCBA).
- Structural firefighters' protective clothing will only provide limited protection.

EVACUATION

Large Spill

- Consider initial downwind evacuation for at least 300 meters (1000 feet).

Fire

- If tank, rail car or tank truck is involved in a fire, ISOLATE for 800 meters (1/2 mile) in all directions; also, consider initial evacuation for 800 meters (1/2 mile) in all directions.

In Canada, an Emergency Response Assistance Plan (ERAP) may be required for this product. Please consult the shipping document and/or the ERAP Program Section (page 391).

FLAMMABLE LIQUIDS (WATER-IMMISCIBLE) GUIDE 128

EMERGENCY RESPONSE

FIRE

CAUTION: All these products have a very low flash point: Use of water spray when fighting fire may be inefficient.

CAUTION: For mixtures containing alcohol or polar solvent, alcohol-resistant foam may be more effective.

Small Fire

- Dry chemical, CO_2, water spray or regular foam.

Large Fire

- Water spray, fog or regular foam.
- **Do not use straight streams.**
- Move containers from fire area if you can do it without risk.

Fire involving Tanks or Car/Trailer Loads

- Fight fire from maximum distance or use unmanned hose holders or monitor nozzles.
- Cool containers with flooding quantities of water until well after fire is out.
- Withdraw immediately in case of rising sound from venting safety devices or discoloration of tank.
- ALWAYS stay away from tanks engulfed in fire.
- For massive fire, use unmanned hose holders or monitor nozzles; if this is impossible, withdraw from area and let fire burn.

SPILL OR LEAK

- ELIMINATE all ignition sources (no smoking, flares, sparks or flames in immediate area).
- All equipment used when handling the product must be grounded.
- Do not touch or walk through spilled material.
- Stop leak if you can do it without risk.
- Prevent entry into waterways, sewers, basements or confined areas.
- A vapor-suppressing foam may be used to reduce vapors.
- Absorb or cover with dry earth, sand or other non-combustible material and transfer to containers.
- Use clean, non-sparking tools to collect absorbed material.

Large Spill

- Dike far ahead of liquid spill for later disposal.
- Water spray may reduce vapor, but may not prevent ignition in closed spaces.

FIRST AID

- Ensure that medical personnel are aware of the material(s) involved and take precautions to protect themselves.
- Move victim to fresh air.
- Call 911 or emergency medical service.
- Give artificial respiration if victim is not breathing.
- Administer oxygen if breathing is difficult.
- Remove and isolate contaminated clothing and shoes.
- In case of contact with substance, immediately flush skin or eyes with running water for at least 20 minutes.
- Wash skin with soap and water.
- In case of burns, immediately cool affected skin for as long as possible with cold water. Do not remove clothing if adhering to skin.
- Keep victim calm and warm.

सड़क सुरक्षा में पुलिस की भूमिका

श्री पी. एन. मिश्रा, भारतीय पुलिस सेवा
श्री अनिल कुमार, डी.एस.पी, ट्रैफिक

बिहार का सड़क दुर्घटना के प्रतिप्रवणताः–

बिहार राज्य आपदाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील है। प्राकृतिक आपदाओं यथा, बाढ़, सुखाड़, भूकम्प, आगलगी, बज्रपात, ओलावृष्टि, लू, शीतलहर, आंधी–तूफान आदि के साथ गैर–प्राकृतिक आपदाओं जैसे भगदड़, यातायात संबंधी दुर्घटनाएं, जैसे, नाव दुर्घटना, रेल दुर्घटना, सड़क दुर्घटना डूबने से होने वाली मौतों आदि से बिहार राज्य प्रभावित होता रहता है।

बिहार में सड़क दुर्घटनाओं के दृष्टिकोण से देखें तो वर्ष 2018 में राज्य में विभिन्न सड़कों पर हुई दुर्घटनाओं में कुल 6729 लोगों की मृत्यु हुई थी। इनमें राष्ट्रीय राजमार्गों पर सर्वाधिक 3051 मौतें हुईं। राज्य राजमार्गों पर कुल 1474 लोग सड़क दुर्घटना में मारे गए, जबकि राज्य की अन्य सड़कों पर कुल 2204 मौतें हुईं। घायलों की संख्या मृतकों की संख्या से काफी अधिक है।

अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना द्वारा सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित उपलब्ध कराये गए आंकड़ों से स्पष्ट है कि वर्ष 2018 में बिहार में 1325 पैदल यात्री, 203 साईकिल यात्री, 3720 दोपहिया यात्री, 689 ऑटो रिक्शा यात्री, 1487 कार, टैक्सी, वैन एवं एल.एम.भी. यात्री की मृत्यु सड़क दुर्घटना के कारण हुई। आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि सर्वाधिक मौतें दोपहिया यात्रियों की हुई हैं। बिहार सड़क सुरक्षा नियमावली– 2018 के नियम 19 के अन्तर्गत गठित प्रधान लीड एजेन्सी से प्राप्त प्रतिवदेन के अनुसार वर्ष 2017 एवं 2018 में राज्य में हुये सड़क दुर्घटनाओं के आकड़े बिहार राज्य की सड़क दुर्घटनाओं के प्रति गंभीर प्रवणता को दर्शाते हैं:–

		वर्ष 2017			वर्ष 2018		
क्र.	जिला (पुलिस जिला सहित) का नाम	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या
1	पटना	996	510	490	966	324	523
2	नालंदा	437	212	301	448	310	366
3	भोजपुर	206	149	106	268	194	153
4	बक्सर	166	91	75	167	92	79
5	रोहतास	292	187	243	321	216	235
6	कैमूर	172	102	158	187	112	117
7	गया	443	310	341	416	307	284
8	नवादा	248	162	176	233	147	214
9	औरंगाबाद	290	232	166	263	217	206

10	जहानाबाद	101	76	104	124	67	75
11	अरवल	81	51	120	77	54	46
12	सारण	307	211	206	432	310	203
13	सिवान	233	185	127	239	166	174
14	गोपालगंज	157	116	47	183	129	75
15	पूर्वी चम्पारण	261	166	103	314	138	135
16	बगहा	52	36	43	54	37	42
17	पश्चिमी चम्पारण	137	102	74	154	97	86
18	मुजफ्फरपुर	555	292	263	681	246	394
19	वैशाली	270	209	65	387	285	278
20	सीतामढ़ी	201	130	134	205	116	169
21	शिवहर	25	11	20	31	14	26
22	दरभंगा	255	125	194	261	160	261
23	समस्तीपुर	307	186	205	334	211	161
24	मधुबनी	222	142	158	214	142	181
25	सहरसा	116	67	116	117	83	91
26	मधुपुरा	95	61	152	118	73	109
27	सुपौल	130	99	168	141	100	166
28	पुर्णिया	251	165	169	276	178	258
29	कटिहार	211	135	156	157	113	84
30	अररिया	141	106	109	183	134	177
31	किशनगंज	90	66	96	100	60	140
32	भागलपुर	218	121	177	245	165	194
33	बांका	187	98	115	207	129	107
34	नवगछिया	114	68	93	142	87	138
35	मुंगेर	96	40	81	105	70	59
36	शेखपुरा	70	39	103	73	47	61
37	लक्खीसराय	99	82	86	127	92	87
38	जमुई	152	112	102	142	129	131
39	खगड़िया	157	103	148	153	116	133
40	बेगूसराय	308	196	223	336	241	216
	कुल	8855	5554	6014	9581	5908	6634

देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या वर्ष 2020 तक 50 प्रतिशत तक कम करने के उद्देश्य से हमारे देश ने ब्रासिलिया घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहली बार वर्ष 2015 में सतत विकास के लिए 2030 तक के लिए निर्धारित लक्ष्यों में सड़क सुरक्षा को शामिल किया है।

बिहार सरकार ने 29 जुलाई, 2015 को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति को अंगीकार किया। 3 मई, 2016 को बिहार सड़क सुरक्षा कार्य योजना को मंजूरी दी गई। इस कार्य योजना में सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है।

बिहार सरकार ने 15 वर्षों के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप (2015–2030) बनाया है जिसमें सड़क दुर्घटनाओं एवं अन्य परिवहन संबंधी आपदाओं में ठोस कमी (substantial reduction) किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति द्वारा अनुश्रवण किया जा रहा है। हालांकि सड़क दुर्घटना अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर आपदाओं की श्रेणी में अधिसूचित नहीं है, परन्तु बिहार सरकार ने आपदा प्रबंधन विभागीय अधिसूचना सं॰–1418, दिनांक 17.04.2015 के माध्यम से सड़क दुर्घटना को विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं के श्रेणी में शामिल किया है। इसके फलस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु होने पर मृतक के आश्रित को 4 लाख रूपये दिये जाने का प्रावधान है। साथ ही हाथ, पैर या आँख की क्षति 40–60 प्रतिशत के बीच होने पर 59100/– रूपये तथा 60 प्रतिशत से अधिक होने पर 2 लाख रूपये का अनुग्रह अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। इसका उल्लेख आपदा प्रबंधन विभागीय अधिसूचना सं॰–1973, दिनांक 26.05.2015 में किया गया है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 2 (क) के अनुसार दुर्घटना के कारण होने वाली तबाही एवं गंभीर घटना आदि आपदा के रूप में परिभाषित की गई है। आपदा प्रबंधन की अवधारणा में प्रासंगिक बदलाव के साथ ही सड़क दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना एवं सड़क यात्रा को सुरक्षित बनाना आवश्यक है।

बिहार में सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारणः–

राज्य में सड़कों का जाल फैल रहा है। सड़कों की गुणवता अच्छी हो रही है। सड़के चौड़ी हो रही हैं जिसके कारण वाहनों की रफ्तार में बढ़ोतरी पाई जा रही है। दूसरी तरफ राज्य में वाहनो की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि कई वर्षों से हो रही है विशेष कर दोपहिया वाहनों की। दोनों के कारण सड़क सुरक्षा ने गंभीर रूप ले लिया है।

- निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन–बहुत सी दुर्घटनाओं का मुख्य कारण तेज गाड़ी चलाना है। ऐसी कोई भी स्पीड (चाहे कितनी भी कम क्यों न हो) जिससे ड्राइवर गाड़ी पर कंट्रोल न रख सकें, खतरनाक साबित हो सकती है। सुरक्षित स्पीड, सड़क की हालत, गाड़ी की दशा, मौसम, ओवरलोडिंग, ड्राइवर की थकावट या मानसिक हालत वगैरह पर निर्भर करती है। जहाँ–तहाँ गतिसीमा निर्धारित है।
- अप्रशिक्षित चालकों के द्वारा वाहन का परिचालन–चालकों के लिए कोई प्रशिक्षण की सुविधा नहीं होने के कारण गाड़ी चलाने वाले अधिकतर अनौपचारिक रूप से कार्य सीखते हैं। इसलिए उन्हें अप्रशिक्षित कहना उचित होगा। बहुतेरे बिना लाईसेंस के ही वाहन चलाते है। साथ–ही–साथ लाईसेंस देने की प्रक्रिया सुदृढ़ नहीं होने के कारण अप्रशिक्षित को भी लाईसेंस प्राप्त हो जाता है। चालकों में मोटर

वाहन अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी का अभाव होता है, जिसके कारण लापरवाही पूर्वक वाहनों का परिचालन करते है जो दुर्घटना का कारण बन जाता है।

- यातायात नियमों का पालन नहीं करना–चालकों के द्वारा जान–बूझकर या अति उत्साह में यातायात नियमों का उल्लघंन किया जाता है।
- नशे में वाहन चलाना।
- वाहन चलाते समय मोबाईल से बात करना ।
- ओवरटेक करना– गलत तरीके से ओवरटेक करना सड़क दुर्घटना का एक मुख्य कारण है। विशेषकर घुमावदार सड़कों या पहाड़ी क्षेत्रों में ओवरटेक करने से घटनाएं घटित होती है।
- ओवरलोडिंग–सार्वजनिक सवारी वाहनों पर विशेषकर छत पर बैठने के कारण दुर्घटनाओं के प्रतिभेद्य हो जाते है। इसी प्रकार मालवाहक वाहनों में लदान क्षमता से अधिक लोडिंग करने से वाहन के संतुलन बिगड़ने की संभावना बनी रहती है।
- वाहनों का सड़क परिचालन हेतु अयोग्य होना।
- सड़क की संरचना (डिजाईन) का उपयुक्त नहीं होना।
- सड़क के किनारे खड़े होकर फोटो खीचना/खीचवाना।
- बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना।
- मानव रहित रेलवे फाटक या रेलवे लाईन पार करते समय असावधानी।
- गाड़ी का निर्धारित स्थान पर पार्किंग नहीं करना तथा गलत साईड से गाड़ी का दरवाजा खोलना।

1. सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है। सड़क सुरक्षा एक बहु–आयामी कार्य है। सभी पुलिस अधिकारी वह जिस भी पंक्ति के हो का दायित्व सड़क दुर्घटना को रोकने/कम करने एवं दुर्घटना होने पर कार्रवाई करने की है। यातायात पुलिस का प्रबंध प्रत्येक थाने में नहीं है लेकिन पुलिस अधिनियम के अनुसार पुलिसकर्मियों के दायित्वों में यातायात नियंत्रण और सड़क सुरक्षा भी है। इस प्रकार सभी पुलिसकर्मी की भूमिका सड़क सुरक्षा में स्पष्ट है। माना गया है कि सड़क सुरक्षा '4E' पर आधारित है:–
   1. Education (शिक्षा) अर्थात् लोक–शिक्षण तथा अन्य हितधारकों को जागरूक बनाना।
   2. Engineering (अभियंत्रण या संरचना) अर्थात: सड़कों का उपयुक्त डिजाईन, वाहनों की अच्छी स्थिति एवं रख–रखाव आदि।
   3. Enforcement (प्रवर्त्तन) अर्थात सड़क सुरक्षा के लिये गठित नियमों का पालना सुनिश्चित करना।
   4. Emergency Care (आकस्मिक सहायता) अर्थात दुर्घटना के पश्चात् घायलों की पहचानना, उन्हें प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराना, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराना, अस्पताल पहुंचाना, घायलों की पहचान नहीं होने अथवा वाहन की पहचान में कठिनाई होने पर आवश्यकतानुसार जाँच–पड़ताल/प्राथमिकी आदि दर्ज करना।

सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित जोखिम के न्यूनीकरण में पुलिस की भूमिका

उपरोक्त में से प्रथम तीन कार्य घटना के पूर्व किये जाने है ताकि घटना को रोका जाय या घटना के होने पर उसका प्रभाव कम हो। इन चरणों में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कार्य

''आपदान्यूनीकरण'' से संबंधित है जब पुलिस उपरोक्त तीनों कार्य को करते हुए सड़क दुर्घटनाओं को कम कर सकती है अथवा दुर्घटना में क्षति कम कर सकती है।

- सड़क दुर्घटना होने पर त्वरित उपचार नहीं होने के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है। सड़क दुर्घटना होने पर पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाती है। परंतु पुलिस का कतर्व्य यह भी है कि पुलिस एवं अन्य विभाग/एजेन्सी मिलकर कुछ ऐसे उपाय/कार्य करें जिससे कि सड़क दुर्घटना हो ही न पाए और यदि हो तो त्वरित कार्रवाई हो सके। उदाहरण स्वरूप यह विदित है कि अधिकांशतः घटनाऐं चालक की लापरवाही के कारण होती है। ऐसे परिस्थिति में यदि हम चालकों का प्रशिक्षण की व्यवस्था करें चाहे वह सरकारी क्षेत्र में हो या निजी तो सड़क दुर्घटना को कम करने में मदद मिलेगी।
- इसी प्रकार अनुज्ञप्ति देने की प्रक्रिया को और सुदृढ़ किया जाता है तो इन दुर्घटनाओं को कम करने में सहायता मिलेगी। जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटर यान निरीक्षक के सहयोग से ड्राईविंग लाईसेंस की जांच करना।
- दोपहिया वाहन पर चलने वाले नवयुवकों की संख्या में मृतकों की संख्या बहुत अधिक है। यदि पुलिसकर्मी या अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी लोग नवयुवकों के बीच जागरूकता एवं नियमों का पालन सख्ती से कराकर करायें तो यह भी सड़क दुर्घटना न्यूनीकरण का एक भाग होगा। इस प्रकार सड़क दुर्घटना के सभी कारणों में कई ऐसे कार्य किये जा सकते है जिससे की दुर्घटना में रोकथाम होगी।
- यातायात नियमों की जानकारी देना पुलिस का प्रमुख कार्य हो सकता है। विभिन्न अवसरों पर छात्र–छात्राओं के बीच, चालकों के बीच, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बीच जागरूकता कार्यक्रम किये जा सकते हैं। इसमें परिवहन विभाग की सहायता प्राप्त की जा सकती है। परिवहन विभागमें इस कार्य हेतु समुचित राशि उपलब्ध है जो जिलो स्तर तक आवंटित होती है। जन–जागरूकता के कार्य क्रम मात्र ''सड़क सुरक्षा सप्ताह'' तक सीमित न रखा जाए इसे पूरे वर्ष चलाया जाना चाहिए।
- Black Spot – राज्य पविहनविभाग एवंभारतीय राष्ट्रीय राजमार्गप्राधिकरण (NHAI) के द्वाराराज्य की सड़को से संबंधित वैसे स्थल जहाँ पर बार–बार घटनाएं घटती है, जिसकी सूची तैयार की गयी है, इन्हें Black Spot कहा जाता है। मूल रूप से Black Spot चिन्हित करने का दायित्व पुलिस के द्वारा संधारित सड़क दुर्घटना के आंकड़े ही होते है। सभी जिलों में Black Spot सूची होगी। Black Spot पर अधिक घटनाएं होने के कारणों को समझने की आवश्यकता है, इसलिए जिला स्तर के परिवहन विभाग के अधिकारी एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारियों के साथ समय–समय पर बैठक कर समझना चाहिए कि ये Black Spot किन कारणों से कहे जाते है और उन कारणों को दूर करने का प्रयास होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप यदि सड़क के design मे ंकोई गड़बड़ी है तो संबंधित एजेंसी/विभाग के साथ मिलकर इसे ठीक कराने की कार्रवाई करना चाहिए। यह कार्य सड़क दुर्घटना की दृष्टिकोण से ''आपदा न्यूनीकरण'' की श्रेणी में आयेगी। आखिरकार यह समझने की आवश्यकता है, दुर्घटना छोटी या बड़ी होने पर पुलिस को ही सर्वप्रथम कर्रवाई करनी होती है। इसी प्रकार सभी जिलों में पूर्व की घटनाओं एवं अनुभवों के आधार पर अंध स्थलों की पहंचान करना तथा उन स्थलों पर सुरक्षात्मक उपाय

जैसे–बेरिकेडिंग लगाना, पुलिस बल/चौकीदार की प्रतिनियुक्ति करना आदि सड़क सुरक्षा के लिए न्यूनीकरण के उपाय हैं। इसमें पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है।

- वर्तमान में सड़कों का चौड़ी करण के साथ–साथ नई सड़के भी बन रही है, नई सड़कों के बनने एवं सड़कों के किनारे बसावट होती है, इसलिए पूर्व से चिन्हित Black Spot के साथ–साथ भविष्य में संभावित Black Spot को भी नजर में रखना चाहिए, जिससे की वहाँ पर भी पहले से निरोधात्मक कर्रवाई हो सके।
- बिहार सरकार के परिवहन विभाग द्वारा 'बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् नियमावली, 2018 गठित है। इसके नियम 24 के अनुसार जिला सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया गया है। जिला पदाधिकारी इसके अध्यक्ष होते है तथा जिला पुलिस अधीक्षक इसके सदस्य होते है। नियमावली के नियम 27 में जिला सड़क सुरक्षा समिति की शक्तियां एवं कृत्यों का उल्लेख है, जिसके अनुसार सड़क सुरक्षा के लिए आवश्यक विषयों पर कार्रवाई करने एवं आवश्यकताओं का प्रयोग करने का प्रावधान किया गया है।
- चूंकि जिला पुलिस अधीक्षक पदेन सदस्य है इसलिए राज्य स्तरीय कार्यपालक समिति तथा जिला सड़क सुरक्षा समिति के द्वारा लिये गये निर्णयों का अनुपालन पुलिस का दायित्व बन जाता है। राज्य परिवहन विभाग के द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए जिला समिति को राषि उपलब्ध करायी जाती है। इसका उपयोग जन–जागरूकता के कार्यक्रम में हो सकता है। विभिन्न हितधारकों को संवेदित करने हेतु बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि पुलिसकर्मी विभिन्न कार्य हेतु सड़क की यात्रा करते होते है अनुसंधान के लिए, गस्ती के लिए, छापेमारी के लिए आदि–आदि। इन सभी अवसरों का लाभ लेकर जन–जागरूकता और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकता है।
- सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के संदर्भ में उपरोक्त के अतिरिक्त और भी कार्य किए जा सकते हैं जिनमें से कुछ का उल्लेख किया जा रहा है। निम्नलिखित सुरक्षा के उपायों को प्रचारित करने एवं उनका पालन कराने से सड़क दुर्घटनाऐं कम होगीं। इनके संबंध में सभी पुलिसकर्मियों को जानकारी होना चाहिए।
- सही लेन में आगे के वाहन से आवश्यक दूरी संधारित कर नियत गति सीमा में वाहन के परिचालन से घटना को रोका जा सकता है।
- इसी प्रकार हेलमेट के इस्तेमाल से घटना होने पर भी उसका प्रभाव/क्षति कम होगी। यह उदाहरण लोक–शिक्षण या जागरूकता से जुड़ा है। सड़क–सुरक्षा सप्ताह के दौरान प्रचार–प्रसार में पुलिस की अनिवार्य उपस्थिति से जन–जागरूकता में सफलता मिलेगी।
- सड़कों के उचित संरचना (डिजाईन) तथा उचित स्थान या प्रतिरोधक (ठोकर) जैसे स्कूल, अस्पताल आदि पर इस्तेमाल कर घटना की बारंबारता को कम किया जा सकता है। उन स्थानों पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जानी चाहिए।
- वाहन मोटर अधिनियम 1988 से संबंधित अन्तर्गत वाहन परिचालन से संबंधित विभिन्न अपराधों एवं उनके लिये निर्धारित शास्तियों, जुर्माना का अधिरोपण पुलिस के प्रवर्तन संबंधी महत्वपूर्ण कार्य है।
- चौराहा पर रोड क्रास करने के समय बड़ी गाड़ियों के नजदीक से मोबाइल, साइकिल चालक या

पैदल यात्री सड़क पार करने के कारण बड़ी गाड़ियों के चपेट में आने की संभावना प्रबल हो जाती है। न्यू बाईपास में जगनपुरा मोड़ के पास इसी तरह की घटनाएँ सबसे अधिक होती है।

- साईडलेन से मेन लेन में आने के समय वाहन चालक पूरा दाहिने कवर करते हुए रोड पकड़ते है। जिसके चलते पीछे से तेज गति से आने वाले वाहन के चपेट में आ जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं।
- मोबाईल फोन का इस्तेमाल करने के कारण वाहन चालक का ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है जिसके कारण दुर्घटना की संभावना अधिक बढ़ जाती है।
- अपने आगे–पीछे के वाहनों से कुछ दूरी बनाकर दुर्घटना को टाल सकते हैं। आगेवाला वाहन जैसे ही ब्रेक लगाते है तो पीछेवाले वाहन को रूकने का समय मिल जाता है सही गति पर वाहन चलाने का अभ्यास करना चाहिए ताकि अन्य वाहनों के पीछे से टकरा ना जाए।
- हर संभव प्रयास करना चाहिए कि किसी दूसरे लेन में प्रवेश करना चाहते हैं उसमें अचानक प्रवेश करने से बचना चाहिए। दूसरा लेन में प्रवेश के 50 मी0 पहले से ही Signal का प्रयोग करना चाहिए।
- रात्रि में नींद आने की स्थिति में गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए दुर्घटना की प्रबल संभावना हो जाती है।
- न्यूनीकरण के दृष्टिकोण से पैदल यात्रियों, दोपहिया वाहन यात्रियों एवं चार पहिया वाहन यात्रियों एवं अन्य वाहनों के लिए सावधानियां का प्रचार–प्रसार एक महत्वपूर्ण अवयव है तथा इसमें पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका यात्रियों को संवेदित करने के लिए प्रयुक्त कुछ सावधानियों का वर्णन निम्नवत किया गया हैः–
- मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अन्तर्गत नियमों का पालन सुनिश्चित कराना।
- हेलमेट के उपयोग के लिए लोगों को प्रेरित करना तथा हेलमेट उपयोग नहीं करने का जुर्माना आदि अधिरोपित करना।
- यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध मोटरवाहन अधिनियम की सुसंगत धारा के अन्तर्गत कार्रवाई करना व चालान जारी करना।
- यातायात प्रतिबन्धों या नियमों जैसे पार्किंग/नो इन्ट्री इत्यादि को लागू कराना।

सड़क दुर्घटना होने पर कार्रवाई

1. सूचना मिलते ही सभी संबंधित को जानकारी देना।
2. घटना की गंभीरता के आधार पर अग्निशाम सेवा, नजदीकी अस्पताल सरकारी अथवा गैर सरकारी को घटना स्थल पर प्रस्थान करते समय ही सूचित कर करर्वाई करने हेतु अनुरोध करना।
3. थाना से घटना स्थल जाने के क्रम में स्थल से पूर्ण जानकारी प्राप्त करते रहना और उसी के अनुरूप चिकित्सा प्रबंध, विधि व्यवस्था प्रबंध, अग्निशाम सेवा प्रबंध, यातायात प्रबंध करना चाहिए।

    उदाहरण स्वरूप यदि वहाँ पर अत्यधिक भीड़ इक्कठा हो चुकी है तो निकटवर्ती थानों को अनुरोध

करना एवं अतिरिक्त बल प्राप्त करना। हो सकता है कि सड़क दुर्घटना के कारण वह मार्ग अवरूद्ध हो गया हो इस पृष्टभूमि में पुलिस का कर्तव्य होता है कि वह वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से जाने हेतु गाईड करें और यदि वैकल्पिक मार्ग नहीं है तो वाहनों को घटनास्थल से पहले जहाँ–तहाँ रोका जाय जिससे की घटना स्थल पर अनावश्यक भीड़ नहीं हो जो कालांतर में माँब बन जाय। वाहनों को रोका वहाँ जाय जहाँ पर चाय–नाश्ता, खाना–पानी का प्रबंध हो क्योंकि कभी–कभी वाहनों की लंबी लाईन लग जाती है।

यदि स्थल पर पहुँचने के क्रम में सही प्रकार से स्थिति की जानकारी प्राप्त कर लेते है तो Response करने में उतना ही अच्छा होगा।

- ✓ घटना स्थल पर पहुंचकर मौका–मुआयना करना अर्थात् स्थिति/क्षति का त्वरित आकलन करना।
- ✓ मृतकों, घायलों, गंभीर रूप से घायल, सामान्य रूप से घायल के रूप में पीड़ितों की पहचान करना।
- ✓ यदि संभव हो तो प्राथमिक उपचार घटनास्थल पर ही उपलब्ध कराने का प्रयास करना। घायलों को शीघ्र निकटतम अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करना। यह कार्य golden hour (स्वर्णिम घंटा) के अंदर किया जाना चाहिए।
- ✓ निकटतम अस्पतालों/नर्सिंगहोम/चिकित्सकों से समन्वय करना।
- ✓ घटना में यदि टैंकर आदि शामिल हो और अग्निकांड घटना घटित हो जाये, ऐसी स्थिति में अग्निशमन दस्ता/NDRF/SDRF को सूचित करना।
- ✓ अग्निशमनदस्ता/NDRF/SDRF के साथ सहयोग/समन्वय करना।
- ✓ वाहनों/घायलों एवं मृतकों की पहचान करना ।
- ✓ यदि हिट एंड रन का मामला हो तो प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ करना।
- ✓ अनुसंधान में दुर्घटनाग्रस्त वाहनों/व्यक्तियों का पूर्ण विवरण अंकित करना।
- ✓ अनुसंधान तत्परता एवं वैज्ञानिक तरीके से करना।
- ✓ प्राथमिकी में मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की सुसंगत धाराओं का प्रयोग करना।
- ✓ घटनास्थल का वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी करना।
- ✓ रासयनिक जाँच (Forensic test) एवं अन्य साक्ष्यों का संकलन करना।
- ✓ प्राथमिकी में सही धाराओं का इस्तेमाल करते हुए वाहन की ससमय जो एम.भी.आई. से अवश्य कराई जानी चाहिए।
- ✓ कांड से संबंधित पीड़ित पक्ष को मुआवजा का प्रस्ताव ससमय।
- ✓ मुआवजा हेतु आवश्यक कागजात जो दुर्घटना घटित परिवार को अनुसंधानकर्ता उपलब्ध करायें। 1. प्राथमिकी की प्रति । 2. पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति/जख्म प्रतिवेदन की प्रति। 3. एम.भी.आई. रिपोर्ट की प्रति ।
- ✓ सड़क दुर्घटना में 01 व्यक्ति का घायल होना या 01 व्यक्ति की मृत्यु या दो व्यक्ति का गंभीर रूप से घायल होना जिसमें दो अंग स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाये तो इसे सामूहिक दुर्घटना कहा जाता है और इसका मुआवजा वर्तमान में मृतक को 04 लाख एवं घायल को राज्य आपदा

रिस्पांसकोष के निर्धारित साहाय्य दर पर देय है (इसका उल्लेख पूर्व में ''बिहार की सड़क के प्रति प्रवणता'' शीर्षक के अर्न्तगत विस्तृत रूप से किया गया है)।

अच्छा सहयोगी नागरिक नियमावली **(Good Samaritan Law)-**

परिवहन विभाग के पत्रांक– स०सु० (गुड सेमेरिटन)–13/2018–2815/परि०, दिनांक 22.04.2018 के द्वारा अच्छा मददगार के सहयोग हेतु मानक संचालन प्रक्रिया परिचालित की गई है जिसमें पुलिस पदाधिकारियों के दायित्वों को रेखांकित किया गया है। इसे बिहार सरकार के परिवहन विभाग के वे. बसाईट www.transport.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। सुलभ प्रसंग हेतु संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:–

- एक अच्छा सामरी (Good Samaritan) किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो किसी आपातकालीन स्थिति में किसी घायल व्यक्ति को स्वैच्छिक आधार पर सहायता प्रदान करता है। एक अच्छा सामरी कानून एक ऐसा कानून है जिसके तहत एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की सहायता के लिए आना पड़ता है, जो शारीरिक नुकसान पहुंचाने के लिए सामने आता है, अगर बचावकर्ता को चोट के खतरे को कोई खतरा नहीं है।
- “Golden Hour"ftls"Golden Time" के रूप में भी जाना जाता है, एक व्यक्ति द्वारा किसी दुर्घटना या दर्दनाक चोट के बाद एक घंटे तक चलनेवाली समय अवधि को संदर्भित करता है, जिसके दौरान सबसे अधिक संभावना है कि शीघ्र चिकित्सा देखभाल से मृत्यु को रोका जा सकेगा। इस तरह के हादसों के शिकार लोगों की मृत्यु और बड़ी चोटों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।
- एक अच्छे सामरी (Good Samaritan) को, अस्पताल में किसी घायल व्यक्ति के प्रवेश से संबंधित किसी भी प्रक्रिया पूर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- किसी अस्पताल में घायल व्यक्ति के इलाज के लिए कोई चिकित्सा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- सड़क दुर्घटना के घायलों को ईलाज हेतु अस्पताल में लाने पर उन्हें पुलिस तथा अस्पताल द्वारा परेशान नहीं किया जायेगा।
- सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल लाने हेतु प्रयुक्त वाहन का खर्च/उचित किराया भी जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिया जाये।
- सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति पुरस्कृत भी किया जाये।
- मोटरवाहन अधिनियम के अन्तर्गत अपराध एवं सजा:–

भारत में सर्प दंश प्रबंधन : एक चुनौती

श्री के.के.झा
एस.डी.आर.एफ

खेतों में फसलों को चूहों, पक्षियों ओर अनय छोटे जानवरों से बचाने में साँप की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है विश्व में लगभग 3000 तरह के साँप है। हमारे देश में लगभग 275 तरह के साँ प पाये जाते हैं। भारत में पाये जो वाले साँपों में से केवल 15 प्रतिशत जहरीला है।

वर्ष 2009 के सर्पदंश के घटनाओं को तुलना किया जाय तो यह समझ में आता है की जहां अमेरिका में पये जाने वाले साँपों में 65 प्रतिशत साँप जहरीला है और वर्ष भर में केवल 9 लोगों की मृत्यु साँप के काटने से हुई ऑस्ट्रेलिया में 85 प्रतिशत साँप जहरीला होन`के बावजूद किसी की भी जान नहीं गई, वहीं भारत में केवल 15 प्रतिशत साँप विषैला है और हमारे देश में लगभग 45000 लोगों की जानें वर्ष 2009 में गईं।

सर्प–दंश प्रबंधन

भारत में प्रतिवर्ष लगभग 45000 मृत्यु सर्प दंश से होती है।

देश	विषैले सर्प	विषहीन सर्प	सर्प–दंश से मृत्यु	वर्ष
आस्ट्रेलिया	85%	15%	0	2009
अमेरिका	65%	35%	09	2009
भारत	15%	85%	45000	2009

भारत क सर्प दंश से मृत लगभग आधे से अधिक लोगों की जान विषहीन साँप के काटने से होती है। अगर उन्हें सर्प–दंश प्रबधन का ज्ञान होता तो मृत्युदर कम होता.......

हम सभी जानते है की सप्रदंश से अधिकतर प्रभावित मजदूर, किसान और गांव के पुरुष/महिलाएं होती हैं। भारत में सर्पदंश की घटनाओं में मृत्युदर अधिक होने का कारण सुदूर गांवों में अस्पताल का न होना जितना महत्वपूर्ण है, उससे अधिक महत्वपूर्ण कारक समाज में फैले गलत अवधारणा और अंधविश्वास का होना है। भारत में सर्पदंश से मृत व्यक्तियों में से आधे लोग विषहीन साँप के काटने से मरते हैं। सर्पदंश प्रंबंधन जैसे महत्वपूा विषयों पर जागगरूकता नहीं होने से विषहीन साँप के काटने के बाद घबराहट और भय से ह्दयगति बंद होने के कारण लोगों का मृत्यु हो जाती है।

इस आलेख में सर्पदंश प्रबंधन (साँपों को पहचानाना, साँपों के विष के प्रकार की जानकारी, विषदंत निशान को पहचानने के तरीके, सर्पदंश के बाद कया करें, क्या करें इत्यादि) की संक्षिप्त जानकारी दी जा रही है, जो सामाजिक चेतना के लिए नितांत ही आवश्यक है।

क्या साँप बीन के धुन पर नाचता है?

बचपन से हम साँपों के बारे में किस्से–कहानियों, सपेरे और बॉलीवुड फिल्मो से ही पाये ज्ञान लिए बड़े होते हैं। जिस साँप को सपेरे दोमुहाँ साँप के नाम से पुकारते हैं, उसके पूंछ को भी मुंह कह कर दिखाया जाता है, वह गलत होता है, वस्तुतः किसी भी साँप का दोमुहाँ नहीं होता। कुछेक भ्रांतियाँ साँप के बारे में समाज में हैं, उसे दूर करना आवश्यक है, यथा–साँप के काटने का विष शरीर में असर नहीं करता, इत्यादि। हिन्दी फिल्मों ने भी इसी गलत अवधारणाओं को ही फैलाया है। हकीकत तो यह है कि साँप के कान नहीं होते हैं, इसलिए वे बीन कि आवाज पर नहीं नाचता। वो खतरा समझ कर बीन से सतर्क रहता है व आक्रमण की मुद्रा में रहता है। सर्प केवल हमारे चलने के कंपन (Vibation) को महसूस करता है। न ही साँप दूध पीता है। साँप के देखने कि क्षमता भी बहुत कम (लगभग एक दो फीट) ही होती है।

भारत में 5 अत्यधिक जहरीले सर्प :

- विषैले सर्प में नाग और करैत बिहार में ज्यादा पाए जाते हैं, उत्तरी बिहार में स्केल्ड वाइपर भी कहीं–कहीं घर के खपड़ा में पाया जाता है।
- सर्वाधिक सर्पदंश की घटना केरल, महाराष्ट, उड़ीसा और आसाम राज्यों में होती है।
- प्रायः सोए हुए व्यक्ति को बिछावन पर करैत द्वारा दंश की घटना होती है, जो भारत में सबसे अधिक जहरीला है।

ऊपर के जहरीले साँपों में अगर विष की प्राणघातक क्षमता की तुलना करें तो भारत में पाये जाने वाले साँपों में करैत सबसे अधिक जहरीला है देखें चार्ट

साँप के काटने का कारण एवं विभिन्न साँपों की प्राणघातक क्षमता

Kids of bite (काटने के कारण):

- Food bite (खाने के लिए काटना) चूहा, चूजा, चिड़िया इत्यादि
- Defense of Warning bite (खतरा की आशंका होने पर मनुष्य को काटना)

Fatal dose of Venom (एक सामान्य व्यक्ति को मारने की जहर की प्राणाघातक क्षमता):

- **Cobra : 12 mg**
- **Krait : 6 mg**
- **Russall's Viper : 15mg**
- **Shaw scaled viper : 8mg**

भारत में करैत साँप सबसे अधिक जहरीला है।

साँपों के काटने का कारण :

हमें यह भी ध्यान देने के जरूरत है साँप डरपोक और छिप कर रहने वाला प्राणी है। मनुष्य की आहट पाकर साँप वहाँ से भाग जाने का प्रयास करते हैं। अगर उन्हें अपने ऊपर मनुष्य से खतरा रहने की आशंका होती है, तभी सर्पदंश करते हैं जबकि छोटे जानवरों को भोजन बनाने के लिए जहरीले सर्प उनके ऊपर दंश करते हैं, जिसे भोजन के लिए दंश (Food bite) भी कहते हैं। विषहीन सर्प के मुँह में ऊपर–नीचे के जबड़ों में कई दाँत होते हैं, इसलिए वो चूहों, मूर्गी, कबूतर या चिड़ियाँ को मुँह में दबा कर मार कर खा लेते हैं, जबकि विषैले सर्प को केल दो दाँत होते है, इसलिए उन्हें शिकार को दंश कर मारने की विधि अपनाते है।

भारत में जहरीले साँपों का परिचय :

भारत में दो तरह को कोबरा (cobra)/नाग पाया जाता है, मोनो–क्लेड (Monoclad) (फन पर दोनो तरफ चश्में के आकृति वाला कोबरा)। भारतीय नाम साँप का समाज में में पूजा भी की जाती है।

स्पैक्टेक्लैड कोबरा

लक्षण

काटे गए जगह पर दर्द

नींद आनां

साँस लेने में परेशानी

धँसी हुई पलकें (Drooping Eyelids) Ptosis.

नेक्रोसिस (शरीरसे कोशिकाओं की प्रिमेचुर मृत्यु)

पक्षाघात

मुँह पर झाग का आना

निगलने में परेशानी

Indian Monoclad Kobra

बंगाल कोबरा **(Naja Kaouthia)**

सामान्य लम्बाई : 1 मीटर

पाया जाना का स्थान : North East India, Uttar Pradesh, Bihar, Orissa and the Andamans (बंगाल और असम में ज्यादा)

Habitat: पानी के इलाके में

Food: मछली, छोटा साँप, मेढक

Status: अच्छे चमड़े के लिए शिकार

Common Krait (Bungarus Caeruleus)

करैत : (भारत का सबसे जहरीला सांप)

लम्बाई : 3.5 फीट

पाया जाना का स्थान : उत्तर भारत, नेपाल, बंगाल

जहर : Powerful Neurotoxins

मांशपेशी पक्षाघात, हृदयाघात से मृत्यु।

Survival अवधि : 4.6 घंटा

दाँत बारीक पतला, कई बार साँप काटने पर दर्द एकदम कम या नगण्य, इसलिए व्यक्ति भुलावा में रहता।

करैत साँप के बारे में रोचक जानकारी यह है कि यह साँप घरों के आस–पास भी रहता है, और रात में ठंढ से बचने के लिए मनुष्यों के बिछावन के नजदीक आ जाता है। रात में सोये–सोये सर्पदंश की ज्यादतर घटनाएँ इसी साँप के काटने की पायी जाती है। करैत की विष दंत (Fangs) काफी पतली ओर छोटी होती है, जिसके कारण कई बार दांत के निशान इतने बारीक होता है कि इसे पहचानान मुश्किल हो जाता है।

Indian Saw-scaled Viper

लम्बाई : 1–3 फीट

जहर : हेमोटोक्सिक

छिपने का स्थान : पत्थर, लकड़ी/ईंट का ढेर, खपड़ा।

रात में शिकार करने के लिए बाहर निकलता।

Hissss के आवाज से अटैक से पहले आगाह करता है।

पूरे विश्व में जितने साँप काटने से मरते हैं, उनमें से आधे मृतक इसी साँप के काटने के घटना से होते हैं।

Sidewinding चलने का तरीका
(उत्तर बिहार के मधुबनी, चम्पारण जिलों में पाया जाता है।)

रसैल्स वाइपर

लक्षण :

- काटे गए जगह पर जलन के साथ दर्द
- पीठ के निचले हिस्से एवं (Loin) पसली के कमर के हड्डी के बीच की जगह में दर्द।
- हेमोरेज के कारण भारी मात्रा में बाहरी एवं भीतरी खून का निकलना।
- काटे गये स्थान पर तेजी से सूजन।
- कभी–कभी Ptois (पलकों का बोझिल होना) नजर आता है।
- अत्यधिक नेकोसिसिस
- रेनल फेल्योर (किडनी का काम करना बंद कर देना)

स्केल्ड वाइपर

लक्षण :

- काटे गये स्थान पर जलन एवं दर्द
- पीठ के निचले भाग एवं लोइन (पसली एवं कमर के हड्डी के बीच वाली जगह) पर दर्द।
- हेमोरेज के कारण आन्तरिक कोशिकाओं एवं बाह्य कोशिकाओं में रक्तस्राव।
- अत्यधिक इन्फलेमेशन।
- काटे गये स्थान पर तेजी से जलन।
- अत्यधिक नेक्रोसिस।

Poisonous & Non Poisonous Snakes

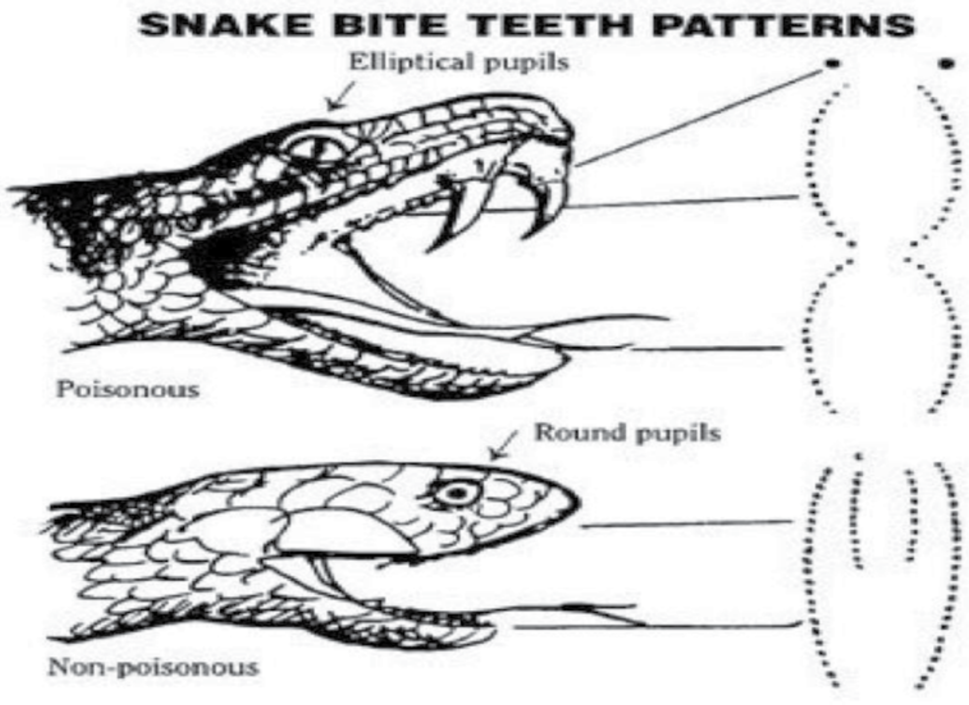

विषहीन और जहरीले सर्प में विभेद :

काटे हुये स्थान पर दाँत के निशान को गौर से देखने पर दो दाँत के निशान और कई दाँत के ऊपर–नीचे काटने के निशान दिखाई पड़ते हैं, जैसा की फोटो में परिलक्षित है दो से ज्यादा दाँत का निशान विषहीन साँप के होते हैं।

साँप के मुँह को गौर से देखने पर जरीले साँप के मुँह त्रिभुजाकर (नाग–अपवाद) दिखती है, जबकि विषहीन साँप का मुँह गोलाकार है जरीले साँपों के आँख अंडाकर **(Elipitical)** होता है और विषहीन साँप का आँख गोलकार होता है।

विषैले और विषहीन सर्प में अंतर :

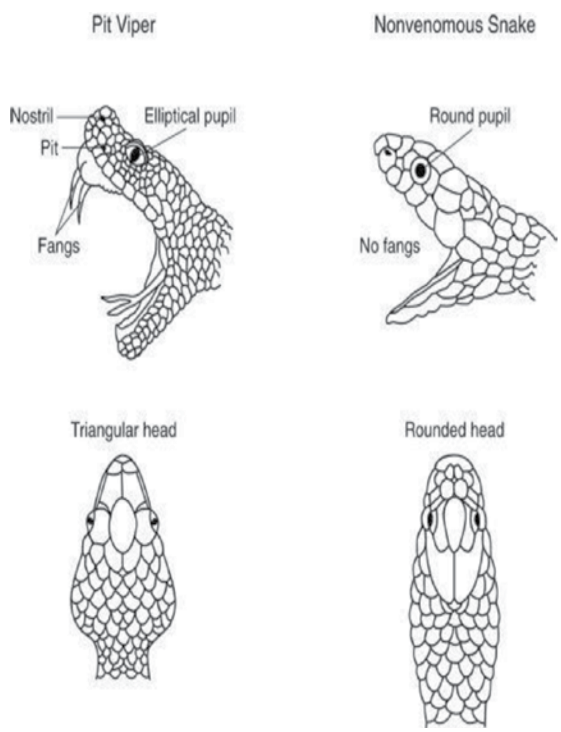

बनावट	जहरीले साँप	विषहीन साँप
सिर	त्रिकोण (अपवाद कोबरा)	गोलाकार
सिर के सल्क	छोटा	बड़ा
बेली स्केल	फैला हुआ	छोटा पूरी चौड़ाई तक नहीं फैलता
फैंग (विषदंत)	उपस्थित	अनुपस्थित
पुतलियाँ	इलिप्टिकल पुतली	गोलाकार
एनल प्लेट	एक लाइन वाली प्लेट	दो लाइन वाली प्लेट
साँप के आँख एवं नथुनों के बीच पिट या छेद	पिट वाइपर में उप. स्थित	अनुपस्थित
बाइट का निशान	दंश का निशान	छोटे दाँतों की लाइन

साँप किस प्राकर काटता है?

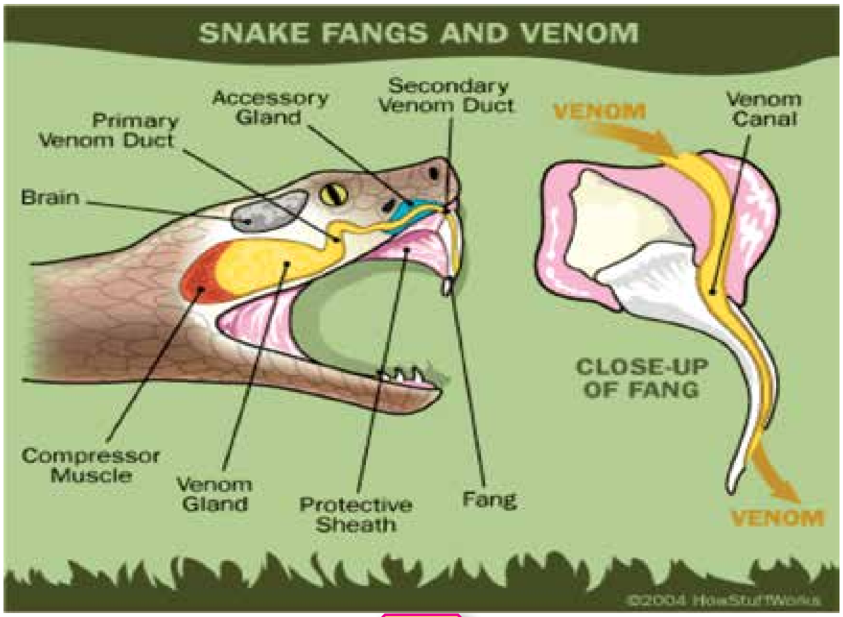

विष दंश की प्रक्रिया :

साँप के दाँत के पीछे विष की थैली (Venom-Gland) होती है, जिसे काटने के बाद सिकोड़ कर विष को दाँत के अंदर सुराख से व्यक्ति के शरीर में डालता है। इस प्रक्रिया में कई बार दाँत काटने के बाद देर होने से या विष ग्लैंड में कम मात्रा होने से कम विष की मात्र श्स नगझय शिकार को डाल पाता है। इसलिए कई बार जहरीले सर्प के दंश होने पर और दो दाँत के निशान होने पर भी जहर शरीर में नहीं दे पाता (Inject) है।

सर्प दंश के निशान से सर्प की पहचान

विषहीन सर्प के काटने पर ऊपर और नीचे के कई दाँत के काटने के निशान होते हैं, जबकि जहरीले साँप के काटने के केवल दो दाँत के निशान होते हैं, जो डेढ़–दो सेंटीमीटर के दूरी पर बनते है।

विषैला साँप के काटने की पहचान

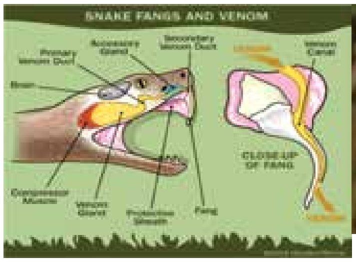

जहरीले दाँत

जहरीले दाँत के काटने के निशान

सर्पदंश प्रबंधन

- भय एवं चिन्ता न करें–सभी साँप जहरीले नहीं होते।
- सभी जहरीले साँपों केपास हर समय पूरा जहर नहीं होता अगर पूरा जहर हो तो भीवो इसाक लिथल डोज हमेशा नहीं प्रवेश करा पातें हैं।
- साँप के काटने के उपरान्त काटने के निशान की जाँच करें।
- जाँच करें की जहरीले या विषहीन साँप ने काटा है।
- (नोट – विष ही साँप के काटने से भी घाव के आसपास सुजन और खुजलाहट होती है।)
- साँप के विष के अनुसार ANTI VENOM Serum (**इंजेक्शन) लगवाया जाय।**

सर्पदंश के बाद क्या करें :

- कटे हुए जगह को साबनु से धोएँ
- दाँत के निशान की जाँच करें।
- कटे हुये स्थान को Immoblised (स्थिर) करें। व्यक्ति की चलने–फिरने न दें।
- कटे हुए अंग को हृदय से नीचे रखे।
- घाव के ऊपर बैंडज बाँधें,
- सांत्वना दें घबराहट से हृदयगति/खून का संचरण तेज हो जाता है, जिससे जहर जल्दी फैलने लगता है।
- जहरीले साँप ने काटा है, तो जहर के अनुसार AVS (Anti Venoum Serum) का इंजेक्सन लगाएँ।

क्या न करें :

- मंत्र या तांत्रिक के झांसे में न आयें।
- बर्फ या गरम पदार्थ कटे हुए स्थान पर न लगाएँ।
- काटे हुए स्थान के ऊपर या नीचे रस्सी से न बांधे।
- (Turnicate प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा ही किया जाय।)
- चीरा न लगाएँ, Artirary Vain कट जाने पर ज्यादा खून बहने से व्यक्ति का बचना मुश्किल हो जाएगा।

साँप से बचाव :
साँप के रहने के स्थल की जानकारी
बारिश, बाढ़, रात और खेत में सतर्क रहने की आवश्यकता।
बूट, जूता द्वारा पाँव को ढकना।
जमीन पर नहीं सोना।
मूर्गी, कबूतर, खरगोश, इत्यादि पालतू को घरों से दूर रखना।
मलवा, बिल और दीवार के छेद से सावधानी पूर्वक काम करना।

Anti Venom Snake (AVS Injection)

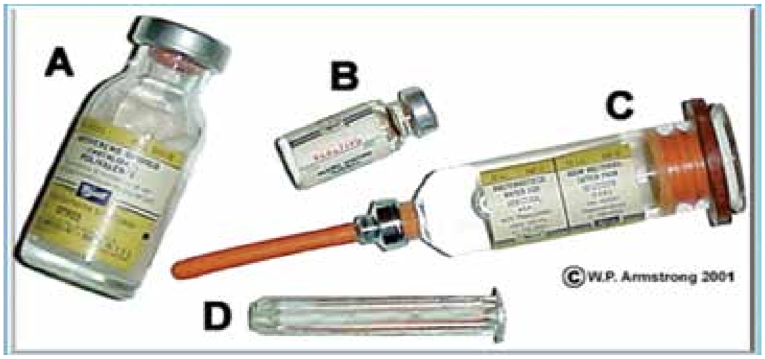

AVS Injection :

1. Hemotoxic
2. Neurotoxin
3. Cytotoxic
4. Common

Injection for all nake

गाँव में दवा की अनुपलब्धता :

वैसे तो सर्प क विष के तरह के अनुसार अलग–लग दवा Anti Venom Snake (AVS Injection) उपलब्ध है, लकिन भारत में तीनों तरह के जहरीला सर्पों के लिए संयुक्त रूप से (Comon AVS) भी तैयार किया जाता ह। जब सर्पदंश के जहर की सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं होता है, तब Common AVS का उपयोग करना उचित माना जाता है।

हालांकि सरकारी अस्पताल में सर्पदंश की दवा मुफ्त दी जाती है, लेकिन विडम्बना यह है कि गाँव के स्वास्थ्य केन्द्र में यह दवाई उपलब्ध नहीं होता है। समाज के सबसे गरीब तबके के लोग (किसान, मजदूर और झोपड़ी में रहने वाले लोग) सबसे अधिक सर्पदंश से प्रभावित होते हैं और यह दवा उनके पहुँच से बाहर होता है AVS इंजेक्शन बहुत महँगा है (1000 से 15000 रुपए प्रति डोज) और पीड़ित व्यक्ति को उसके बिगड़ती हालात के अनुसार 15–20 इंजेक्शन तक लगाना पड़ता है। साथ–साथ यह भी बताना सारगर्भित होगा की AVS की इस महंगी दवा को दूकान में रखने के लिए फ्रिज और सतत बिजली की आवश्यकता होती है, जो गाँव में सरलता से उपलब्ध नहीं हो पाती।

यहाँ उम्मीद की किरण यह है कि आईआईटी दिल्ली ने अमेरिकन विश्वविद्याल के साथ मिलकर मार्च 2018 में नई तकनीक का ईजाद किया है जिससे AVS दवा पाउडर के रूप में बनाई गयी है, जिससे इसे रखने के लिए फ्रिज की जरूरत नहीं पड़ती है, गाँव के यह दवा दुकान में उपलब्ध हो सकेगी, साथ–ही–साथ इसका मूल्य भी घटकर 150 रुपए के आसपास तक हो जाएगा।

अंत में, सर्पदंश प्रबंधन की जानकारी को प्रचारित करने/फैलाने की अवश्यकता है, जिससे समय रहते ही सर्पदंश के उपरांत सही इलाज हो सके।

नदियों, तालाबों, नहरों एवं गड्ढ़ों आदि में डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम।

1. पृष्ठभूमि

बिहार राज्य सदा से ही जल जनित आपदाओं के लिए जाना जाता रहा है जैसे बाढ़ का आना, अत्यधिक एवं असामयिक वृष्टि से जलजमाव व बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाना, नदी के द्वारा कटाव के कारण बांधों का टूटना इत्यादि। फलतः वृहत पैमाने पर जन–धन की हानि होती रही है। बिहार में बाढ़ आने का मुख्य कारण राज्य से गुजरने वाली नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश का होना रहा है। बाढ़ की संवेदनशीलता की दृष्टि से राज्य के 28 जिले बाढ़ प्रभावित जिलों की श्रेणी में रखे गए है जिसमें से 15 जिले अति बाढ़ प्रभावित एवं 13 जिले बाढ़ प्रभावित की श्रेणी में आते है। बाढ़ से बिहार में कमोबेश हर वर्ष जान माल की क्षति होती है। गंगा के उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में हिमालय से उद्गम होने वाली विभिन्न नदियाँ जैसे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, करचा, कोसी, कमला, कनकई, अधवारा समूह की नदियाँ और महानंदा आदि प्रवाहित होती हैं। गंगा के दक्षिण भाग में कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किउल और सकरी आदि नदियाँ प्रवाहित होती है। उन्हीं नदियों में उफान आने से राज्य बाढ़ की चपेट में आ जाता है। पुरातन समय से ही उत्तरी बिहार में तालाबों, ढाभ व चौर की भी अधिकता रही

है। दक्षिणी बिहार में ताल एवं पईन आदि को परम्परागत रूप से सिंचाई एवं अन्य विभिन्न कृषि कार्यों हेतु उपयोग में लाया जाता है। श्रावण महीने में भगवान शंकर के जलाभिषेक और सर्दियों की शुरूआत के दिनों में छठ महापर्व में लाखों की संख्या में लोग सामूहिक रूप से नदियों एवं अन्य जल श्रोतों के किनारे पूजा आराधना के लिए एकत्रित होते है। इन्हीं पारम्परिक पर्व एवं त्यौहारों तथा बाढ़ के समय डूबने की घटनाएं अधिक संख्या में घटित होती है।

पिछले कुछ वर्षों में पाया गया है कि बाढ़ के दौरान एवं उसके बाद तालाबों, गड्ढ़ों, नहरों, नदियों आदि में डूबने से होने वाली मौतों की संख्या में ज्यादा वृद्धि हुई है। वर्ष 2016 में बाढ़ के दौरान डूबने से राज्य भर में 251 मौतें हुई थी। उसी वर्ष छठ महापर्व के आयोजन के दौरान राज्य में डूबने से 47 मौतें हुई थी। इन मौतों के बारे में अध्ययन से यह महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया कि इन होने वाली मौतों में बच्चों एवं किशोरों की संख्या सबसे अधिक रही। छठ पर्व 2016 के दौरान हुई कुल 47 मौतों में 39 मौतें केवल बच्चों की हुई थी। डूबने के कारण हो रही मौतों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुये इस विषय पर तत्काल पहल कर कमी लाने के लिए सुनियोजित तरीके से कार्य करने की महती आवश्यकता है। बांगला देश में किए गए एक अध्ययन के अनुसार यह पाया गया है कि डूबने एवं तैरने की क्षमता में व्युत्क्रमानुपातिक संबंध है। अर्थात् जो तैरना नही जानते उनके डूबने की संभावना सर्वाधिक होती है एवं तैरने की क्षमता वाले व्यक्तियों के डूबने की संभावना कम होती है। इसके अतिरिक्त किसी भी जल स्रोत में स्नान या पूजा या नित्य कर्म हेतु प्रवेश करते समय अपेक्षित सावधानी बरतने से डूबने की घटनाओं में कमी लायी जा सकती है।

2. डूबने से बचाव की कार्य योजना :

- प्राधिकरण स्तर से राज्य में डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम, जोखिम न्यूनीकरण एवं पूर्व तैयारी हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 18(2)(h) के अंतर्गत कार्य योजना का निर्माण किया गया है। इस कार्य योजना में अन्य कार्यो के अलावा नदियों/तालाबों से 5 कि0मी0 के दायरे में आने वाले गाँवों/मुहल्लों के 6–18 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों/किशोरों को तैराकी का प्रशिक्षण देने हेतु बांगला देश की तर्ज पर "सुरक्षित तैराकी" कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है।

  2.1 सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम का उद्देश्य एवं महत्व

उद्देश्य :

- वर्ष 2030 तक डूबने से होने वाली मौतों की संख्या में वर्ष 2015 के मुकाबले 50% की कमी लाना।
- 6–18 वर्ष के वे बच्चे जो तैरना नही जानते और तैराकी सीखने का खर्च वहन नही कर सकते उनको तैराकी और जीवन रक्षा तकनीक में प्रशिक्षित करना ताकि वे जरूरत पड़ने पर स्वयं सुरक्षित रह सकें और दूसरों की सहायता कर सकें।
- 6 से 18 वर्ष के तैराकी का अल्प ज्ञान रखने वाले बच्चों को तैराकी का उन्नत ज्ञान एवं कौशल तथा जीवन रक्षा तकनीकों में प्रशिक्षित करना।

महत्व :

- इस कार्यक्रम के क्रियान्यवन से डूबने से होने वाली मौतों में कमी आयेगी।
- यह कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों और सरकारी एवं सामुदायिक भागीदारी से सफलता पूर्वक चलाया जा सकता है।
- लगातार कुछ वर्षों तक सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम के पूर्ण होने पर अधिकतर लोग जीवन रक्षा और प्राथमिक उपचार में प्रशिक्षित हो जायेंगे और समाज में अपना सकारात्मक योगदान दे सकेंगे।
- लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और वे बाढ़ तथा जल के कारण उत्पन्न होने वाले खतरों के प्रति सचेत रहेंगे।

3. डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम : पुलिस की भूमिका

- ➢ विभिन्न त्योहारों के अवसर पर जल श्रोतों के किनारे पूजा आराधना के लिए एकत्रित समुदाय, खासकर बच्चों को खतरनाक घाटों पर जाने के लिए प्रतिबंध लगाना ।
- ➢ समुदाय के सहयोग से घाटों पर लोंगो के नियंत्रित आवागमन, विधि– व्यवस्था प्रबंधन एवं भीड़ नियंत्रण को सुनिश्चित करना ।
- ➢ प्रमुख घाटों एवं नावों पर जीवन रक्षा उपकरण, जैसे–लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय, रस्सी, इम्प्रोवाइज्ड राफ्ट आदि के उपयोग के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना।
- ➢ नौकाओं में ओवरलोडिंग रोकना, सूर्यास्त के पश्चात् नौका परिचालन पर रोक को सुनिश्चित करना।
- ➢ सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम के अंतर्गत समुदाय स्तर पर बालक/बालिकाओं को तैराकी प्रशिक्षण के दौरान घर से प्रशिक्षण स्थल तक आवागमन/प्रशिक्षण के दौरान विधि–व्यवस्था सुनिश्चित करना।

4. डूबने से होने वाली मौतों से बचने के उपाय : जिला/अनुमंडल/प्रखंड स्तरीय प्रशासन इस संबंध में जन–जागरूकता हेतु नीचे दिए गए सलाहों को व्यापक रूप से परिचारित करेंगे :–

देखा जा रहा है कि नदियों/तालाबों/गड्ढ़ों आदि में स्नान करने एवं बर्तन धोने जैसे रोजाना के काम के दौरान बच्चों/किशोर/किशोरियों एवं अन्य व्यक्तियों की मृत्यु डूबने के कारण हो जाती है। यह स्थिति संबंधित परिवारों के लिए त्रासद है। इन बहुमूल्य जिन्दगियों को बचाने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें–

बिहार सरकार

नदियों/तालाबों में डूबने की बढ़ती घटनाओं को रोकने हेतु जिला प्रशासन एवं राज्य की जनता को जरूरी सलाह

श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री

देश और राज्य में मानसून का आगमन हो गया है। मानसून की बारिश के कारण नदियाँ उफना गयी है। देखा जा रहा है कि उफनती नदियों/तालाबों/गड्ढों में स्नान करने एवं बर्तन धोने जैसे रोजाना के काम के दौरान बच्चों/किशोर/किशोरियों एवं अन्य व्यक्तियों की मृत्यु डूबने के कारण हो रही है। कई घरों के चिराग बुझ गये हैं। अभी हाल ही में सारण जिले के इसुआपुर प्रखंड के डोसजा गाँव के तालाब में डूबने से सात बच्चों की मौत हो गई है। यह स्थिति संबंधित परिवारों के लिए त्रासद है। इन बहुमुल्य जिन्दगियों को बचाने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें :

1. खतरनाक घाटों के किनारे न स्वयं जायें न ही बच्चों को जाने दें।
2. बच्चों को नदी/तालाबों/तेज पानी के बहाव में स्नान करने से रोकें।
3. बच्चों को पुल/पुलिया/ऊँचें टीलों से पानी में कूद कर स्नान करने से रोकें।
4. यदि बहुत ही आवश्यक हो तो ही नदी के किनारे जायें, परंतु नदी में उतरते समय गहराई का ध्यान रखें।
5. यदि तैरना जानते हों तभी नदियों/तालाबों/घाटों के किनारे जाएँ।
6. डूबते हुए व्यक्ति को धोती, साड़ी, रस्सी या बांस की सहायता से बचायें तथा तैरना नहीं जानते हों तो पानी में न जाएँ और सहायता के लिए पुकारें।
7. गाँव/टोले में डूबने की घटना होने पर आस-पास के लोग आपस में एकत्रित होकर ऐसी दुःखद घटना की चर्चा अवश्य करें, कि किस कारण से इस तरह की घटना हुई और ऐसा क्या किया जाए कि, इस तरह की घटना फिर कभी न हो।

डूबे हुए व्यक्ति को पानी से निकाल कर तत्काल प्राथमिक उपचार निम्न प्रकार करें

1

सबसे पहले देख लें कि डूबे हुए व्यक्ति के मुँह व नाक में कुछ फंसा तो नहीं है, यदि है तो उसे निकालें।

2

नाक व मुँह पर उँगलियों के स्पर्श से जांच कर लें कि डूबे हुए व्यक्ति की साँस चल रही है कि नहीं।

3

नब्ज़ की जाँच करने के लिए गले के किनारे के हिस्सों में उँगलियों से छूकर जानकारी प्राप्त करें कि नब्ज़ चल रही है कि नहीं।

4

नब्ज़ व साँस का नहीं पता चलने पर डूबे हुए व्यक्ति के मुँह से मुँह लगाकर दो बार भरपूर साँस दें व 30 बार छाती के बीच में दबाव दें तथा इस विधि को 3-4 बार दुहराएँ। ऐसा करने से धड़कन वापस आ सकती है व साँस चलना शुरू हो सकती है।

5

यदि डूबा हुआ व्यक्ति खाँस/बोल/साँस ले सकने कि स्थिति में है तो उसे ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें।

6

देख लें कि डूबे हुए व्यक्ति का पेट यदि फूला हुआ है तो पूरी संभावना है कि उसने पानी पी लिया होगा, अतः नीचे दी गई विधि से पेट से पानी निकालने कि प्रक्रिया शुरू करें।

7

डूबे हुए व्यक्ति को पेट के बल सुलाएँ तथा पेट के नीचे तकिया या छोटा घड़ा जैसा बर्तन जो भी उपलब्ध हो सके लगा दें, अन्यथा चित्र के अनुसार किसी स्वस्थ व्यक्ति को पहले पेट के बल सुलाएँ तथा उसके ऊपर डूबे हुए व्यक्ति को इस तरह सुलाएँ कि उसका पेट नीचे सोये हुए व्यक्ति की पीठ पर पड़े। इसके बाद पीठ के निचले हिस्से पर धीरे-धीरे दबाकर पानी बाहर निकालें।

8

डूबे हुए व्यक्ति को पुनः उठाकर पीठ के सहारे सुलाएँ तथा आराम करने दें।

9

मूर्छा या बेहोशी आने पर पुनः साँस देने व छाती में दबाव देने की प्रक्रिया शुरू करें।

10

उपरोक्त प्रक्रिया के बाद बचाए गए व्यक्ति को अविलम्ब नज़दीकी डॉक्टर अथवा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पर ले जाएँ।

11

डॉक्टर या प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पर ले जाने के लिए स्थानीय स्तर पर जो भी साधन उपलब्ध हो उसका प्रयोग करें या 108/102 पर फोन कर एम्बुलेन्स बुला लें।

Communicaiton In Emergency

आपदाकालीन संचार तंत्र

आपदा के सयम साधरणतया बिजली और टेलीफोन/मोबाइल सेवा बंद हो जाती है। आपदास्थल से विभाग या प्रशासन को खबर भेजने या पाने में काफी दिक्कतों का समाना करना पड़ता है, जिस कारण से आपदा प्रबंधन धीमी हो जाती हैं फलतः जान–माल या सम्पति का नुकसान अधिक हो जाता है।

आपदाकालीन संचार व्यवस्था में वायरलेस सेट वर्षों पूर्व से आजमायाहुआ प्रामाणिक साधन है। सेटेलाइट फोन बी–सैट (V-Sat) विगत कुछेक वर्षों में काफी प्रचलित हुआ। मोबाईल V-Sate (गाड़ी में रकखर) का इस्तेमाल कर आपदा–दुर्घटनास्थल से मीडिया–चेनल को लाइव प्रसारण करते हुये देखा होगा।

इस अध्याय में पलिस में स्थित सभी संचार उपकरणों को आपदा के समय कैसे अधिकतम उपयोग यिका जा सके, इसकी जानकारी पर बल दिया गया है। आपदाकालीन संचार के जिन विषयों पर यहाँ चर्चा कीगयी है वह है:

- ✓ पोलनेट **(Polnet),** सेटेलाइट फोन **(Satellite Phone)**
- ✓ वायरलेस सेट **(HF & VHF)**
- ✓ पुलिस के वायरलेस सेट के साथ दूसरे विभाग/तमेचवदकमत वितबमे के वायरलेस सेट के साथ कैसे संचार स्थापित किया जाय?
- ✓ मोबाइल फोन और **Whatsapp** ग्रुप का उपयोग
- ✓ आपदा के समय संचार तंत्र को कैसे से बनाएँ रखे?

Polnet (Police Network)

पोलनेट वपबमए कंजं और थंग तीनों की सुविधा प्रदान करता है। यह भारत के विभिन्न राज्यों के पुलिस को और कुछ अर्थसैनि बलों के मुख्याल/जिला मुख्यालय और वाहिनी में संचार स्थापित करता है। भारत के सभी जिलों को एक साथ जोड़ा गया था। पूरे भारत में 1961 स्थानों में यह स्थापित है। इस नेटवर्क का Hub गाजियाबाद, नई दिल्ली है। Satellite के साथ V-SAT (Very

Small aperture terminal) Technology पर आरित इस व्यवस्था में एंटीना और रिसीवर के साथ कम्प्युटर/टेलीफोन/फैक्स/प्रिंटर इत्यादि की सुविधा के साथ इसे 2001 में स्थापति किया गया था।

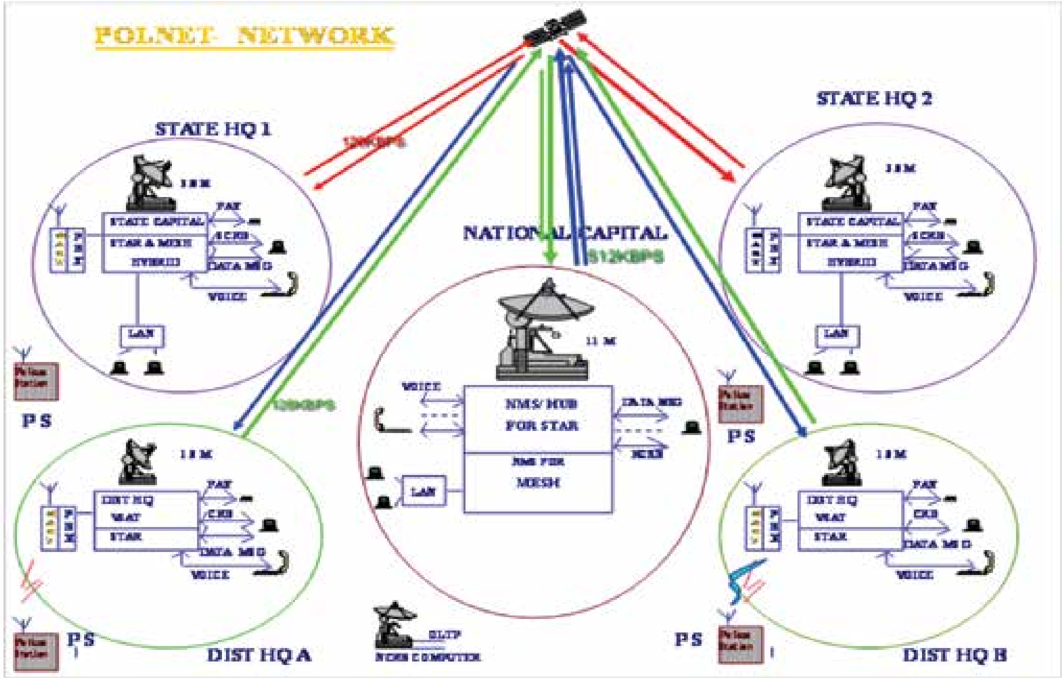

पोलनेट : बिहार की आद्यतन जानकारी : (2019 मई में)

Fitter : 36 जिलें में

कार्यरत **(Funcational)** रू 16 जिलें में

खराब : 20 जिलें में

Functional Polnet : पटना, दरभंगा, जहानाबाद, जमुइ, कटिहार, नालन्दा, नवादा, रोहतास, गोपालगंज, मधुबनी, पूर्णियाँ, मुज्जफरपुर, पूर्वी चम्पारण, मधेपुरा, गया, भोजपुर।

Mobile V-Sat ;

V-Sat-Very Small aprture setellite

Voice call

इंटरनेट

Dagta Transmission

आपदा स्थल से **Vedio** कॉल की भी सुविधा। **(NDRF** को केन्द्र द्वारा दी गई संचार उपकरण) टेलीविजन चैनलों के **OB Van** गाड़ी में प्रयुक्त।

Satellite Phone

2018 में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा क्रय किए गए 71 सेटेलाइट फोन विभिन्न आपदा प्रवण जिलों में वितरित की गयी। 2015 में भी आपदा प्रबधन विभाग द्वारा 18 सेटेलाइट फोन का क्रय कर जिलाधिकारियों और मुख्य सचिव कार्यालय को दिया गया था।

इससे पूर्व गृह विभाग द्वारा सेटेलाइट फोन का क्रय कर **STF** को इस्तेमाल के लिए दिया गया।

सेटेलाईट फोन की जिलावार विवरणी

क्र० सं०	जिला का नाम	सेटेलाईट फोन की संख्या
01	कटिहार	05
02	खगड़िया	05
03	गोपालगंज	04
04	पूर्णिया	06
05	सुपौल	04
06	मधेपुरा	04
07	अररिया	04
08	किशनगंज	04
09	बेगूसराय	04
10	पूर्वी चम्पारण	04
11	पश्चिमी चम्पारण	04
12	दरभंगा	04
13	मधुबनी	04
14	सीतामढ़ी	04
15	आपदा प्रबधन विभाग	10
	कुल सेटेलाईट फोन की संख्या	71

Satellite Phone से कॉल करने के तरीके :

Satellite Phone में किसी Landline/Mobile से संपर्क कर सकते हैं।

पुराने Satellite Phone से डायल करने के लिए 00 लगाने के बाद Country Code लगाने पड़ते हैं। 2018 में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा क्रय किए गए सटेलाइट फोन मे कोई Code नहीं लगाना है,

साधारण मोबाइल फोन की तरह नम्बर डायल करना है। (कमरे से बाहर खुले स्थान में खड़े होकर कॉल करना है।)

कॉल रेट–45 रुपए / मिनट. (Post-Paid Service) कॉल चार्ज का भुगतान विभाग के द्वारा।

आपदा–प्रबंधन विभाग द्वारा 2015 और 2018 में क्रय हुये फोन कॉल का भुगतान आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा किया जाता है।

वायरलेस सेट

वायरलेस (रेडियो) सेट दो तरह की होते हैं–पहला Very high Frequency (VHF) तरगों वाली वायरलेस सेट, जिसके द्वारा कम दूरी का संचार होता है। पुलिस के गाड़ियों में लगा हुआ और छोटा हाथ में रखकर इस्तेमाल करने वाला (Hand Held) वायरलेस सेट VHF सेट होता है।

दूसरा अधिक दूरी के लिए High Frequency (HF) तरंगों वाली वायरलेस सेट, जिससे एक शहर से दूसरे शहर में बात की जाती है। यह सेट पुलिस स्टेशन और अन्य HQ में बड़े लंबे एंटीना के साथ Fix कर दिये जाते हैं।

VHF वायरलेस सेट : VHF वायरलेस सेट में दो तरह का transmission output वाला उपकरण पुलिस में उपयोग किया जाता है, 1–5 watt वाला (हैंड हेल्ड वायरलेस सेट में) और 15–20 watt वाला वायरलेस सेट गाड़ियों/थाना में लगा हुआ उपकरण।

Hand Held वायरलेस सेट का संचार रेंज 3–7 KM तक होता है, जबकि 15–20 watt वाला मोबाइल वायरलेस सेट से 30–40 KM तक संचार स्थापित किया जाता है।

यह वायरलेस सेट *Line of Sight Communicaiton* के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका मतलब की अर दो वायरलेस सेअ के बीच बड़ी बिल्डिंग का रूकावट हो जाए तो Commucication कम हो जाएगा या टूट जाएगा। इसलिए 15-20 watt वाला वायरलेस सेट के एंऔना को छत पर या अधिक ऊँचाई पर स्थापित किया जाता है।

High Frequency (HF) : हाइ फ्रिकेन्सी तरंगों atmosphere के ionosphere से reflect होकर पृथ्वी पर वापस आती है।

रेज 20-100 watt transmitter output वाली वायरलेस सेट की रेंज–1000-2000 km तक है। (depending on transmitter output, height & direction of antenna)

All Forces, Aeroplance, Navy Ship HF वायरलेस सेट को उपयोग में लातें है। पुलिस के कुछेक दूर–दराज के थाने और मुख्यालयों में यह स्थापित कर लंबे दूरी के संचार के काम में लातें हैं।

क्या वायरलेस सेट में **Inter-Opertablity** ?

क्या आपदा के समय पुलिस/राज्य सरकार के संचार तंत्रा अन्य responders के वायरलेस से/Setellite Phone से Contact स्थापित कर सकते हैं?

- HF वायरलेस सेअ से किसी भी department के वायरेलस सेट से contact स्थापित हो जाता है, वशर्तें दोनों को एक–दूसरे का ferquency ज्ञात हो।

  आपादा के समय response करने आए forces से संपर्क कर उनके वायरलेस की freequncy का आदान–प्रदान करें, ताकि HF वायरलेस सेट से सम्पर्क हो सकं।

- VHF में बात करने के लिए पहले से आए बलों (Force) के VHF frequency programming करवा कर लाना होगा।

- VHF पर बात करने के लिए एक–एक 20 W के रेडियो सेट आपस में बदल कर सूचनाओं का आदान–प्रदान कर सकते हैं।

साधारणतया बाढ़/तूफान/भूकंप आदि आपदा के समय मोबाइल फोन/टेलीफोन का नेटवर्क प्रभावित क्षेत्र में बंद हो जाया करते हैं। खतरा के आपदा बनने के समय सूचना को प्रसारित करने में मोबाइल फोन की महती उपयोगिता है। विभाग द्वारा थाना स्तर तक मोबाइल फोन उपलब्ध कराया गया है। अगर संभव हो तो बैटरी हेतु पावर बैंक का व्यवस्था की जाय।

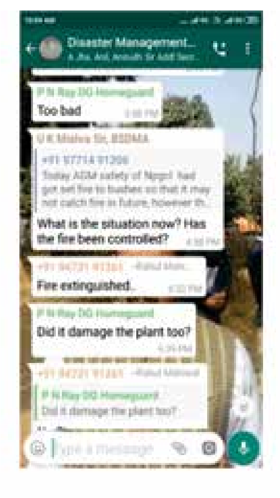

Whatsapp Group : नेटवर्क जाम के समय उपयोगी–आपदा के समय, प्रभावित क्षेत्र के बहुत सारे फोन एक साथ active हो जाने के ारण बात–चीत में दिक्कत होने लगीत है, उस समय whatsapp/sms के जहां पाँच–दस हजार लोग इक्कठा होते है, वहाँ भी नेटवर्क पर अधिक बोक्ष पड़ने के कारण, लजाम हो जाता है, उस समय कॉल ड्रॉप होने की घटना होने पर whatsapp का सहारा लिया जा सकता है। आपदा के समय सूचनाओं को ग्रुप/ब्रॉडकास्ट क द्वारा प्रसारित करके समय की बचत कर सकते हैं।

आपदा के समय संचार तंत्र को कैसे बनाएँ रखें?

VHF/HF वायरलेस को ऊँची फ्लोर पर शिफ्ट करें।

बाढ़/तेज वारिश/तूफान में एंटीना गिरने/टूटने की स्थिति को तुरंत ठीक करने का अभ्यास कराए।

बिजली कअने की आशंका के स्थिति में जेनरेटर/Fuel की वैकल्पिक व्यवसीा रखें।

आपातकाल में बिजली नहीं रहने पर Hourly/Fixed सयम पर वायरलेस सेट खोल कर सम्पर्क कर बैटरी बचाएं।

आपदा के समय में मोबाइल फोन को बंद करके बारी–बारी से मोबाइल फोन से इस्तेमाल करना ताकि बैटरी की बचत हो सके।

आँधी/तूफान/भूकंप/बाढ़ आने के उपरांत HF सेट के एंटीना को फिर से स्थापित करें।

आपदा के समय टेलीफोन/मोबाइल सेवा बंद होने की स्थिति में SDO/DM कार्यालय में VHF सेट देकर संचार बनाए रखने की व्यवस्था पर विचार करें।

थाने मेंपदस्थपित 1–2 सिपाही/कार्मिकों को वायरलेस की बेसिक जानकारी देकर वायरलेस ऑपरेटर के वैकल्पिक स्थिति के लिए तैयार रखें।

Setellite Phone को Operate करने का आपदा के समय प्रैक्टिस करें व नियमित समयांतराल पर चार्ज करें।

भूकंप से बचाव का छद्म अभ्यास (Mock Drill) कैसे करें?

1934 भूकंप के समय मुंगेर शहर की तबाही.

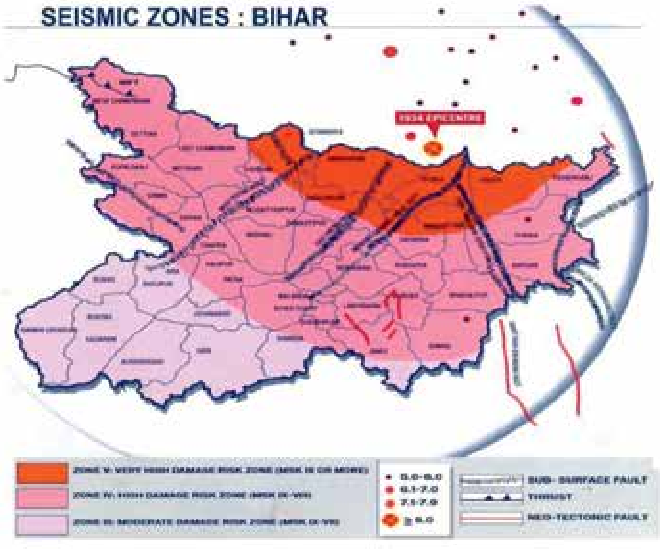

बिहार के भूकंप तीव्रता क्षेत्र (Seismic Zone)

भूकम्प से कैसे बचें?

बहु आपदा प्रवण राज्य बिहार प्रतिवर्ष बाढ़, भूकंप, सुखाड़, आँधी-तूफ़ान, वज्रपात, अगलगी इत्यादि आपदाओं का सामना करता है। इन सभी प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप का पूर्वानुमान नहीं होने के कारण जान-माल के नुकसान की आशंका हमेशा बनी रहती है।

ज्ञात हो कि उत्तर बिहार के 8 जिले सर्वाधिक ख़तरनाक भूकंप ज़ोन V क्षेत्र में आतें हैं। बिहार के 24 जिले भूकंप जोन IV तथा शेष 6 जिले जोन III के क्षेत्र से प्रभावित हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी के नीचे पृथ्वी के अंदर प्लेट-टेक्टोनिक घटना के कारण नेपाल और उत्तर भारत भूकंप प्रवण क्षेत्र माना जाता है। हिमालय निकटता के कारण बिहार 1934 में 8.4 तीव्रता के भूकंप के झटके से प्रभावित हुआ था, जिसमें बिहार के मुंगेर जिले में लगभग दस हज़ार लोगों की जाने गयी। इतने ही तीव्रता के भूकंप अगर दुबारा बिहार में आ जाए तो लाखों लोगों की मृत्यु की संभावना है।

इस परिपेक्ष्य में अपने भवनों को भूकंपरोधी कैसे बनाएँ और लोग भूकंप के समय सुरक्षित कैसे रहें, इस विषय पर समाज मे जागृति लाने की जरूरत है। हम जाने कि भूकंप के समय क्या करें ताकि हम सुरक्षित रह सकें और भूकंप कार्यालय / विद्यालय /कॉलेज / अपार्टमेंट/ अस्पताल/ शॉपिंग-माल आदि स्थानों में छद्म अभ्यास (Mock Drill) कैसे करें?

भूकंप के समय क्या करें?

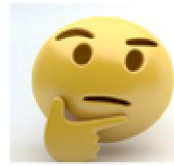

भवन धवस्त होने के पैटर्न

Void Spaces
Survival zones & Search areas

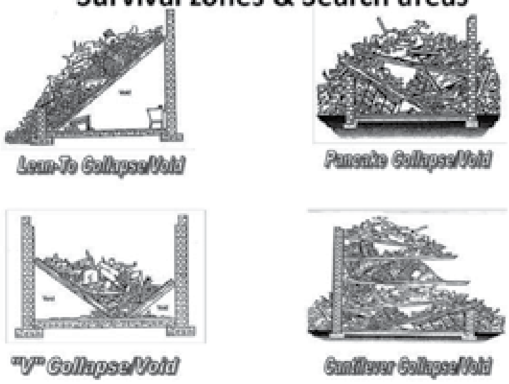

भूकंप के समय मकान ढहने के तरीके में संभावित रिक्त स्थान (Void space), जहां फसे हुये लोगो के बचने की संभावना रहती है।इसके अतिरिक्त भवन के कोने और चौखट के नीचे का स्थान समान्यतया सुरक्षित माना जाता है।

भूकंप के समय response mock drill "झुको-ढको-पकड़ो'' की तरीके से सर को बचाने का अभ्यास 2 मिनट तक करें।

भूकंप के समय की जाने वाली ड्रिल :

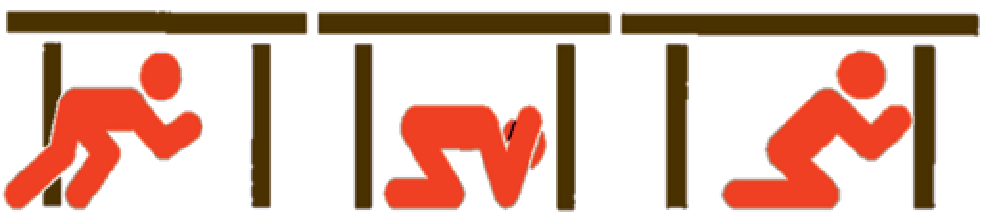

झुको ढको पकड़ो

भूकंप के समय Response mock drill "झुको ढको –पकड़ो" का ड्रिल करें , (अर्थात टेबुल/ पलंग के नीचे घुसें, शरीर और सर को ढकें और टेबुल के हिलते हुए पाँव को पकड़ कर रखें). अगर फर्नीचर मजबूत न हो तो कमरे का कोना या चौखट के नीचे खड़े हो जाएँ तथा अपने सर को ढकें।

दो मिनट तक इसी अवस्था में रहें, ताकि आस-पास के मकान के गिरते मलवे से घायल न हों।

आपातकालीन रास्तों से बिना भगदड़ किया सर को ढ़क कर बाहर निकलें।

आपदा प्रबंधन योजना क्या है और कैसे बनाएँ?

कार्यालय / विद्यालय / कॉलेज/ अपार्टमेंट/ अस्पताल/ शॉपिंग-माल आदि भीड़ वाले इलाके में नियमित समयान्तराल पर भूकंप छद्म अभ्यास कर लोगों को भूकंप के दौरान Response Mock Drill के द्वारा बचने के तरीके के बारे में जागृत करें। अपने संस्थानों/ घरों में किसी भी आपदा में सक्षम (आपदा सबल Disaster Resilient Society) बनाने हेतु आपदा प्रबंधन योजना बनाएँ।

आपदा प्रबंधन योजना में निम्न बातों को समायोजित करें:

- ✓ भवन में हो सकने वाले खतरों को चिन्हित कर बचाव के मौजूद संसाधनो कि समीक्षा करें।
- ✓ भवन से लोगों के सुरक्षित निकासी की **"निकास योजना" (Evacuation Plan)** बनाएँ, जिसमें सभी दरवाजो और रास्तों का समुचित उपयोग किया गया हों।
- ✓ आसपास के खुले मैदान/स्थान को **"एकत्रित होने का स्थान" (Assembly Area)** के रूप में चिन्हित करें, जहां आपदा के दौरान या छद्म अभ्यास के दौरान भवन से बाहर आए लोगों की गिनती कर अंदर आपदा मे फँसे लोगों की अनुमान की जा सके।
- ✓ फँसे लोगों को बचाने और निकासी के लिए **खोज व बचाव (Search & Rescue)** के लिए परिकलित जोखिम (Calculated Risk) को ध्यान में रखकर अपने सहकर्मी/ लोगों को भेजें।
- ✓ अपने कार्यालय/संस्थान के कुछ लोगों को **प्राथमिक चिकित्सा** (अस्पताल-पूर्व-चिकित्सा) का प्रशिक्षण दिलवायें, ताकि आपदा के समय घायलों को मदद की जा सके।
- ✓ आकस्मिक सहायता हेतु पुलिस/ जिला अधिकारी /अस्पताल/फायर कार्यालय/ राज्य आपदा संचालन केंद्र आदि का नंबर का लिस्ट तैयार करें तथा आपदा के समय **सूचित करने वाले व्यक्ति की जिम्मेवारी** तय करें।
- ✓ हूटर/ साइरन तथा आपदा के समय खोज व बचाव के सीमित उपकरण (यथा cutting Equipments) तथा प्राथमिक उपचार के सामग्री की व्यवस्था कर सार्वजनिक स्थल पर रखा जा सके, ताकि आपदा के समय घायलों के जान बचाने का महत्वपूर्ण समय **(Golden Hour)** व्यर्थ न हो।
- ✓ अंत में, छद्म अभ्यास के अंतिम चरण में **पर्यवेक्षक (Observer)** के द्वारा पूरे **Mock-Drill की समीक्षा** की जाय, ताकि आपदा के समय प्रबंधन समुचित रूप से किया जा सके।

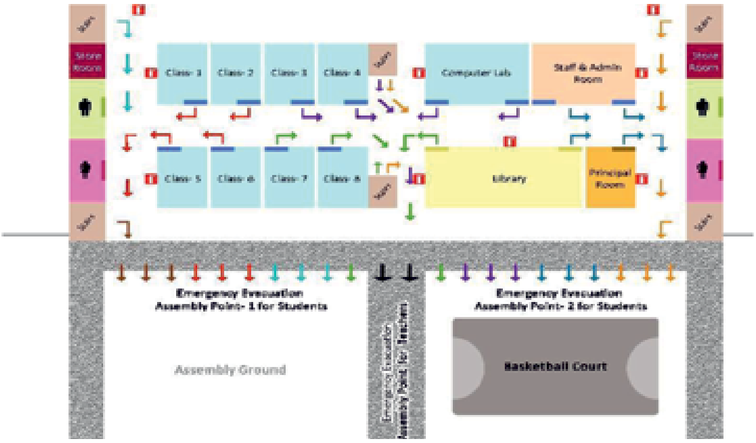

दर्शाए हुये **निकासी मार्ग (Evacuation route)** भवनानुसार बनाकर प्रत्येक मंजिल (floor) पर प्रदर्शित की जानी चाहिए, ताकि आपदा के समय प्रत्येक कक्ष के लोगों को निर्धारित आपातकालीन निकासी द्वार ज्ञात हो और एक ही मार्ग / द्वार पर भगदड़ न हो।

भूकंप छद्म अभ्यास (Mock Drill) के विभिन्न चरण

1. अलार्म/ खतरे की सूचना का प्रसारण
2. भूकंप के समय का ड्रिल (Response Mock Drill)- झुको-ढको-पकड़ो (Drop-cover-Hold)
3. एसेम्ब्ली एरिया में सभी का एकत्रित होना तथा उपस्थितों की गणना कार्य
4. आकस्मिक सेवा / प्रशासन/ पुलिस / राज्य आपदा संचालन केंद्र आदि को सूचना
5. खोज व बचाव कार्य
6. घायलों की प्राथमिक चिकित्सा (Basic Life Support), अस्पताल भेजने की कारवाई
7. दुबारा सभी कार्मिकों/ लोगों की गणना
8. पर्यवेक्षक द्वारा समीक्षा

खतरे का अलार्म

झुको –ढको-पकड़ो का ड्रिल

सुरक्षित निकासी

एसेम्ब्ली स्थल पर गणना

खोज व बचाव कार्य

घायलों की प्राथमिक उपचार

पर्यवेक्षक द्वारा समीक्षा

और सायरन बजते ही बेंच के नीचे छिप गईं छात्राएं

छद्म अभ्यास

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी

राज्य आपदा संचालन केंद्र (आपातकाल नंबर-टौल फ्री) -1070

प्राधिकरण द्वारा राज्यभर में अभियंताओं और राजमिस्त्रियों का भूकम्परोधी भवन निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उनका सहयोग लेकर भूकम्परोधी घर का निर्माण करवायें।

भारी एवं शीशे का सामान निचले खाने में रखें

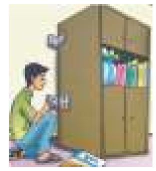

अलमारी को क्लैम्प से, दीवार में जकड़ दें।

झुको–ढको–पकड़ो का नियमित अभ्यास करें।

आवश्यक सामान के साथ सुरक्षा किट तैयार रखें।

अपने आस–पास सुरक्षित स्थलों की पहचान कर लें।

बचाव एवं प्राथमिक उपचार का नजदीकी अस्पताल / रेड क्रॉस से संपर्क कर प्रशिक्षण लें

बाहर जाने वाले रास्तों को बाधामुक्त रखें

सिर को बचाएं।

गिरने वाले चीजों से दूर रहें।

हड़बड़ाकर मत भागें।

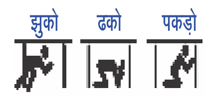

झुको–ढको–पकड़ो का कार्यवायी करें।

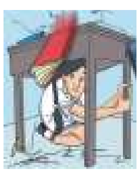

मजबूत टेबल या पलंग के नीचे छिप जाएँ।

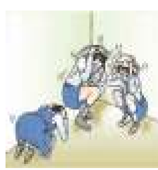

अगर टेबल या पलंग न हो तो कमरे के अंदरूनी कोने के पास रहें।

यदि गाड़ी चला रहे हों, तो

सड़क के किनारे रुकें, पुल पर न चढ़ें।

अपनी जगह पर शांत रहें, झटका रुकने पर, क्रम से बाहर निकलें।

गैस सिलिन्डर बन्द करें।

मेन स्विच ऑफ करें।

लिफ्ट का उपयोग न करें। सीढ़ी से उतरें।

घर से बाहर निकलें।

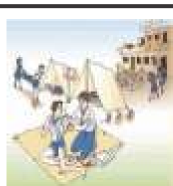

खुले मैदान में आ जाए, घायलों की सहायता करें।

गिरने वाली चीजों से सिर को बचाए।

बिजली पोल, विज्ञापन बोर्ड, पेड़ से दूर रहें।

अफवाहों पर ध्यान न दें सरकार एवं प्रशासन से प्राप्त सुचनाओं का पालन करें

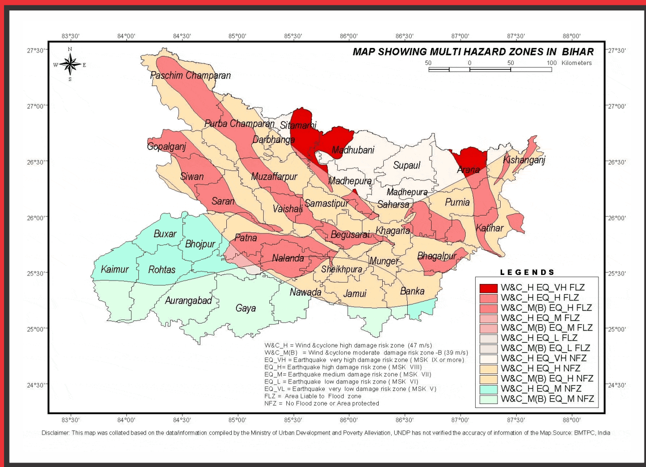

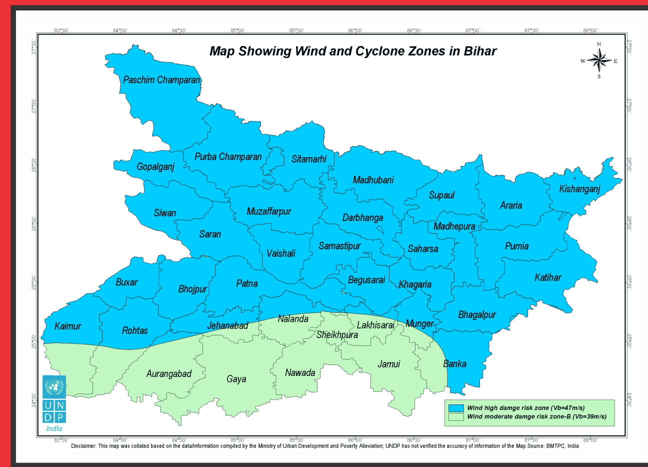

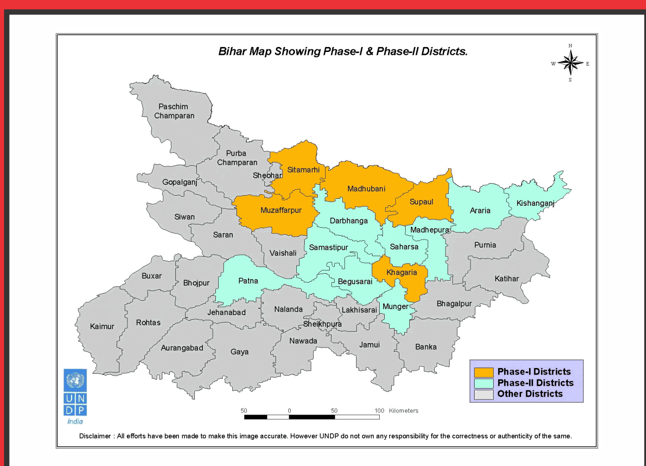

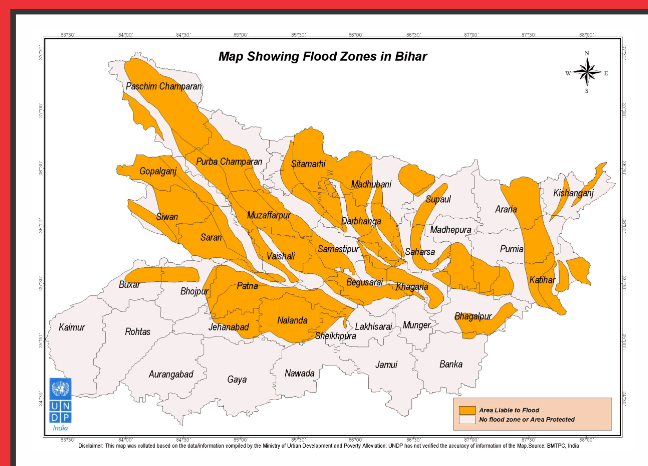

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार

द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना फोन : 0612-2522032, फैक्स : 0612-2532311

ई-मेल : info@bsdma.org Website : www.bsdma.org

बिहार सरकार